वार्षिक अहेवाल
2021-22

भारतीय होटल निगम लि.

भारतीय होटल निगम लि.

विषय

		पृष्ठ सं.
1.	निदेशक मंडल	1
2.	अध्यक्ष का संदेश	2
3.	निदेशकों की रिपोर्ट	3
4.	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	12
5.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	34
6.	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	35
7.	31 मार्च 2022 तक का तुलन पत्र	55
8.	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण	56
9.	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	57
10.	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट	58
11.	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स	60

निदेशक मंडल

श्री विक्रम देव दत्त अध्यक्ष
श्री. प्रांजल चंद्रा
श्रीमती. रुबीना अली
श्री. दीपक सजवान

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्री. दीपक खुल्लर

मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्रीमती थर्टी सी दलाल

कंपनी सचिव
श्रीमती ईशा जैन

लेखा परीक्षकों
मेसर्स जैन जगत कामदार एंड कंपनी

वकील
मेसर्स एम.वी. किनी एंड कंपनी

बैंकर्स
ऐक्सिस बैंक
जे एंड के बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
सिंडिकेट बैंक
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

पंजीकृत कार्यालय
सेंटौर होटल
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
नई दिल्ली 110 037।

अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारक गण,

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी की 51वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है। वर्ष के दौरान कंपनी कई ऊंचाइयों को देखा है और कई गहराइयों से पार पाया है।

वर्ष 2021-22 भारतीय होटल क्षेत्र के लिए रोलर कोस्टर पर चढ़ने से कम नहीं था। पूरे वर्ष के दौरान क्षेत्र ने अनिश्चितताओं के बीच से निकलने का प्रयास किया है, हमेशा परिवर्तित होते हुए परिवेश को अपनाया है, और रिकवरी के पथरीले मार्ग पर ऊंचाइयों और गहाराइयों से गुजरा है। प्रमुख बात यह रही कि लेजर सेजमेंट जिसे अतीत मे अनदेखा किया गया उसी पर अब फोकस किया जा रहा है।

महामारी के एक बार पुनः दुर से वैश्विक पर्यटन पर प्रभाव जारी रहा और जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा पर पुनःप्रतिबंध लगाया गया। कठिन 2020 के बाद वर्ष 2021 अच्छे संकेत से शुरु हुआ जिसमे लोग थोड़ी रुकावट के बाद सक्रिय कोविड मामलों में कमी और कोविड टीकाकरण अभियान के कारण यात्रा करने लगे, सप्ताहांत यात्रा, कार्य के लिए जाने और रुकने के लिए प्रोत्साहित हुए। हारवथ एचटीएल मार्केट रिपोर्ट के अनुसार भारतीय होटल मार्केट मार्च से दिसम्बर 2020 के प्रारंभिक महामारी अवधि के 24.9% और 2020 में 32% की तूलना में 2021 के कैलेडर वर्ष में 43.5% रहा।

2021-22 के दौरान पिछले वर्ष से कुल राजस्व में 41% की वृद्धि हुई। टीम ने पिछले वर्ष के विरुद्ध प्रचालन लागत में 58% तक नियंत्रित किया। इससे सकल प्रचालन हानि में कमी हुई और इससे पिछले वर्ष रु. 547.83 (लाख में) की तूलना में इसे रु.317.64 (लाख में) रखा।

कंपनी नियमित रूप से और कड़ाई से कुल व्यय में कमी के उपाय करके अपने हानि को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे धीरे-धीरे इसकी हानि में कमी आए।

धारक कंपनी में परिवर्तन

वि.व. के दौरान एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। एयर इंडिया, विशिष्ट वैकल्पिक उपाय (एआईएसएएम) के निर्णय के अनुसार भारतीय होटल निगम लि. (एचसीआई) एयर इंडिया लि. (एआई) के निवेश को अंतरित करने के लिए, एआई एसेट्स होल्डिंग लि. (एआईएएचएल), एचसीएल के संपूर्ण शेयरहोल्डिंग बुक के मुल्य पर दिनांक 11.01.2022 को एआईएएचएल को अंतरित कर दिया गया और बोर्ड द्वारा इसे 11.01.2022 को अपनी 257वीं बैठक में नोट किया गया।

कार्पोरेट गवर्नेंस

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी जारी कार्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश को होटल निगम जहां कहीं भी यह इस वर्ष लागू है, अनुपालन किया है।। कार्पोरेट गवर्नेंस पर तिमाही रिटर्न/ वार्षिक रिटर्न निर्धारित समय के अंदर संबंधित प्राधिकारियों के पास जमा कर दिया था।

जैसा कि आपकी कंपनी अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर रही है हम आशा करते हैं कि कंपनी सेवा के क्षेत्र में अपने पहले के नाम को अर्जित कर सकेगी। हमारी आशा इस तथ्य पर आधारित है कि नियंत्रक कंपनी और भारत-सरकार ने इस मुश्किल समय में मदद किया है। हमारी आशा इस तथ्य पर भी आधारित है कि महामारी के बाद हम पर्यटन में महत्वपूर्ण वृद्धि देखने जा रहे हैं।

मैं इस अवसर बोर्ड में अपने साथियों को उनके बहुमुल्य मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, कंपनी के ग्राहकों, शेयरधारकों, केंद्र और राज्य-सरकार तथा एयर इंडिया लि.,एआइ एसेट्स होल्डिंग कंपनी लि. तथा इसकी सहायक कंपनियों को इसके अथक समर्थन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मैं सभी स्तर पर कर्मचारियों को इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान उनके कठिन परिश्रम, समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए प्रशंशा करता हूं।

भवदीय,

एसडी/-
विक्रम देव दत्त
अध्यक्ष

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशकों को 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अपनी 51वीं वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित लेखों को प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय निष्पादन की समीक्षा

(रु. लाख में)

विवरण	**2021-22**	**2020-21**	**अंतर %**
कुल राजस्व	352.36	249.60	+41%
कुल परिचालन व्यय	670.00	797.43	-16%
सकल परिचालन (हानि)	(317.64)	(547.83)	-42%
व्याज	501.30	381.81	+31%
नकद (हानि)	(818.94)	(929.64)	-12%
मुल्य-ह्रास	29.17	44.09	-34%
ओसीआई पूर्व निवल (हानि)	(848.12)	(973.72)	-13%
अन्य व्यापक आय (ओसीआई)	5.61	7.53	-25%
तुलन पत्र में लाए गए निवल (हानि)	(842.51)	(966.19)	-13%

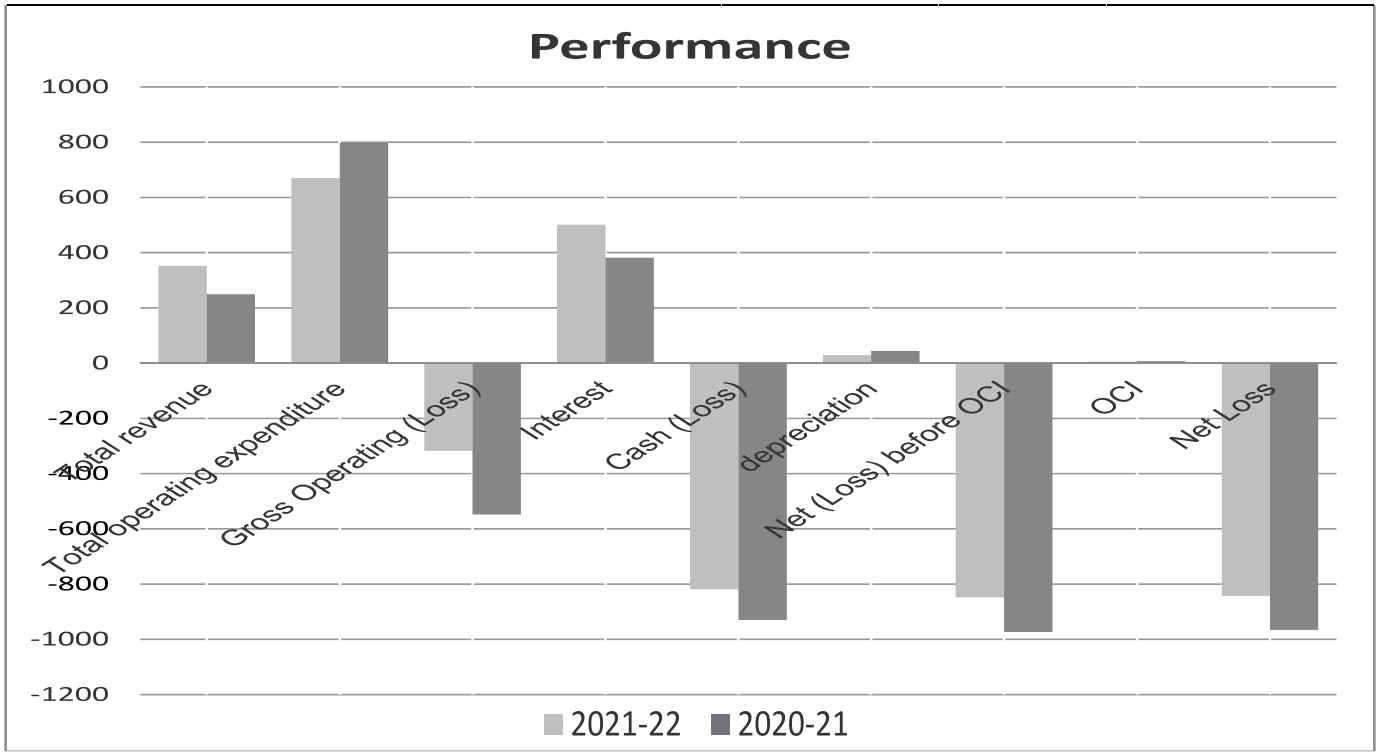

अन्य वित्तीय सूचना

शेयर पूंजी

31 मार्च,2022 को कंपनी की शेयर पूंजी रु, 150,00,00,000/- (रुपए एक सौ पचास करोड़) था, जिसे रु.100/- प्रत्येक के 1,50,00,000 शेयरों में बांटा गया।

31 मार्च,2022 को कंपनी की चुकता शेयर पूंजी रु.137,60,00,000/- (एक सौ सैंतीस करोड़ साठ लाख) थी जिसे प्रत्येक रु. 100/- के 1,37,60,000 में बांटा गया जिसे निम्नवत रूप से रखा गया था।

- रु. 110,60,00,000/- (एक सौ दस करोड़ साठ लाख) रु.100 प्रत्येक के 110,60,000 में बांटा गया जिसे नियंत्रक कंपनी होने के कारण

एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड ने रखा।

- 27,00,00,000/- (सत्ताइस करोड रुपए) जिसे रु.100 प्रत्येक के 27,00,000 में बांटा गया जो केंद्र सरकार के पास है। शेष प्रतिशत भारत के माननीय राष्ट्रपति के पास।

वार्षिक योजना रूपरेखा 2021-22

पिछले वर्षों के तरह में कंपनी को वर्ष 2021-22 में कोई वार्षिक योजना की रूपरेखा प्राप्त नहीं होई है।

शेयर पूंजी, यदी कोई है, में परिवर्तन

वर्ष के दौरान कंपनी के प्राधिकृत और चुकता शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

व्यापार की प्रकृति में परिवर्तन

कंपनी के व्यापार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तथापि एयर इंडिया लि. (पहले की नियंत्रक कंपनी) के विनिवेश/ निजीकरण के कारण भारतीय होटल निगम लि. में एयर इंडिया लि. की संपूर्ण शेयरहोल्डिंग 11.01.2022 को एआई एसेट्स होल्डिंग लि. को अंतरित हो गया था अतएंव वर्तमान में भारतीय होटल निगम लि. एआई एसेट्स होल्डिंग लि. (भारत-सरकार के उपक्रम) की सहायक कंपनी हो गया है।

लाभांश

कंपनी कानून,2013 के अनुच्छेद 123 की शर्तानुसार संचित हानियों के कारण लाभांश पर विचार नहीं किया जाएगा।

बेदावाकृत लाभांश का निवेशक शिक्षण एवं सुरक्षा निधि में अंतरण

पिछले वर्षों के लिए कोई बेदावाकृत लाभांश नहीं था अतः कंपनी कानून 2013 के अनुच्छेद 125 के प्रावधान लागू नहीं होते।

प्रारक्षित में अंतरित राशियां

संचित हानियों को ध्यान में रखते हुए निदेशक मंडल ने वर्ष के दौरान प्रारक्षित में कोई राशि अंतरित नहीं करने का निर्णय किया।

विदेश यात्रा

आलोच्य वर्ष के दौरान कंपनी ने इस मद में कोई व्यय नहीं किया है।

मानव संसाधन

कार्मिक

31 मार्च 2022 को कंपनी में 31 मार्च,2021 की 502 की तूलना इसके पेरोल पर 435 कर्मचारी थे। कंपनी का विश्वास है कि व्यापारिक परिवेश के चारो ओर उपस्थित चुनौतियों से ऐसे कर्मियों द्वारा निपटा जा सकता है जो प्रेरित, तत्पर, परिवर्तन को स्वीकार करने वाले, नवोचारी और तेजी से सीखने वाले हों।

औद्योगिक संबंध

कंपनी में औद्योगिक संबंध पारंपरिक रूप से सौहार्द पूर्ण रहा है।

सतर्कता

आलोच्य वर्ष के दौरान एचसीएल की सभी इकाइयों में अचानक जांच और निरीक्षण किया गया। वर्ष के दौरान निविदा/ खरीदी प्रक्रियाओं के मामले के लिए समय-समय पर प्रक्रियागत परामर्श दिया गया। 26 अक्टूबर 2021 से 1 नवम्बर, 2021 त्क सतर्कता सप्ताह मनाया गया।

सांविधिक अनुपालन

पूर्व-सैनिको को नौकरी

कंपनी पूर्व-सैंनिकों के रोजगार के लिए इस बारे में प्राप्त सरकारी निदेशों का पालन किया है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा प्राप्त निदेशों का पालन किया जाता है।

अजा, अजजा, अपिव के कर्मचारी

एचसीएल की तन इकाइयों मे से तीन के विनिवेश के परिणाम स्वरूप भर्ती पर प्रतिबंध था अतएंव कोई भर्ती नही किया गया। तथापि कंपनी अजा,अजजा,अपिव के पदोन्नति में आरक्षण के प्रति सरकारी निदेशों के लिए प्रतिबद्ध है। 31 मार्च,2022 को अजा,अजजा,अपिव के स्थाई कर्मचारियों की संख्या निम्नवत थी:-

कर्मचारियों की कुल संख्या	अजा कर्मचारियों की कुल संख्या	अजा कर्मचारियों का %	अजजा कर्मचारियों की कुल संख्या	अजजा कर्मचारियों का %	अपिव कर्मचारियों की कुल संख्या	अपिव कर्मचारियों का %
435	95	21.83	36	8.27	48	11.03

ऊर्जा संरक्षण एवं तकनीकी समाहन

कंपनी द्वारा ऊर्जा संरक्षण को नियमित रूप से प्राथमिकता दी जाती है। ऊर्जा खपत को कम करने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं।

कंपनी कानून, 2013 के अनुच्छेद 134 (2) (एम) से संबंधित नियम के अनुसार फार्म बी के अंतर्गत आवश्यक विवरण नहीं दिया गया है क्योंकि कंपनी की अनुसंधान एवं विकास की कोई गतिविधि नहीं है। सेवा उद्योग होने के कारण तकनिकी समाहन, अपनाने, नवाचार का प्रश्न कंपनी को लागू नहीं होता।

जमा

कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई जमा नहीं स्वीकार किया है।

प्रमुख एवं महत्व के आदेश

दिसम्बर, 2021 में जे एवं के सरकार ने जमीन के पट्टे को निरस्त करने की नोटिस जारी किया जिस पर सेंटोर लेक व्यू होटल, श्रीनगर स्थित है। कंपनी ने उपरोक्त निरस्तीकरण नोटिस का जबाब दिया। तथपि मार्च,2022 में जे एवं के सरकार ने जे एवं के सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जे को छुड़ाना) नियम,1988 के अंतर्गत ईस्टेट अधिकारी की नियुक्ति किया।

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

कंपनी कानून,2013 के अनुच्छेद 135(1) के अनुसार सीएसआर के प्रावधान उस कंपनी के लिए लागू होता है जिसका निवल संपत्ति रु.500 करोड़ हो या कुल व्यापारु.1000 करोड़ या किसी भी तीन लगातार वित्तीय वर्ष के दौरान निवल लाभ रु.5 करोड़ या अधिक रहा हो। चूकी कंपनी तत्काल तीन लगातार वित्तीय वर्ष के दौरान औषत निवल हानि में है,अतः वि.व. 2021-22 के दौरान कोई सीएसआर व्यय नहीं किया है।

विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं व्यय शून्य था।

आरटीआई कनून,2005 का अनुपालन

भारतीय होटल निगम लि. ने नागरिकों को सूचना प्रदान करने के लिए सूचन्न के अधिकार कानून के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया है।

कंपनी ने आरटीआई कानून के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों/ अपीलों से निपटने के लिए अपनी संरचना का विकेंद्रीकरण किया है और हमारे पास 4 सहायक जन-सूचना अधिकरी (एपीआईओ), 5 जन-सूचना अधिकारी (एपीओ) और एक अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किए गए है ताकि आवेदनों/ अपीलों का शीघ्रता से निपटान किया जा सके। वर्ष 2021-22 के दौरान 47 अनुरोध / अपील प्राप्त हुआ जिसमें से वर्ष के दौरान 44 का निपटान किया गया शेष 3 का निपटान वर्ष 2022-23 में किया गया।

यौन उत्पीड़न

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन-उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और समाधान) कानून, 2013 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत कमेटी का गठन करने के लिए प्रावधानों को लागू किया है। सभी कर्मचारी (स्थाई, ठेके के, अस्थाई, प्रशिक्षु) इसके द्वारा कवर किए जाते हैं।

2019-20 के दौरान यौन उत्पीड़न से संबंधित एक शिकायत प्राप्त हुआ। तथापि कोविड-19 क कारण जिसकी सुनवाई 2021-22 में भी जारी रहा और

इसे 2022-23 में अंतिम रूप से निपटाया गया। वर्ष 2021-22 के दौरान यौन उत्पीड़न के 3 मामले प्राप्त हुए। सभी 3 रिपोर्ट शिकायत कमेटी द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया और प्रबंधन द्वारा उचित कार्रवाई की गई।.

सहायक कंपनी/सं.उ./एसोसिएट कंपनी के बारे में सूचना

कंपनी के पास कोई भी सहायक कंपनी/ सं.उ./एसोसिएट कंपनी नहीं है।

महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता

वर्ष के दौरान, दिनांक- 02.03.2022 के स्थापना प्रमाणपत्र द्वारा कंपनी का पंजीकृत कार्यालय महाराष्ट्र राज्य से एनसीटी, दिल्ली में शिफ्ट किया गया।

जे एवं के सरकार द्वारा नियुक्त ईस्टेट अधिकारी ने 05.04.2022 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। विस्तृत जबाब देने के लिए कंपनी ने तीन सप्ताह का समय देने का 15.04.2022 को अनुरोध किया। तथापि ईस्टेट अधिकारी होटल परिसर को 45 दिनों में खाली करने के लिए 25.04.2022 को खाली करने का आदेश जारी किया। अपीलीय प्राधिकारी (जिलाधीश,श्रीनगर) के पास इसे चुनौती देते हुए अपील किया गया कंपनी कई बार कानूनी मामले को उच्चतम न्यायालय, जे एवं के उच्च न्यायालय में विवाद को सुलझाने के लिए गई। दिनांक 16.042022 ईस्टेट अधिकारी कंपनी के होटल परिसर में प्रवेश किया और कर्मचारियों को बाहर निकालकर सील कर दिया। कंपनी ने दिनांक 15.07.2022 को जे एवं के माननीय उच्च न्यायालय में यचिका दायर करके अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल किया। दिनांक 16.11.2022 को उच्च न्यायालय ने दिनांक 16.11.2022 के आदेश द्वारा कंपनी द्वारा दाखिल मामले का निपटान कर दिया और विवाद को एएमआरडी को भेज दिया परिणाम स्वरूप सिविल विमानन मंत्रालय द्वारा विवाद के निपटान के लिए प्रशासनिक उपाय के अंतर्गत एक कमेटी बनाई गई।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

एक विस्तृत प्रबंधन रिपोर्ट एवं विश्लेषण रिपोर्ट अलग से दिया गया है।

निदेशक मंडल की बैठक

कंपनी कानून, 2013 के अनुच्छेद 173 की आवश्यकतानुसार कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक का विवरण वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नवत है और कंपनी कानून के प्रावधानों के दो बैठकों के अंतर का पालन किया गया.

बोर्ड की बैठको का विवरण निम्नवत है:

क्र.सं.	बैठक की तारीख	बोर्ड की संख्या	उपस्थित निदेशकों की संख्या
254	29 जून 2021	4	4
255	04 अगस्त 2021	4	3
256	28 सितम्बर 2021	4	4
257	11 जनवरी 2022	4	4
258	30 मार्च, 2022	4	4

निदेशकों के दायित्व का विवरण:

कंपनी कानून, 2013 के अनुच्छेद 134(5) के प्रावधानों के अनुसार निदेशक गण पुष्टि करते हैं कि:

- वार्षिके लेखों को तयार करने में सामग्री विभाग के संबंध में स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखाकरण मानकों का पालन किया गया है।.
- निदेशकों ने ऐसे लेखाकरण नीतियों का नियमित चयन किया है जो निर्णय तथा अनुमान कर सके जो उचित हो और 31 मार्च 2022 को कंपनी के मामलों की और उसी अवधि के लिए कंपनी के लाभ या हानि का विवरण दे सके।
- निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए और निदेशकों की योग्यता और सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार फ्रॉड और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पकड़ने के लिए कंपनी कानून के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रेकार्ड रखने के लिए उचित और प्रर्याप्त ध्यान रखा है।
- कंपनी के गैर-सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते अनुच्छेद 134 (3)(ई) प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

- वार्षिक लेखों को `चलतेहुए संस्थान' के आधार पर तैयार किया गया है।
- निदशको ने उचित प्रणाली का परामर्श दिया है जिससे सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का पालन किया जा सके और ऐसे सिस्टम पर्याप्त हों तथा परिचालन में प्रभावी हों।

कार्पोरेट गवर्नेंस

बोर्ड में स्वतंत्र इदेशकों के नियुक्ति के अलावा कंपनी कार्पोरेट गवर्नेंस की सभी जरुरतों को लागू किया है। मामले क प्रशासनि मंत्रालय के साथ उठाया गया है। विस्तृतकार्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है जिसे अनुबंश-1 पर दिया गया है।

लेखापरीक्षक

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स जैन जगावत कामदार एण्ड कं, चार्टर्ड लेखापाल,मुंबई को कंपनी कानून, 2013 के अनुच्छेद 139 के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है।

साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

कंपनी कानून, 2013 के अनूच्छेद 204 और कंपनी (नियुक्ति एवं प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक) नियम 2014 के अनुसार कंपनी ने मेसर्स कौशल एवं एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए साचिविक लेखापरीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है। .

31 मार्च, 2021-22 के लिए साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अनुब्बंध-घ्प पर संलग्न किया गया है।

साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निहित राय पर प्रबंधन का उत्तर

स्वतंत्र निदेशक

(i) कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम 2014 के साथ पठित अनुच्छेद 149(4) के अनुसार कंपनी ने कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या में नियुक्ति नहीं किया है।.

(ii) कंपनी कानून के अनुच्छेद-177(2) के अनुसार कंपनी ने लेखापरीक्षा कमेटी में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जरूरतों को पूरा नहीं किया है।

(iii) कंपनी कानून के अनुच्छेद-178(1) के अनुसार कंपनी ने नामांकन एवं पारिश्रमिक कमेटी का गठन नहीं किया है।.

(iv) कंपनी कानून के अनुच्छेद-178(1) के अनुसार कंपनी ने नामांकन एवं पारिश्रमिक कमेटी में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जरूरतो को पूरा नहीं किया है।

प्रबंधन की राय

यह तथ्यपरक विवरण है।

1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी कानून 2013 के अनुच्छेद 149(4) के अनुसार आवश्यकता के अनुसार बोर्ड पर स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं किया गया है। कंपनी क आटिकल आफ एसोसिएशन के क्लाज (97) के अनुसार बोर्ड में निद्शकों की नियुक्ति नियंत्रक कंपनी एआई एसेट्स होल्डिंग कंपनी लि. से चर्चा करके सिविल विमानन मंत्रालय द्वारा किया जाता है और कंपनी का मामले में कोई भूमिका नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कंपनी उपरोक्त अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की गैर-नियुक्ति के कारण कंपनी कानून, 2013 के अनुसार कंपनी के बोर्ड के लेखापरीक्षा कमेटी और नामांकन एवं पारिश्रमिक कमेटी के संयोजन को पालन नहीं कर सकी है।

(v) कि कंपनी ने भारत के कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी साचिविक मानकों का सामान्यतः पालन किया है।

प्रबंधन की राय

नोट किया गया।

(vi) दिनांक 30.09.2021 को आयोजित सामान्य वार्षिक सामन्य बैठक और दिनांक 13.01.2022 को आयोजित अतिविशिष्ट सामान्य बैठक के लिए

दिनांक 05.04.2020 के सामान्य परिपत्र नं. 14/ 2020 और दिनाक 23.06.2021 के सामान्य परिपत्र नं.10/ 2021 की आवश्यकतानुसार फार्म एमजीटी-14 नहीं जमा नहीं किया है।

प्रबंधन की राय

कोविड-19 के कारण वर्ष के दौरान सामान्य बैठक विडियो कांफरेंग के माध्यम से आयोजित किया गया जिसके फार्म को निर्शारित समय के अंदर कंपनी रजिस्ट्रार के पास जमा करना है। कंपनी अपरोक्त आवश्यकता को पूरा करने की प्रक्रिया में है।

आंतरिक लेखापरीक्षक

कंपनी की नीतियों को लागू करने, इसकी संपत्तियों की रक्षा करने,फ्रॉड और गलतियों को रोकने और पकड़ने, लेखाकरण के रेकार्डों को सही और पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय से तैयार करने सहित अपने व्यापार के ठीक से और सक्षम रूप से संचालन के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कंपनी के पास है, जो कंपनी के संचालन के अनुरूप है।

मेसर्स एम.एस.पी. एण्ड कं. सनदी लेखापाल को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के पर्याप्तता और व्यापार प्रक्रिया की समीक्षा के लिए निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया गया है ताकि सभी कानूनों और विनियमों को लागू करना सुनिश्चित किया जा सके और संसाधनों का कम से कम उपयोग किया जा सके तथा वि.व. 2021-22 के लिए कंपनी की संपत्तीयों की सुरक्षा के जा सके।

ऋण, गारंटीज एवं निवेश

आलोच्य वर्ष के दौरान कंपनी कानून 2013 के अनुच्छेद 186 के अनुसार कंपनी के पास कोई ऋण, गारंटी एवं निवेश नहीं है। अतएंव अनुच्छेद 186 के प्रावधान कंपनी के लिए लागू नही होते।

संबंधित पार्टियों के साथ ठेके या व्यवस्था के बारे में विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ किए गए निष्पादन हाथ-हाथ किए गए और वे सामान्य व्यापार के आधार पर किए गए। प्रमोटरों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधन कर्मियों तथा अन्य पदनामित व्यक्तियों के साथ कंपनी द्वारा कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी निष्पादन नहीं किया गया जो व्यापक रूप से कंपनी के हित से टकराते हों।

कंपनी के सामान्य बैठक की स्वीकृति प्राप्त करने के बारे में अनुच्छेद 188 के उप-धारा (1) के प्रथम और द्वितीय प्रावधानों से छूट किसी अन्य सरकारी कंपनी के साथ किए गए ठेके के बारे में सरकारी कंपनी को प्रदान किया गया है।

सभी संबंधित पार्टी निष्पादनों को स्वीकृति के लिए लेखापरीक्षा कमेटी और निदेशक मंडल के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया।

ठेके या व्यवस्था या निषादनों के विवरण फार्म एओसी-2 में एतद्द्वारा अनुबंध-3 पर संलग्न है।.

लेखापरीक्षकों द्वारा फ्रॉड की रिपोर्टिंग

आलोच्य वर्ष के दौरान कोई फ्रोड नही हुआ जो कानून के अनुच्छेद 143(12) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा कमेटी और/ या बोर्ड को रिपोर्ट किया जाता है।

ऊर्जा खपत, तकनीकी समाहन, विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

(ए) ऊर्जा की खत एवं तकनीकी समाहनः आपकी कंपनी ने जहा कही संभव हुआ गैर-ऊर्जा नवीकरण योग्य संसाधनों का प्रयोग करने का हर प्रयास किया और ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों का प्रयोग किया।

(बी) विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

	(आईएनआर)
अर्जन	**शून्य**
व्यय	**शून्य**

जोखिम प्रबंधन

कंपनी निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए जोखिम प्रबंधन पॉलिसी परिचालित करने की प्रक्रिया में है:

- जोखिम प्रबंधन के सिद्धांत को एक स्वरूप प्रदान करना।
- कंपनी द्वारा जोखिम प्रबंधन के प्रति अपनाए जाने वाली अवधारणा को स्पष्ट करना।
- प्रभावी जोखिम प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना को परिभाषित करना।
- एक `जोखिम' संस्कृति विकसित करना जिससे सभी कर्मचारियों द्वारा जोखिम और सथ जुड़े अवसरों को पहचाना जा सकें तथा प्रभावी कार्रवाई के साथ उसके प्रति प्रतिक्रिया कर सकें।
- न्यूनतम नुकसान और लागत पर योजनाबद्ध और सहयोगी तरीके से वर्तमान एवं नए जोखिमों को पहचानना, आंकलन करना और उसका प्रबंध करना ताकि कंपनी के मानवीय,प्रत्यक्ष और वित्तीय संपत्तियों की रक्षा किया जा सके। .

वार्षिक रिटर्न

कानून के अनुच्छेद 93(3) और अनुच्छेद 134(3)(ए) के अनुपालन में 31 मार्च, 2022 का आपके कंपनी का रिटर्न कंपनी के वेबसाइट www.centaurhotels.com पर डाल दिया जाएगा। आगे एमजीटी 9 में वार्षिक रिटर्न को एतद्द्वारा अनुबंध-4 पर संलग्न है।

कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का विवरण:

क्र.सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख
1	श्री दीपक खुल्लर	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	5 नवम्बर 2020
2	श्रीमती थर्टी साइरस दलाल	मुख्य वित्तीय अधिकारी	11 फरवरी 2015
3	कु.श्यामला पी. कुंदर	कंपनी सचिव (01.04.2021 से 30.09.2021 तक)	11 जुलाई 2002
4	श्रीमती इशा जैन	कंपनी सचिव (01.10.2021 से)	1 अक्टूबर 2021

स्वतंत्रता की घोषणा

एचसीआई एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेट की सहायक कंपनी है। कंपनी के आर्टिकल आफ एसोसिएशन के अनुच्छेद 97 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशकों की संख्या तीन साल से कम और पंद्रह साल से अधिक नहीं होगा। वे सभी एआई एसेट्स होल्डिंगलि./प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे जो भारत-सरकार के निदेशों पर निर्भर होगा।

आर्टिकल के उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सिविल विमानन मंत्रालय से एचसीआई के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया है तथापि नियुक्ति की प्रतीक्षा है।

निदेशक गण एवं प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी के निदेशकों और केएमपी में निम्नलिखित परिवर्तन हुआ है ।

क्र.सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	सेवामुक्ति की तारीख
1	श्री राजीव बंसल, सचिव एमओसीए	एआई एसेट्स होल्डिंग लि. नामिनी निदेशक	14.02.2020	11.01.2022
2	श्री विमलेंद्र आनन्द परवर्धन, जेएस एवं एफए	एआई एसेट्स होल्डिंग लि. नामिनी निदेशक	20.03.2020	11.01.2022
3	श्रीमती अम्रिता शरन, निदेशक कार्मिक, एआई एसेट्स होल्डिंग लि.	एआई एसेट्स होल्डिंग लि. नामिनी निदेशक	11.09.2020	11.01.2022

4	श्री सत्येंद्र कुमार मिश्रा, एमडी, एआईएएचएल एवं जेएस,एमओसीए	एआई एसेट्स होल्डिंग लि. अध्यक्ष एवं नामिनी निदेशक	11.01.2022	27.01.2022
5	श्री जोवंता चक्रवर्ती, निदेशक, एमओसीए	एआई एसेट्स होल्डिंग लि. नामिनी निदेशक	11.01.2022	11.02.2022
6	श्री प्रांजोल चंद्र, निदेशक एमओसीए	एआई एसेट्स होल्डिंग लि. के नामिनी निदेशक	11.01.2022	
7	श्री विक्रम देव दत्त	एआई एसेट्स होल्डिंग लि. अध्यक्ष एवं नामिनी निदेशक	27.01.2022	
8	श्रीमती रुबीना अली, जेएस,एमओसीए	एआई एसेट्स होल्डिंग लि. नामिनी निदेशक	11.02.2022	
9	श्री दीपक साजवान, उप सचिव,एमओसीए	एआई एसेट्स होल्डिंग लि. नामिनी निदेशक	11.02.2022	

महिला निदेशक

सिविल विमानन मंत्रालय (एमओसीए) द्वारा जारी दिनांक 11.02.2022 के का.ज्ञा. द्वारा एचसीआई के बोर्ड के गठन के लिए श्रीमती रुबिना अली को दिनांक 11.02.2022 से कंपनी के बोर्ड में महिला निदेशक एवं नामिनी निदेशक नियुक्त किया गया।

प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी (केएमपी)

क्र.सं.	नाम	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	सेवामुक्ति की तारीख
1	श्रीमती कुम श्यमला पी. कुंदर	कंपनी सचिव	11.07.2002	30.09.2021
2	श्रीमती इशा जैन	कंपनी सचिव	01.10.2021	22.08.2022

कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय के 5 जून 2015 की अधिसूचना द्वारा स्वीकृत छूट को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित मदों की सूचना नहीं दी गई है:

i. बोर्ड इसकी कमेटियों और व्यक्तियों के निष्पादन मुल्यांकन
ii. निदेशकों का चयन और उनकी नियुक्ति एवं उनके पारिश्रमिक के लिए पॉलिसी
iii. पारिश्रमिक पॉलिसी- कार्यकारी एवं गैर-कार्यकारी निदेशकों के लिए पारिश्रमिक
iii. संबंधित पार्टी लेन-देन

कंपनी के किसी अन्य सरकारी कंपनी के साथ थेका या प्रबंध के लिए शेयरधारकों से स्वीकृति लेने के अनुच्छेद 188 के प्रावधानों उपरोक्तअधिसूचना द्वारा यद्यपि छूट प्राप्त है, इसके लिए निदेशक मंडल की स्वीकृति लेना आवश्यक है। तदनुसार रु.11.36 करोड़ के लिए वर्ष 2021-22 के लिए एयर इंडिया लिमिटेड के साथ किए गए संबंधित पार्टी निष्पादन के लिए बोर्ड से स्वीकृति लिया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर कंपनी कानून, 2013 के अनुच्छेद 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 9कोईटिप्पणी" नहीं किया है।

साचिविक मानकों का अनुपालन

कंपनी कानून, 2013 के अनुच्छेद 118(10) के अंतर्गत भारत के कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी साचिविक मानकों को लागू होने की सीमा तक आपकी कंपनी द्वारा लागू किया गया है।

इनसॉल्वेंसी एवं बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंतर्गत किए गए आवेदन या लंबित कार्यवाही का विवरण

आलोच्य वर्ष के दौरान इनसॉल्वेंसी एवं बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंतर्गत कोई आवेदन नही किया गया या नहीं कार्यवाही ही लंबित है।

मुल्यांकन राशि पर एक समय निपटान और बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के समय मुल्यांकन के बीच अंतर का विवरण

आलोच्य वर्ष के दौरान बैंको और वित्तीय संस्थानो से लिए गए ऋण का कोई एक सम्य निपटान नहीं किया गया है।

आभार

निदेशक गण कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दिए गए समर्थन एवं सहयोग के लिए उनकी प्रशंशा करते है। बोर्ड सिविल विमानन मंत्रालय, एयर इंडिया लिमिटेड, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड से प्राप्त समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए अपनी कृतज्ञता एवं आभार प्रकट करना चाहता है। निदेशक गण भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षकों, लेखपरीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं।.

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/-
विक्रम देव दत्त
अध्यक्ष

दिनांक : 10 फरवरी 2023
स्थल : नई दिल्ली

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

आर्थिक माहौल

वैश्विक आर्थिक गतिविधि कई दशकों में देखी गई मुद्रास्फीति की तुलना में व्यापक-आधारित और अपेक्षा से अधिक तीव्र मंदी का अनुभव कर रही है। जीवित रहने की लागत का संकट, अधिकांश क्षेत्रों में वित्तीय स्थितियों को कड़ा करना, यूक्रेन पर रूस का आक्रमण, और सुस्त ण्व्न्ब्3-19 महामारी सभी दृष्टिकोण पर भारी पड़ते हैं। वैश्विक विकास 2021 में 6.0 प्रतिशत से 2022 में 3.2 प्रतिशत और 2023 में 2.7 प्रतिशत तक धीमा होने का अनुमान है। वैश्विक वित्तीय संकट और COVID-19 महामारी के तीव्र चरण को छोड़कर 2001 के बाद से यह सबसे कमजोर विकास प्रोफ़ाइल है।

वैश्विक मुद्रास्फीति 2021 में 4.7 प्रतिशत से बढ़कर 2022 में 8.8 प्रतिशत होने का अनुमान है, लेकिन 2023 में घटकर 6.5 प्रतिशत और 2024 तक 4.1 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। मौद्रिक नीति के अनुरूप पर्याप्त रूप से कड़ा रुख बनाए रखते हुए जीवन-यापन के दबाव। संरचनात्मक सुधार उत्पादकता में सुधार और आपूर्ति बाधाओं को कम करके मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई का समर्थन कर सकते हैं, जबकि हरित ऊर्जा संक्रमण को तेजी से ट्रैक करने और विखंडन को रोकने के लिए बहुपक्षीय सहयोग आवश्यक है।
(स्रोतः आईएमएफ)

वैश्विक आतिथ्य और पर्यटन उद्योग

वैश्विक पर्यटन 2021 में महामारी की बार-बार आने वाली लहरों और परिणामस्वरूप यात्रा प्रतिबंधों के पुनः लागू होने से प्रभावित होना जारी रहा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन (UNWTO) के आंकड़ों के अनुसार, 2021 के लिए दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन 421 मिलियन था, जो 2020 की तुलना में 4.6% अधिक था, लेकिन 2019 की तुलना में 71.3% कम था। निरपेक्ष संख्या में, दुनिया भर के गंतव्यों पर अंतर्राष्ट्रीय आगमन 2019 के पूर्व-महामारी स्तरों की तुलना में 2021 में अभी भी एक अरब यात्रियों से कम था। एशिया और प्रशांत ने 2021 में अंतर्राष्ट्रीय आगमन में 2020 की तुलना में 64.7% की पूर्ण गिरावट दर्ज की। दक्षिण एशिया में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन 5.7 मिलियन था, जो 2020 से 42.9ङ और 2019 से 83.1% कम था। 2019 में, दक्षिण एशिया में 33.7 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन हुआ था। अन्य क्षेत्रों में, 2021 में उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन क्रमशः 22.2% और 13.9% बढ़ा, जबकि मध्य पूर्व में 8.3% की गिरावट आई। ये सभी क्षेत्र अपने पूर्व-महामारी के स्तर से बड़े अंतर से पीछे चल रहे हैं। जनवरी 2022 में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन यानी ओवरनाइट विजिटर्स में 130ङ की वृद्धि हुई, जो 18 मिलियन अधिक है। भले ही जनवरी 2022 के दौरान आगमन में वृद्धि 2020 की तुलना में पूरे 2021 के समान थी, यह जनवरी 2019 के पूर्व-महामारी स्तर की तुलना में 67.1% कम थी। दक्षिण एशिया ने जनवरी 2022 की तुलना में जनवरी 2022 में आगमन में 135.3% की वृद्धि दर्ज की। 2021 में उसी महीने। उत्साहजनक परिणाम COVID-19 वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण और कई देशों में यात्रा प्रतिबंधों को फिर से शुरू करने से प्रभावित हुए। वायरस की इस लहर के कम होने की जगह यूरोप और दक्षिण एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने ले ली। (स्रोतः UNWTO, बैरोमीटर मार्च 2022

वैश्विक अर्थव्यवस्थाः समीक्षा में वर्ष

COVID-19 महामारी के नए रूपों के पुनरुत्थान के साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था ने अपने सुधार के मार्ग को फिर से शुरू कर दिया है। पहली लहर के दौरान लगाए गए शुरुआती राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद, कुछ ही देशों ने वायरस को नियंत्रित करने के लिए जीरो टॉलरेंस नीतियों का सहारा लिया। इसके विपरीत, सरकारों ने बाद की लहरों को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय नियंत्रण उपायों का सहारा लेते हुए COVID-19 के उचित व्यवहार , स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे में सुधार, परीक्षण के कवरेज में वृद्धि और व्यापक टीकाकरण अभियान को प्रोत्साहित किया। कैलेंडर वर्ष 2020 में 3.1% के संकुचन के बाद, 2021 में वैश्विक विकास दर 6.1% रहने का अनुमान है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए 2021 के विकास का अनुमान 5.2% है, जबकि उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए 6.8% का अनुमान लगाया गया है। इसी अवधि के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के लिए आर्थिक विकास का अनुमान 5.7% और यूनाइटेड किंगडम (यूके) का 7.4% है। उभरती और विकासशील एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के 7.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है, भारतीय अर्थव्यवस्था के 8.9% और चीन के 8.1% के बढ़ने का अनुमान है। मालदीव, दक्षिण अफ्रीका और नेपाल की अर्थव्यवस्थाओं के क्रमशः 33.4%, 4.9% और 2.7% बढ़ने का अनुमान है, जबकि भूटान के 2021 में 3.7% तक अनुबंधित होने का अनुमान है। (स्रोतः अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) - विश्व आर्थिक आउटलुक) - अक्टूबर 2021 और अप्रैल 2022)

हाल ही में, राष्ट्रों में मुद्रास्फीति के रुझान से उत्पन्न कठिन आर्थिक स्थिति, यूरोप में भू-राजनीतिक स्थिति से महामारी के कारण आपूर्ति-पक्ष में व्यवधान और एक उत्परिवर्तित वायरस के नए तनाव की संभावनाएं वैश्विक विनिर्माण और व्यापार को बाधित करने की धमकी देती हैं जिससे सामान्य आर्थिक भावना प्रभावित होती है। इस संदर्भ में, वैश्विक अर्थव्यवस्था के 2022 और 2023 में 3.6% की दर से बढ़ने का अनुमान है। यूएसए के 2022 में 3.7% और 2023 में 2.3% बढ़ने का अनुमान है जबकि यूके के 2022 में 3.7% और 2022 में 1.2% बढ़ने का अनुमान है। 2023 आईएमएफ 2022 में भारत के लिए 8.2% और 2023 में 6.9% की वृद्धि दर का अनुमान लगाता है, जबकि चीन को 2022 में 4.4% की मामूली दर से बढ़ने का अनुमान है जो 2023 में 5.1% तक बढ़ जाएगा। उभरते और विकासशील एशिया को बढ़ने का अनुमान है 2022 में 5.4% और 2023 में 5.6%। मालदीव, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल और भूटान की अर्थव्यवस्थाओं को 2022 में 6.1%, 1.9%, 4.1% और 4.4% और 8.9%, 1.4%, 6.1% और 2023 में क्रमशः 4.5%। (स्रोतः आईएमएफ - वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक - अप्रैल 2022)

भारतीय अर्थव्यवस्था: समीक्षाधीन वर्ष

भारत सरकार के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के 31 मई, 2022 के प्रेस नोट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय जीडीपी वित्त वर्ष 2020-21 में 6.6% के संकुचन की तुलना में 8.7% बढ़ी। वित्त वर्ष 2021-22 में निजी खर्च से कुल खपत में 7.0% की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2021-22 में वस्तुओं और सेवाओं दोनों का निर्यात असाधारण रूप से मजबूत रहा है और इसमें 24.3% की वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2021-22 में उच्च अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों में 35.5% की वृद्धि के साथ-साथ घरेलू मांग में सुधार के साथ आयात में भी जोरदार सुधार हुआ। सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) के संदर्भ में, अन्य उद्योगों की तुलना में कृषि क्षेत्र सबसे कम प्रभावित था और वित्त वर्ष 2020-21 में 3.3% की वृद्धि के बाद वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 3% की वृद्धि हुई। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाएं, जो समग्र सेवाओं का लगभग एक तिहाई है, में 11.1% की वृद्धि हुई। भारतीय रियल एस्टेट बाजार, जो मुद्रास्फीति-सबूत साबित हुआ है, ने वित्त वर्ष 2021-22 में महत्वपूर्ण पुनरुद्धार दिखाया है। भारत का भुगतान संतुलन पिछले दो वर्षों के दौरान अधिशेष में बना रहा, जिसने भारतीय रिजर्व बैंक को 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के विदेशी मुद्रा भंडार में एक मजबूत स्थिति बनाए रखने में सक्षम बनाया। अप्रैल 2022 की अपनी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2022-23 में वास्तविक GDP के 7.2% बढ़ने का अनुमान लगाया है। कई उच्च आवृत्ति संकेतक जैसे। फरवरी और मार्च 2022 के दौरान रेलवे भाड़ा, जीएसटी संग्रह, बिजली की मांग, पूंजीगत वस्तुओं के आयात आदि ने मजबूत वृद्धि प्रदर्शित की है। सामान्य आर्थिक स्थिति की बेहतर भावनाओं के पीछे उपभोक्ता आशावाद में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 'द इकोनॉमिस्ट' - 14 मई, 2022 संस्करण के अनुसार, भारत के दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था होने की उम्मीद है। जबकि अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में बढ़ रही है, काला सागर क्षेत्र में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है, वैश्विक व्यापार में गति का नुकसान और भविष्य की लहरों का जोखिम COVID-19 संक्रमण वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनुरूप भारत के दृष्टिकोण के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा करता है। इसके अलावा, मई 2022 में आरबीआई ने ब्याज दरों में 40 आधार अंकों की बढ़ोतरी करते हुए मौजूदा उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति पर विचार किया। (स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति रिपोर्ट - अप्रैल 2022 और मई 2022)

आउटलुक

कोविड-19 वायरस की बाद की लहरों के परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधि और गतिशीलता में तेजी से 'वी-आकार' की रिकवरी हुई है और आजीविका में तुलनात्मक रूप से कम व्यवधान हुआ है। यह उच्च टीकाकरण आबादी, ओमिक्रॉन वेरिएंट की कम-मृत्यु-त्वरित रिकवरी दर और देश में बेहतर स्वास्थ्य देखभाल तैयारियों से भी मजबूत हुआ। इन कारकों के परिणामस्वरूप उच्च उपभोक्ता विश्वास हुआ है जिससे देश के भीतर यात्रा और पर्यटन की संभावनाओं में सुधार होने की उम्मीद है। जबकि विभिन्न राज्य सरकारों ने क्षेत्रीय यात्रा प्रतिबंधों में ढील दी है, भारत सरकार ने हाल ही में आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अपने COVID-19 रोकथाम उपायों को समाप्त कर दिया और नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू कर दीं, जिससे भारत में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन का मार्ग प्रशस्त हुआ। भारतीय पर्यटन उद्योग ने अंतरराष्ट्रीय आवक यात्रा के बिना और व्यावसायिक यात्रा के निचले स्तर के साथ ।90इ की चरम व्यस्तता हासिल की। इन खंडों के पलटाव की शुरुआत के साथ मांग पूर्वानुमान के मजबूत होने की उम्मीद है। ग्राहक अधिग्रहण, संबंध निर्माण, उद्योग सम्मेलनों, प्रदर्शनियों और ट्रेडशो के उद्देश्यों के लिए कॉर्पोरेट व्यापार यात्रा फिर से शुरू होने की अधिक संभावना है। अवकाश स्थलों के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रियों में वृद्धि के साथ-साथ शादियों, सम्मेलनों और कार्यक्रमों के लिए आने वाली यात्रा के साथ-साथ घरेलू यात्रियों के बीच दबी हुई मांग से व्यस्तता में और वृद्धि होने की उम्मीद है। ब्रांडेड आवासों में अनुकूल मांग-आपूर्ति समीकरण के साथ-साथ कमरों की बढ़ती मांग से औसत कमरे दरों में उत्तरोत्तर सुधार होना चाहिए। इसकी पुष्टि अप्रैल 2022 के कारोबारी प्रदर्शन से होती है, जो अप्रैल 2019 के मुकाबले बेहतर था। 'न्यू नॉर्मल' से ग्राहकों के नए वर्ग आने की उम्मीद है और भरोसेमंद, ब्रांडेड होटल चेन इस तरह के अवसरों का लाभ उठाने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में होंगी। . उद्योग को अचल संपत्ति के प्रति वर्ग फुट राजस्व को अधिकतम करने के लिए लगातार सहायक राजस्व धाराओं का पता लगाने की आवश्यकता होगी जिससे इसकी राजस्व सृजन क्षमताओं की रक्षा हो सके

अंत में, सड़क, रेलवे, मेट्रो-रेलवे, हवाई अड्डे और बंदरगाहों सहित सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकास भारत में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास में सहायता करेगा। उद्योग के साथ-साथ सरकारी मंत्रालयों के समन्वित प्रयासों से जुड़े इन निवेशों से आगे चलकर भारतीय यात्रा और पर्यटन के विकास के लिए बड़ी प्रेरणा मिलनी चाहिए।

कंपनी का दृष्टिकोण

वर्ष 2021-22 के लिए खंडवार रिपोर्टिंग:

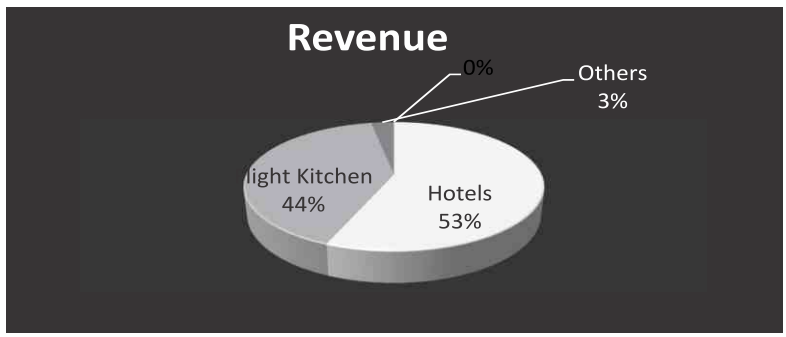

(रु. लाखों में)

विवरण	होटल	फ्लाइट किचन	अन्य	कुल
राजस्व	185.39	155.45	11.52	352.36
प्रचालन लाभ/ (हानि)	(192.31)	(114.09)	(11.25)	(317.65)
निवल लाभ / (हानि)	(228.78)	(119.12)	494.61	(842.51)

आपकी कंपनी ने वि.व. 2021-22 में प्रमुख रूप से वर्ष की प्रथम छमाही में व्यापारिक रूप से कोविड-19 और परिणामतः केंद्र सरकार तथा विभिन्न राज्य-सरकारों द्वारा लगाए गए आंशिक लॉकडाउन के कारण कम व्यापार किया।.

जोखिम कम करने की रणनीति

कंपनी इसके विनिवेश के बाद एयर इंडिया लिमिटेड पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए प्रयास कर रही है।:

- यह अपने प्रचालन मानको को संवर्धित करने के लिए प्रतिभाओं की तरासने के प्रयास में है ताकि कंपनी गैर-एयर इंडिया इकाइयों से व्यापार को आकर्षित कर सके।
- यह अन्य व्यापारिक क्षेत्रों की संभावनाओं द्वारा व्यापारिक जोखिम को कम करने का प्रयास कर रही।

अपने प्रचालनों पर कोविड–19 के भावी प्रभाव का अनुमान

चूंकी स्थिति विशिष्ट है और तेजी से परिवरित हो रही है अतः कंपनी अपने प्रचालन पर भावी प्रभाव के प्रति निश्चिंत होने की स्थिति में नहीं है। हमारा विश्वास है, थोड़े समय में बिक्री की मात्रा और लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ेगा और महामारी के समाधान के प्रचालन धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। तथापि कंपनी बदलते व्यापारिक परिवेश को अपनाने और ग्राहकों की जरुरतों को पूरा करने के प्रति विश्वस्त है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आपकी कंपनी के आंतरिक लेखापरीक्षक समय-समय पर कंपनी के निष्पादनों की लेखापरीक्षा करते हैं। रेकार्डिंग और रिपोर्टिंग को पर्याप्त और उचित रूप से सुनिश्चित करते हैं। आंतरिक लेखापरीक्षा इसकी भी जांच करता है कि क्या सिस्टम में आंतरिक नियंत्रण और जांच तथा संतुलन पर्याप्त, उचित और अप-टू-डेट है। सिस्टम में किसी कमी जिसे लेखाररीक्षा में बताया जाता है, उसे सही करने की कार्रवाई की जाती है। प्रबंधन डि्जटाइजेशन को लागू करने और आंतरिक नियंत्रण उपायों को एकीकृत करने की संभावनाओं का पता लगा रहा है।

चलता हुआ संस्थान

कंपनी निश्चित लागत को कम करने, संसाधनो को कम करने, टॉपलाइन को संवर्धित करने सभी संभावनाओं का पता लगाने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है।

प्रबंधन का विश्वास है कि घरेलू यात्री, कैटरिंग, सामाजिक और लेजर सेक्टर होटल व्यापार के पुनर्जीवन के लिए आवश्यक हैं।.

कंपनी एयर इंडिया के अलावा एयर इंडिया से संबर्धित मांग का लाभ उठाने के लिए उपयोग क्षमता को बढ़ाकर चेफेयर के चारो ओर के लिए काम कर रही है।

कंपनी अन्य क्षेत्रों में भी संभावनाओं का पता लगा रही है तथा संबंधित उत्पादों और वितरण विस्तार में प्रवेश कर रही है।

प्रबंधन सकारात्मक रूप से सोच रही हे कि अपने सभी स्टेकधारकों और कंपनी के अपने मानव पूंजी की सहायता से परिवर्तन लाने में सफल होगी।.

****

अनुबंध - I

कार्पोरेट गवर्नेंस

1. कार्पोरेट गवर्नेंस पर कंपनी का दर्शन

कंपनी दृढ़ता से अच्छे कार्पोरेट गवर्नेंस में विश्वास करती है और उसी का पालन करती है। कंपनी का आवश्यक चरित्र पारदर्शिता, पेशेवराना और दायित्वबोध निर्मित होता है। कंपनी कार्पोरेट गवर्नेंस के उच्च स्तरीय मानकों के प्रति प्रतिबध्द है। कार्पोरेट गवर्नेंस के संबंध में कंपनी का दर्शन अपने सभी प्रचालनों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना,खुलासे करना और कानूनों एवं विनियमों के अंदर सभी स्टेकधारकों के मुल्यों को संवर्धित करना है।

2. निदेशक मंडल

वर्तमान में भारत-सरकार के अंतर्गत एआई एसेट्स होल्डिंग लि. का एक उपक्रम भारतीय होटल निगम लिमिटेड (एचसीआई) सर्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी है। 01.04.2021 से 11.01.222 तक एचसीआई एयर इंडिया लि.(एआई) की एक सहायक कंपनी था। तथापिएआई के विनिवेश और एआईएसएएम के निर्णय के अनुसार एचसीआईमें एआई के निवेश को एसेट्स होल्डिंग लि. (एआईएएचएल) को दिनांक 11.01.2022 को अंतरित कर दिया गया और तदनुसार सिविल विमानन मंत्रालय (एमओसीए) दिनांक11.01.2022, 27.01.2022 और 11.02.2022 को का.ज्ञा. जारी करके एचसीआई के निदेशक मंडल का पुनर्गठन किया।

इसके निदेशकों की नियुक्ति नियंत्रक कंपनी / प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया गया। कंपनी के आर्टिकल आफ एसोसिएशन के अनुसार निदेशकों की संख्या तीन से कम और पंद्रह से अधिक नहीं होगी। सभी की नियुक्ति नियंत्रक कंपनी / प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

दिनांक 11.02.2022 के एमओसीए के आदेश द्वारा एचसीआई के बोर्ड का संयोजन निम्नवत है:

31 मार्च 2022 को निदेशक मंडल

1.	श्री विक्रम देव दत्त अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	- नामिनी निदेशक
2.	श्रीमती रुबिना अली सं. सचिव सिविल विमानन मंत्रालय	- नामिनी निदेशक
3.	श्री प्रांजोल चंद्र निदेशक सिविल विमानन मंत्रालय	- नामिनी निदेशक
4.	श्री दीपक साजवान उप सचिव सिविल विमानन मंत्रालय	- नामिनी निदेशक

श्री राजीव बंसल, अध्यक्ष, श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन एवं श्रीमती अम्रिता शरन, नामिनी निदेशक दिनांक 31.12.2021 के एमओसीए के का.ज्ञा, द्वारा दिनांक 11.02.2022 से एचसीआइ के नामिनी निदेशक से सेवामुक्त हुई तथा श्री पांजोल चंद्र, निदेशक, एमओसीए और श्री जोयंता चक्रवर्ती,निदेशक,एमओसीए को एचसीआई के बोर्ड पर नामिनी निदेशक नियुक्त किया गया।

आगे दिनांक 11.01.2022 के का.ज्ञा. के अनुसार श्री सत्येंद्र कुमार मिश्र को एआई एसेट्स होल्डिंग लि. का अतिरिक्त प्रभार दिया गया अतएंव वे एचसीआई के बोर्ड पर नामिनी निदेशक बने रहेंगे।

आगे दिनांक 27.01.2022 और 11.02.2022 कोएमओसीए द्वारा एचसीआई के बोर्ड के पुनर्गठन के लिए जारी का.ज्ञा.के अनुसार श्री सत्येंद्र कुमार मिश्र,सं.स. एमओसीए और श्री जोयंता चक्रवर्ती, निदेशक, एमओसीए एचसीआई के निदेशक के पद से मुक्त हुए त्थ श्री विक्रम देव दत्त, सीएमडी-एआईएएचएल, श्रीमती रुबिना अली, सं.स एमओसीए, और श्री साजवान, उप-सचिव. एमओसीए को एचसीआई के बोर्डपर नियुक्त किया गया।

चूंकी दिनांक 11.02.2022 के एमओसीएकेआदेशद्वारा बोर्ड के पुनर्गठन में अध्यक की पोजीशन का उल्लेख नहीं किया गया है अतः दिनांक

27.02.2022 के परिपत्र संअल्प नं. 60 द्वारा श्रीविक्रम देव दत्त को एचसीआई के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया और आगे एमओसीए/ नियंत्रक कंपनी द्वारा आगे किसी अनुदेश तक एक आवश्यक संकल्प पारित किया गया।

अपने कार्यकाल में कंपनी के बोर्ड में श्री राजीव बंसल, अध्यक्ष,श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन, जेएस एवं एफए,एमओसीए, श्री सत्येंद्र कुमार मिश्र, जेएस, एमओसीए, श्री जोयंता चक्रवर्ती, निदेशक, एमओसीए, और अम्रिता शरन, निदेशक द्वारा किए गए बहुमूल्य सेवाओं के लिए बोर्ड प्रशंशा करता है।

बोर्ड बैठकों, वार्षिक सामान्य बैठक, उनमें निदेशकों की उपस्थिति, निदेशकों द्वारा निदेशकशिप और कमेटी की स्थिति का विस्तृत विवरण निम्नवत है:
3.बोर्ड की बैठकें

नीचे दिए दिनांक को वित्तीय वर्षके दौरान पांच बैठकें आयोजित की गई:

254वीं बोर्ड बैठक	29 जून 2021
255वीं बोर्ड बैठक	04 अगस्त 2021
256वीं बोर्ड बैठक	28 सितम्बर 2021
257वीं बोर्ड बैठक	11 जनवरी 2022
258वीं बोर्ड बैठक	30 मार्च 2022

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान बोर्ड/शेयरधारकों की बैठक में उपस्थिति सहित तथा निदेशकों का विवरण–

निदेशक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों उपस्थिति	अन्य कंपनियों में निदेशकशिप का विवरण	कमेटीयों में सदस्यता
श्री राजीव बंसल सीएमडी-एयर इंडिया लि. (11 जनवरी 2022 तक)	आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियर, हैदराबाद से वित्त, आईसीअएफएआई में डिप्लोमा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक्स. मास्टर्स, अईआईएफटी, दिल्ली	4	अध्यक्ष एवं एमडी एयर इंडिया लि. अंशकालिक अध्यक्ष, एयर इंडिया एक्स्प्रेस लि.., • एआई एयरपोर्ट लि., • एआई इंजिनीयरिंग सर्विसेस लि. • एलाएंस एयर एविएशन लि., • भारतीय होटल्निगम लि., निदेशक • एयर इंडिया सैट्स यरपोर्ट सर्विसेस प्रा.लि.., • एयर मारीसस लि. एवं एयर मारीसस होल्डिंग लि.,भारत यात्रा निगम	सभी सदस्य नामांकन एवं पारिश्रमिक कमेटी एआईएएसएल अध्यक्ष निगमित सामाजिक दायित्व कमेटी सदस्य लेखा परीक्षा कमेटीा एचसीआई सदस्य लेखापरीक्षा कमेटी
श्रीमती अमृता शरण निदेशक (कार्मिक)- एयर इंडिया लिमिटेड (11 जनवरी 2022 तक)	बीए-ईको. (ऑनर्स), एमबीए	5	निदेशक • एयर इंडिया लिमिटेड • एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, • होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	सदस्य ऑडिट कमेटी - एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड सीएसआर समिति- एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड

सरकारी निदेशक

निदेशक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों उपस्थिति	अन्य कंपनियों में निदेशकशिप का विवरण	कमेटीयों में सदस्यता
श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (11 जनवरी 2022 तक)	बी कॉम आईएएस	5	निदेशक • एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, • एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, • एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, • पवन हंस लिमिटेड, • भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA), • सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई)।	अध्यक्ष 1. ऑडिट कमेटी - एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड और; एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, 2. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति- भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, 3. हितधारक संबंध समिति- भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड ([illegible]), सदस्य 1. ऑडिट कमेटी - इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए), सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई), एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड, पवन हंस लिमिटेड, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2. सीएसआर समिति -एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड 3. पारिश्रमिक समिति : भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 4. एनपीए और दबावग्रस्त परिसंपत्ति समाधान समिति: भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड 5. जोखिम प्रबंधन समिति इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

निदेशक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों उपस्थिति	अन्य कंपनियों में निदेशकशिप का विवरण	कमेटीयों में सदस्यता
श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा संयुक्त सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (27 जनवरी 2022 तक)	एम.टेक (अनुप्रयुक्त भूविज्ञान) एमए (सार्वजनिक नीति में)	4	<u>निदेशक</u> • होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, • एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, • एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	<u>एआईएल</u> <u>अध्यक्ष</u> नामांकन और पारिश्रमिक समिति कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति उड़ान सुरक्षा समिति <u>सदस्य</u> लेखा परीक्षा समिति चयन समिति शेयर आवंटन समिति <u>एआईएएसएल</u> <u>सदस्य</u> लेखा परीक्षा समिति कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति <u>एआईईएसएल</u> <u>अध्यक्ष</u> कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति <u>सदस्य</u> लेखा परीक्षा समिति <u>एचसीआई</u> <u>सदस्य</u> लेखा परीक्षा समिति <u>एआईएएचएल</u> <u>सदस्य</u> लेखा परीक्षा समिति
श्री प्रांजल चंद्रा, निदेशक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (11 जनवरी 2022 से)	बीई मैकेनिकल	2	<u>निदेशक</u> • एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड, • एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड सर्विसेज लिमिटेड, • होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	<u>एएएएल</u> <u>सदस्य</u> लेखा परीक्षा समिति एचआर कमेटी उड़ान सुरक्षा समिति <u>एचसीआई</u> <u>सदस्य</u> लेखा परीक्षा समिति

निदेशक का नाम	शैक्षणिक योग्यता	वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों उपस्थिति	अन्य कंपनियों में निदेशकशिप का विवरण	कमेटीयों में सदस्यता
श्री जॉयंता चक्रवर्ती, निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय के निदेशक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (11 जनवरी 2022 से 11 फरवरी 2022 तक)	आईआरएसईईः 2006	1	<u>निदेशक</u> • होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	
श्री विक्रम देव दत्त अध्यक्ष (27 जनवरी 2022 से)	बीटेक. और पीजीडीएम, आईएएस (यूटीः 93)	1	<u>अध्यक्ष</u> एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड, होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड <u>निदेशक</u> पोर्ट ब्लेयर स्मार्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	<u>एएएएल</u> <u>अध्यक्ष</u> एचआर कमेटी उड़ान सुरक्षा समिति सदस्य लेखा परीक्षा समिति <u>एएएसएल</u> <u>अध्यक्ष</u> कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति <u>सदस्य</u> लेखा परीक्षा समिति <u>एआईईएसएल</u> <u>अध्यक्ष</u> कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति <u>सदस्य</u> लेखा परीक्षा समिति <u>एआईएएचएल</u> <u>सदस्य</u> लेखा परीक्षा समिति
श्रीमती रुबीना अली संयुक्त सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (11 फरवरी 2022 से)	पीजीडीएम	1	<u>निदेशक</u> एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड	
श्री. दीपक सजवान, उप सचिव, नागरिक उड्डयन मंत्रालय (11 फरवरी 2022 से)	पीजीडीएम	1	<u>निदेशक</u> एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड	<u>एएएएल</u> <u>सदस्य</u> लेखा परीक्षा समिति एचआर कमेटी उड़ान सुरक्षा समिति <u>एचसीआई</u> <u>सदस्य</u> लेखा परीक्षा समिति

4. बोर्ड की प्रक्रिया

निदेशक मंडल की बैठकें आम तौर पर नई दिल्ली में एयर इंडिया के मुख्यालय में या किसी अन्य स्थान पर निदेशक की सुविधा पर वीडियो सी कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या भौतिक रूप से आयोजित की जाती थीं। हालांकि, होल्डिंग कंपनी को एयर इंडिया लिमिटेड से एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड में बदलने के साथ, आगे की बैठकें एआई एसेट्स होल्डिंग मुख्यालय कार्यालय या कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं। बैठकें पहले से निर्धारित हैं। अत्यावश्यकता या अत्यावश्यकता के मामले में, संचलन द्वारा संकल्प पारित किए जाते हैं। कंपनी के परिचालन प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए बोर्ड की तिमाही में कम से कम एक बार बैठक होती है। बैठकों का एजेंडा संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाता है और सीईओ और अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया जाता है। बोर्ड के कागजात निदेशकों को अग्रिम रूप से परिचालित किए जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों के पास सभी सूचनाओं तक पहुंच है और चर्चा के एजेंडे पर किसी भी मामले को शामिल करने की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर स्पष्टीकरण प्रदान किया जाता है। की गई कार्रवाई की रिपोर्ट समय-समय पर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। कंपनी के मामलों पर बेहतर और अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए, बोर्ड कुछ मामलों को इस उद्देश्य के लिए गठित बोर्ड की समितियों को सौंपता है।

5. आचार संहिता

सीपीएसई के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों की आवश्यकताओं के संदर्भ में, बोर्ड ने निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता को अपनाया है। बोर्ड के सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों द्वारा संहिता के अनुपालन की पुष्टि करने की एक प्रणाली है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुपालन की घोषणा रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

6. बोर्ड समितियां

लेखा परीक्षा समिति

31 मार्च 2022 तक, निम्नलिखित लेखापरीक्षा समिति के सदस्य थे:

श्रीमती. रुबीना अली, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, MoCA	अध्यक्ष
श्री. प्रांजल चंद्रा, निदेशक, MoCA	सदस्य
श्री. दीपक सजवान , उप निदेशक, MoCA	सदस्य
श्री विक्रम देव दत्त , अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	आमंत्रित

लेखापरीक्षा समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति कुल संख्या का 1/3 या 2, जो भी अधिक हो, होगी। प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकें हुई।

इस समिति के संदर्भ की शर्तें हैं:

- कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक और नियुक्ति की शर्तों की सिफारिश करना;
- लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता और प्रदर्शन, और लेखा परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना;
- आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम की समीक्षा करना और आंतरिक और बाहरी लेखापरीक्षकों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के साथ-साथ यह निर्धारित करना कि क्या आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य कंपनी के व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप है;
- ऑडिट शुरू होने से पहले ऑडिटर के साथ ऑडिट की प्रकृति और दायरे पर चर्चा करने के लिए;
- वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की जांच करना;
- सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, उस पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया की समीक्षा करना और सांविधिक लेखापरीक्षकों की सिफारिशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना;
- संबंधित पार्टियों के साथ कंपनी के लेन-देन की स्वीकृति या बाद में कोई संशोधन;
- अंतर-कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच;
- कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन, जहां भी आवश्यक हो;

- आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन;
- सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से जुटाई गई धनराशि के अंतिम उपयोग की निगरानी करना।
- बोर्ड द्वारा वांछित किसी अन्य मामले पर विचार करना;

लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी के वित्तीय विवरणों सहित विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षा समिति ने वर्ष के दौरान चार बार बैठकें कीं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

37 वीं लेखापरीक्षा समिति की बैठक	29 जून 2021
38 वां ऑडिट कमेटी की बैठक	04 अगस्त 2021
39 वां ऑडिट कमेटी की बैठक	28 सितंबर 2021
40 वीं लेखापरीक्षा समिति की बैठक	30 मार्च 2022

पिछले तीन वर्षों के दौरान वार्षिक आम बैठकें

इन बैठकों का विवरण नीचे दिया गया है:

बैठक की संख्या	बैठक की तिथि और समय	
50 वीं वार्षिक आम बैठक	30 सितंबर 2021 1130 बजे	पहली मंजिल, ट्रांसपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग, एयरइंडिया कॉम्प्लेक्स, ओल्ड एयरपोर्ट, सांता क्रूज़ (ई), मुंबई -400 029
असाधारण सामान्य बैठक	13 जनवरी 2022 1500 बजे	होटल सेंटूर परिसर, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110037
49 वीं वार्षिक आम बैठक	31 दिसंबर 2020 1230 बजे	पहली मंजिल, ट्रांसपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग, एयरइंडिया कॉम्प्लेक्स, ओल्ड एयरपोर्ट, सांता क्रूज़ (ई), मुंबई -400 029
असाधारण आम बैठक	28 अक्टूबर 2020 1130 बजे	
असाधारण सामान्य बैठक	10 जून 2020 1500 बजे	
48 वीं वार्षिक आम बैठक	30 सितंबर 2019 1230 बजे	

7. प्रकटीकरण और वैधानिक अनुपालन

निदेशक के हित, संबंधित पार्टी लेनदेन, वैधानिक रजिस्टरों के रखरखाव से संबंधित पर्याप्त प्रकटीकरण किए गए हैं और समय-समय पर निदेशक मंडल के समक्ष सूचित निर्णय लेने के लिए रखे गए हैं, बोर्ड के साथ व्यापार को संभालने के लिए विशिष्ट प्रतिनिधिमंडल की स्पष्ट नीति और नामित अधिकारियों के प्राधिकरण के साथ मायने रखता है। खुलासे, सूचना, आवंटन और नियुक्तियों के संबंध में एमसीए फाइलिंग समयबद्ध तरीके से की गई है और कोई लंबित मामला नहीं है।

****

आचार संहिता

घोषणा

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल द्वारा अपनाई गई आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

हस्ता/-
विक्रम देव दत्त
अध्यक्ष
भारतीय होटल निगम लि.

दिनांक : 10 फरवरी 2023
स्थल : नई दिल्ली

फार्म सं. एमआर 3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसार.

को,
सदस्य,
होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
होटल सेंटूर परिसर
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
नई दिल्ली -110037

"होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड" (इसके बाद "कंपनी" कहा जाता है) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस तरीके से आयोजित किया गया था जिसने हमें कॉर्पोरेट आचरण/ सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की किताबों, कागजों, मिनट बुक्स, फाइल किए गए फॉर्म और रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकॉर्ड के हमारे सत्यापन के आधार पर और कंपनी, उसके अधिकारियों, एजेंटों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय के संचालन के दौरान प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ऑडिट, हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली ऑडिट अवधि के दौरान यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र है उस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन।

निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखे गए बही-कागजों, कागजातों, मिनट बुक्स, फाइल किए गए प्रपत्रों और रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों की जांच की है:

i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अधीन बनाए गए नियम;
ii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उप-नियम;
iii) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा तक।

कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली के संबंध में और कंपनी द्वारा जारी प्रबंधन अभ्यावेदन पत्र के आधार पर, कंपनी ने विशेष रूप से कंपनी के लिए लागू निम्नलिखित कानूनों का अनुपालन किया है:

अ) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954;
ब) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006;
क) होटल बीमा पॉलिसी;

हमने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सचिवीय मानकों के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों को छोड़कर अनुपालन किया है

1. कि कंपनी ने आमतौर पर भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।
2. कंपनी अधिनियम की धारा-178(1) के अनुसार कंपनी ने नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया है।
3. कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित धारा-149(4) के अनुसार कंपनी ने कंपनी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त नहीं किया है।
4. कंपनी अधिनियम की धारा -177(2) के अनुसार , कंपनी ने लेखापरीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है।

5. कंपनी अधिनियम की धारा -178(1) के अनुसार , कंपनी ने नामांकन और पारिश्रमिक समिति में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया है।
6. कंपनी ने सामान्य परिपत्र संख्या 14/ 2020 दिनांक 08.04.2020 और सामान्य परिपत्र संख्या 10/ 2021 दिनांक 23.06.2021 की आवश्यकता के अनुसार 30.09.2021 को आयोजित वार्षिक आम बैठक और असाधारण सामान्य के लिए फॉर्म श्उऊ-14 दायर नहीं किया है दिनांक 13.01.2022 को बैठक हुई।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:-

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन केवल गैर-कार्यकारी निदेशक के साथ किया गया है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान किए गए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे, कंपनी को छोड़कर कंपनी के बोर्ड में आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए गए ।

सभी निदेशकों/ सदस्यों को, जैसा भी मामला हो, समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की बैठकों सहित बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिया गया है, कार्यसूची और एजेंडा पर विस्तृत नोट्स निर्धारित बैठक से ठीक पहले भेजे गए थे, और एक प्रणाली मौजूद है बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए।

सभी निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी एजेंडा आइटम पर असहमति व्यक्त नहीं की है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं ।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि , लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने उपर्युक्त संदर्भित कानूनों, नियम विनियमों, दिशानिर्देशों के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली कोई विशिष्ट घटना/ कार्य नहीं किया है।

ए कौशल एंड एशोसिएटस
कंपनी सचिव

हस्ता/-
सीएस अमित कौशल
एफसीएस- 6230, सीपी नंबर- 6663
युडीआईएन : एफ006230डी003078585

स्थल : नई दिल्ली
दिनांक : 31-01-2023

इस रिपोर्ट को हमारे सम दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो अनुबंध- I के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

अनुबंध - I

को,
सदस्य,
होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
होटल सेंटूर परिसर
इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा
नई दिल्ली -110037

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जानी है:

1. सचिवीय रिकॉर्ड का प्रबंधन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर राय व्यक्त करना है।

2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। सत्यापन परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों। हमारा मानना है कि हमने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, वे हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करती हैं।

3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा पुस्तकों की शुद्धता और उपयुक्तता को सत्यापित नहीं किया है।

4. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षा परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।

5. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

ए कौशल एंड एशोसिएटस
कंपनी सचिव

हस्ता/-
सीएस अमित कौशल
एफसीएस- 6230, सीपी नंबर- 6663

स्थल : नई दिल्ली
दिनांक : 31-01-2023

वर्ष 2021-22 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध-सी

प्रपत्र संख्या एओसी-2 (अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए फॉर्म, जिसमें तीसरे परंतुक के तहत कुछ आर्म्स लेंथ लेनदेन शामिल हैं।

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का विवरण हाथ की लंबाई के आधार पर नहीं:

   31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई अनुबंध या व्यवस्था या लेन-देन दर्ज नहीं किया गया था, जो हाथ की लंबाई के आधार पर नहीं था।

2. हाथ की लंबाई के आधार पर अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेनदेन का विवरण।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अधिनियम की धारा 188(1) के तहत कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी अनुबंध/ व्यवस्थाएं/ लेन-देन सामान्य व्यवसाय के दौरान हाथ की लंबाई के आधार पर थे, जिन्हें 255 वें में विधिवत अनुमोदित किया गया था । 4 अगस्त 2021 को आयोजित कंपनी की बोर्ड मीटिंग। अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन-देन का विवरण हाथ की लंबाई के आधार पर इस प्रकार है:

संबंधित पार्टी का नाम और होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ संबंध की प्रकृति	लेन-देन की प्रकृति	लेन-देन की अवधि	लेन-देन की मुख्य शर्तें	मात्रा (मिलियन में)
एयर इंडिया लिमिटेड (एआईएल) होल्डिंग कंपनी 11.01.2022 तक	व्यय	1 अप्रैल, 2021 11 जनवरी, 2022	वर्ष के दौरान किए गए संबंधित पार्टी लेनदेन (आरपीटी) व्यापार के सामान्य क्रम में और आर्म लेंथ के आधार पर थे।	
	1. व्याज			385.45
	2. विविध ऍक्स्प			0.01
	होटल आवास और खानपान सेवाओं से अर्जित आय			113.66
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) होल्डिंग कंपनी 11.01.2022 से प्रभावी	व्यय दिलचस्पी			97.30
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल) साथी सहायक (एआईएएचएल की सहायक कंपनी)	होटल आवास और खानपान सेवाओं से अर्जित आय	1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022		13.45
एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल) साथी सहायक (एआईएएचएल की सहायक कंपनी)	होटल आवास और खानपान सेवाओं से अर्जित आय	1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022		2.19
एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) साथी सहायक (एआईएएचएल की सहायक कंपनी।)	होटल आवास और खानपान सेवाओं से अर्जित आय	1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022		0.43

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/-
विक्रम देव दत्त
अध्यक्ष

स्थल : नई दिल्ली
दिनांक : 10-02-2023

वर्ष 20 21–22 के लिए निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध

फार्म सं. श्उऊ 9 वार्षिक विवरणी का सार

31.03.2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की स्थिति में
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार

I. पंजीकरण और अन्य विवरण:

1.	**सीआईएन**	U55101DL1971GOI394499
2.	**पंजीकरण की तारीख**	8 जुलाई 1971
3.	**कंपनी का नाम**	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4.	**कंपनी की श्रेणी/उप–श्रेणी**	सरकारी कंपनी
5.	**पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण**	होटल सेंटौर परिसर, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली - 110037 घ
6.	**क्या सूचीबद्ध कंपनी है**	नहीं
7.	**रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो।**	लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सी–101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग विक्रोली (पश्चिम) मुंबई - 400083 +91 22 49186000

II. **कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ (कंपनी के कुल टर्नओवर में 10ङ या अधिक योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियाँ बताई जाएँगी) –**

अ. क्र.	**मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण**	**एनआईसी कोड उत्पाद/ सेवा**	**कुल का % का कारोबार कंपनी**
1.	होटल, मोटल, रेस्टोरेंट, केयर, टैवर्न, फ्लाइट किचन, रिफ्रेशमेंट, रूम और बोर्डिंग और लॉजिंग, हाउसकीपर्स, लाइसेंस प्राप्त विक्टुअलर्स, वाइन, बीयर और स्पिरिट मर्चेंट्स, ब्रूअर्स, मालस्टर्स, डिस्टिलर्स, इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और सभी प्रकार के खाद्य और पेय के विक्रेता।	551	100

III. **होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनी का विवरण :**

अ. क्र.	**कंपनी का नाम और पता**	**सीआईएन / जीआईएन**	**होल्डिंग / सहायक / सहयोगी**	**% शेयरों की**	**लागू खंड**
1.	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड दूसरी मंजिल, एयर इंडिया आरक्षण भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली -110003	U74999DL2018GOI328865	होल्डिंग	80.38%	2 (46)

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेकअप):

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या ड01-04-2021 तक.				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या ड31-03-2022 तक.			% वर्ष के दौरान परिवर्तन
	डीमेट	भौतिक	साल के दौरान	कुल शेयरों का %	डीमेट	भौतिक	साल के दौरान	कुल शेयरों का %
ए. प्रमोटर								
(1) भारतीय								
अ) व्यक्ति/एचयूएफ								
ब) केंद्र सरकार		2700000	2700000	19.62	2700000	0	2700000	19.62
क) राज्य सरकार (सरकारें)								
ड) निकाय कार्पोरेशन	11059991	9	11060000	80.38	11060000	0	11060000	80.38
ई) बैंक / एफआई								
फ) कोई अन्य								
प्रमोटर (ए) की कुल शेयरधारिता	**11059991**	**2700009**	**13760000**	**100**	**13760000**	**–**	**13760000**	**100**
बी सार्वजनिक शेयरधारिता	**लागू नहीं**							
1. संस्थान								
क) म्युचुअल फंड/यूटीआई								
बी) बैंक / एफआई								
ग) केंद्र सरकार।								
घ) राज्य सरकार।								
ई) वेंचर कैपिटल फंड								
च) बीमा कंपनियां								
छ) एफआईआई								
ज) विदेशी वेंचर कैपिटल फंड								
आई) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) विदेशी बैंक								
उप-योग (बी)(1):-	-	-	-	-	-	-	-	-

श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या ड01-04-2021 तक.				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या ड31-03-2022 तक.			% वर्ष के दौरान परिवर्तन
	डीमेट	भौतिक	साल के दौरान	कुल शेयरों का %	डीमेट	भौतिक	साल के दौरान	कुल शेयरों का %
2. गैर-संस्थाएं			**लागू नहीं**					
ए) बॉडीज कार्पोरेशन (मार्केट मेकर + एलएलपी)								
i) मैं भारतीय								
ii) विदेशों में								
बी) व्यक्तिगत								
I) 1 लाख रुपये तक की नाममात्र शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक।								

ii) 1 लाख रुपये से अधिक की नाममात्र शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक।								
सी) अन्य (निर्दिष्ट करें)								
i) अनिवासी भारतीय								
ii) अनिवासी भारतीय - अप्रत्यावर्तनीय								
iii) पदाधिकारी								
iv) निदेशक								
v) एचयूएफ								
vi) विदेशी कॉर्पोरेट निकाय								
vi) विदेशी नागरिक								
vii) समाशोधन सदस्य								
viii) ट्रस्ट								
ix)विदेशी निकाय - डॉ								
उप-योग (बी)(2):-	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (बी) = (बी) (1) + (बी) (2)	-	-	-		-	-	-	-
सी. द्वारा धारित शेयर								
जीडीआर और एडीआर के लिए संरक्षक	-	-	-		-	-	-	
कुल योग (ए+बी+सी)	**11059991**	**2700009**	**13760000**	**100**	**13760000**	**–**	**13760000**	**100**

बी) प्रमोटर की शेयरहोल्डिंग

अ. क्र.	शेयरधारक का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में परिवर्तन %
		शेयरों की कुल संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में गिरवी रखे गए भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की कुल संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में गिरवी रखे गए भारग्रस्त शेयरों का %	
1	एयर इंडिया लिमिटेड	11060000	80.38	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
2	भारत के राष्ट्रपति	2700000	19.62	शून्य	2700000	19.38इ	शून्य	
3.	एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	11060000	80.38	शून्य	80.38

सी) प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया निर्दिष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन नहीं है) – एयर इंडिया लिमिटेड के विनिवेश के अनुसरण में, होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में धारित एयर इंडिया लिमिटेड की संपूर्ण शेयरधारिता 11.01.2022 को एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड को हस्तांतरित कर दी गई थी.

अ. क्र.	विवरण	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का%	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का%
1.	साल की शुरुआत में				
	एयर इंडिया लिमिटेड	11060000	80.38	-	-
	भारत के राष्ट्रपति	2700000	19.62	2700000	19.62
2.	साल के अंत में				

एयर इंडिया लिमिटेड	-	-	-	-
भारत के राष्ट्रपति	2700000	19.62	2700000	19.62
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	11060000	80.38	11060000	80.38

डी) शीर्ष दस शेयरधारकों के शेयरहोल्डिंग पैटर्न: (जीडीआर और एडीआर के निदेशकों, प्रमोटरों और धारकों के अलावा):

अ. क्र.	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का%	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का%
लागू नहीं					

ङ) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:

अ. क्र.	प्रत्येक निदेशक और प्रत्येक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की शेयरधारिता	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता		वर्ष के अंत में संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का%	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का%
	शून्य				
	(नोटः इक्विटी शेयर एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड और पीओआई के नामांकित व्यक्तियों द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जिसमें निदेशक भी शामिल हैं)				

V. ऋणग्रस्तता – बकाया/उपार्जित लेकिन भुगतान के लिए देय नहीं ब्याज सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता।

आईएनआर में राशि

	सुरक्षित ऋण जमा को छोड़कर	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के लिए शुरुआत में ऋणग्रस्तता	0	0	0	0
i) मूल राशि	0	0	0	0
ii) देय ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया	0	0	0	0
iii) अर्जित ब्याज लेकिन बकाया नहीं	0	0	0	0
कुल (i+ii+iii)	0	0	0	0
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन	0	0	0	0
* जोड़ना	0	0	0	0
* कमी	0	0	0	0
शुद्ध परिवर्तन	0	0	0	0
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता	0	0	0	0
i) मूल राशि	0	0	0	0
ii) देय ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया	0	0	0	0
iii) अर्जित ब्याज लेकिन बकाया नहीं	0	0	0	0
कुल (i+ii+iii)	**0**	**0**	**0**	**0**

पिछले आंकड़े को आईएनडी एएस के अनुसार पुनर्कथित किया गया है। प्रासंगिक पिछले वर्षों में पूर्व अवधि की वस्तुओं को प्रभावी किया गया है।

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

ए. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक:

(अंकों में)

अ. क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/मैनेजर का नाम					कुल मात्रा
1	सकल वेतन						
	(ए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन						
	(बी)आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभ का मूल्य						
	(सी) धारा 17(3) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वेतन के एवज में लाभ						
2	भांडार विकल्प						
3	उद्यम इक्विटी						
4	अन्य लाभ के % के रूप में कमीशन निर्दिष्ट करें।						
5	अन्यः (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि)						
	कुल (ए)						
	अधिनियम के अनुसार सीलिंग						

* कंपनी में कोई प्रबंध, पूर्णकालिक निदेशक नहीं हैं।

बी. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

ऐ. ऋद.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम					कुल राशि
1	**स्वतंत्र निदेशक**						
	बोर्ड समिति की वैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-	-	-		
	आयोग						
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें						
	(बोर्ड उप समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क)						
	कुल (1)						
2	**अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक**	–	–	–	–	–	–
	बोर्ड समिति की वैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-	-	-	-	-
	आयोग						
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें						
	कुल (2)						
	कुल (बी)= (1+2)	–	–	–	–	–	–
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	-	-	-	-	-	-
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमा	-	-	-	-	-	-

सी. एमडी/मैनेजर/डब्ल्यूटीडी के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को पारिश्रमिक

(आंकड़े लाखों में)

अ. क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक				
		सीईओ	सी		सीएफओ	कुल
		श्री दीपक खुल्लर	श्रीमती श्यामला कुंद्रा (01.04.2021 -30.09.2021)	श्रीमती ईशा जैन (01.10.2021 से प्रभावी)	श्रीमती थर्टी साइरस दलाल	
1	सकल वेतन			-		
	(ए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	2.40	.37	.75	.90	4.42
	(बी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभ का मूल्य	-	-	-	-	-
	(म) धारा 17(3) आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वेतन के एवज में लाभ	-	-	-	-	-
2	भांडार विकल्प	-	-	-	-	-
3	उद्यम इक्विटी	-	-	-	-	-
4	आयोग	-	-	-	-	-
	- लाभ केइ के रूप में	-	-	-	-	-
	अन्य (निर्दिष्ट करें।	-	-	-	-	-
5	अन्यः (पीएफ, डीसीएस, हाउस पर्क्स टैक्स आदि)		-	-	-	--
	कुल	**2.40**	**.37**	**.75**	**.90**	**4.42**

VII. शास्तियां/सजा/अपराधों का शमन:

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए दंड/ सजा/कंपाउंडिंग शुल्क का विवरण	प्राधिकरण डआरडी/ एनसीएलटी/कोर्ट	की गई अपील, यदि कोई हो (विवरण दें)
ए. कंपनी–शून्य					
दंड	–	–	–	–	–
सज़ा	–	–	–	–	–
कंपाउंडिंग	–	–	–	–	–
बी. निदेशक –शून्य					
दंड	–	–	–	–	–
सज़ा	–	–	–	–	–
कंपाउंडिंग	–	–	–	–	–
ग. अन्य अधिकारी चूक में –शून्य					
दंड	–	–	–	–	–
सज़ा	–	–	–	–	–
कंपाउंडिंग	–	–	–	–	–

* सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं। केवल सीईओ, सीएफओ और सीएस केएमपी हैं।

बोर्ड के लिए और उसकी ओर से

हस्ता/–
विक्रम देव दत्त
अध्यक्ष

स्थल : नई दिल्ली
दिनांक : 10–02–2023

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 43(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरण की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है, नियंत्रक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक और अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के महालेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरण पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा दिनांक 16 जनवरी 2023 की संशोधित ऑडिट रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है, जो उनकी पिछली ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 05 दिसंबर 2022 का स्थान लेती है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरण का पूरक ऑडिट किया है। यह पूरक लेखापरीक्षा स्टेटर लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से अर्जित की गई है और मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की एक चुनिंदा परीक्षा तक सीमित है।

सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में किए गए संशोधन के मद्देनजर, पूरक लेखापरीक्षा के दौरान उठाई गई मेरी कुछ लेखापरीक्षा टिप्पणियों को प्रभावी करने के लिए, मेरे पास धारा 143 (6) (बी) के तहत वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रस्ताव देने या पूरक करने के लिए कोई और टिप्पणी नहीं है।) अधिनियम के।

नियंत्रक के लिए और उसकी ओर से
और भारत के महालेखा परीक्षक

सी एम साने
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा महानिदेशक,
मुंबई

स्थल : मुंबई
दिनांक : 20-01-2023

स्वतंत्र लेखा परिक्षकों की रिपोर्ट (संशोधित)

होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
के सदस्यों को

यह संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट हमारे पहले के स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अधिक्रमण में जारी की जा रही है। 05 दिसंबर, 2022 हमारी पिछली रिपोर्ट में भारत के C&AG द्वारा निर्देशित कुछ कमियों को ध्यान में रखते हुए। होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वैधानिक ऑडिट के प्रदर्शन के दौरान, हमने कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर (सीएआरओ), 2020 के प्रावधानों पर विचार किया है, जहां भी लागू हो। इसके अलावा, हम पुष्टि करते हैं कि पहले व्यक्त की गई राय में कोई बदलाव नहीं आया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

योग्य राय

हमने होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कंपनी) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2022 तक स्टैंडअलोन बैलेंस शीट और लाभ और हानि (अन्य व्यापक आय सहित) का स्टैंडअलोन स्टेटमेंट शामिल है। तब समाप्त हुए वर्ष के लिए इक्विटी और स्टैंडअलोन कैश फ्लो स्टेटमेंट में परिवर्तन, और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है (बाद में ठस्टैंडअलोन वित्तीय विवरणठ के रूप में संदर्भित)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन के लिए बेसिस में वर्णित मामले (मामलों) को छोड़कर, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं (अधिनियम) आवश्यक तरीके से और 31 मार्च 2022 तक कंपनी के मामलों की स्थिति, और इसके नुकसान और अन्य व्यापक आय, परिवर्तन के रूप में भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है। इक्विटी में और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसका नकदी प्रवाह।

योग्य राय के लिए आधार

हम पर्याप्त और उचित ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थता के कारण गलत बयानों के प्रभावों और वित्तीय विवरणों पर ज्ञात गलत बयानों के संभावित प्रभावों के नीचे वर्णित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से व्यापक नहीं हैं।

1. **जम्मू-कश्मीर सरकार और सेंटूर लेक व्यू होटल (सीएलवीएच) के बीच मतभेद**
   जम्मू और कश्मीर सरकारों के निर्णय के अनुसार, होटल, सेंटौर लेक व्यू होटल (सीएलवीएच) का कामकाज 01.01.2019 से निष्क्रिय था। संपत्ति के आकार के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार की कार्रवाई के लिए 14.06.2022। जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज जब्त कर लिए गए थे, जिसके कारण हमने सीएलवीएच की वित्तीय लेखापरीक्षा नहीं की है, वित्तीय विवरणों में रुपये की कुल संपत्ति शामिल है। 31 मार्च, 2022 तक 405.23 मिलियन और सीएलवीएच के समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व रु.82.05 मिलियन। इस इकाई की वित्तीय जानकारी प्रबंधन द्वारा तैयार की गई थी इसलिए हम स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में इसके प्रभाव का पता लगाने में असमर्थ हैं
   (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 32 का संदर्भ लें)

2. **इन्वेंटरी:**
   इन्वेंटरी रिकॉर्ड और लेखा रिकॉर्ड एकीकृत नहीं हैं। कंपनी के पास एक्सेल (एमएस ऑफिस) में मैन्युअल रूप से इन्वेंटरी रिकॉर्ड को बनाए रखने और अपडेट करने की प्रथा है।

   स्टॉक, स्टोर, क्रॉकरी, कटलरी आदि की खपत खरीद में शुरुआती शेष जोड़कर और पिछले दिनों से चली आ रही प्रथा के अनुसार समापन शेष को घटाकर की जा रही है। कमी, कबाड़, उठाईगीरी, दुरुपयोग या चोरी आदि सहित लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, स्टॉक मूवमेंट के उचित रिकॉर्ड के रखरखाव के अभाव में हम इन्वेंट्री मात्राओं पर खुद को संतुष्ट करने के लिए अन्य ऑडिटिंग प्रक्रियाओं को लागू करने में सक्षम नहीं थे। इसके अलावा नियमित रूप से उपभोग की गई इन्वेंट्री का मूल्यांकन इन्वेंट्री के क्लोजिंग वैल्यूएशन पर पहुंचने के लिए किसी उचित मानक तंत्र के बजाय वर्ष के अंत में क्लोजिंग इन्वेंट्री की 50इ लागत के रूप में निकाला जाता है।
   (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 06 और 47 देखें)

3. **एमएसएमईडी अधिनियम अनुपालन**
   कंपनी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (श्एईऊे) अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत श्एई विक्रेताओं को वर्गीकृत किया है। खरीद का अनुपालन; एमएसएमई इकाइयों को बकाया राशि पर ब्याज के लिए प्रावधान, यदि कोई हो, सत्यापित नहीं किया जा सका। इसलिए हम एमएसएमईडी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसी संस्थाओं को भुगतान करने में देरी और ऐसे विलंबित भुगतानों पर ब्याज और अनुपालन की देनदारी निर्धारित करने में असमर्थ हैं।

(स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 18 और 44 देखें)।

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग (एसए) पर मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन एसए के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी में वर्णित किया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के साथ-साथ उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ कंपनी से स्वतंत्र हैं जो अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं। और हमने इन आवश्यकताओं और के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है

सामग्री अनिश्चित रूप से गोइंग कंसर्न से संबंधित है

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी को 842.51 मिलियन रुपये का शुद्ध घाटा हुआ है और उस तिथि तक, कंपनी की वर्तमान देनदारियां इसकी कुल संपत्ति से रुपये से अधिक हैं । 265.39 मिलियन और इसने रुपये का घाटा जमा किया है । 7541.61 मिलियन जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के निवल मूल्य का पूर्ण क्षरण हुआ है। ये कारक एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता के अस्तित्व का संकेत देते हैं जो कंपनी की एक चलती चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकता है। हालांकि, प्रबंधन द्वारा किए गए मूल्यांकन और उपरोक्त नोट में उल्लिखित अन्य कारकों के आधार पर, ये वित्तीय विवरण जारी चिंता के आधार पर तैयार किए गए हैं और कंपनी की संपत्ति और देनदारियों के मूल्य के लिए कोई समायोजन नहीं किया गया है। रिपोर्टिंग की तारीख।
(नोट संख्या 52 देखें)

इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है

मामले का ज़ोर

हम ध्यान आकर्षित करते हैं:

1. व्यापार भुगतान, व्यापार प्राप्तियों, ऋण और अग्रिम, जमा आदि के संबंध में शेष पुष्टि पार्टियों से प्राप्त नहीं हुई है और इसलिए हम यह बताने में असमर्थ हैं कि क्या ये शेष राशि बताई गई सीमा तक वसूली योग्य है।
   (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 7 , 18 और 36 देखें)

2. संपत्ति संयंत्र उपकरण (फिक्स्ड एसेट्स) का विभिन्न इकाइयों में ठीक से रखरखाव और अद्यतन नहीं किया जाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा पीपीई का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है (पिछला निरीक्षण वित्त वर्ष 2019-20 में किया गया था)
   (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की संख्या 2ए और 45 देखें)

3. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)/दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल)/मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमएलएएल) को देय लीज रेंटल और टर्नओवर लेवी कंपनी के खातों की किताबों में उपलब्ध कराए गए हैं और वित्तीय विवरण में विधिवत रूप से दर्शाए गए हैं। इसके अलावा कंपनी और एएआई/ डायल/ एमआईए एल के बीच विवाद को देखते हुए, देय बकाया के कारण ब्याज प्रदान नहीं किया गया है, लेकिन प्रमुख आकस्मिक देयता के तहत खुलासा किया गया है और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।
   (स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 75 , 17 और 30 (ix) देखें)।

4. पहले का वेतन समझौता 31 दिसंबर, 2006 को समाप्त हो गया था और यूनियन ने मांगों के चार्टर प्रस्तुत किए हैं। कंपनी ने प्रबंधन की वेतन वार्ता समिति और एचसीआई यूनियनों की समन्वय समिति के बीच बातचीत की थी और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, दिनांक 08.08.2019 को समझौता ज्ञापन यूनियनों और कंपनी के बीच दर्ज किया गया था। 18.08.2008 से प्रभावी 10 वर्षों की अवधि के लिए कर्मचारियों की संघीकृत श्रेणी के लिए वेतन संशोधन लागू करना। वेतन पुनरीक्षण वित्तीय वर्ष 2019-20 में लागू किया गया था। 31.3.2022 तक कंपनी के संघबद्ध श्रेणी के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन के बकाये का कुल अनुमानित प्रावधान 146.36 मिलियन रुपये है। प्रबंधन ने 1 जनवरी, 2017 से प्रभावी अधिकारियों के लिए प्रति कर्मचारी 5,000/- रुपये प्रति माह की अंतरिम राहत की घोषणा की थी, जिसका भुगतान किया जाना जारी है और लाभ और हानि खाते के विवरण के माध्यम से रुपये की राशि खर्च की गई है । 31.3.2022 तक 66.81 मिलियन। जब भी वेतन संशोधन को मंजूरी दी जाती है, इस राशि को देय बकाया, यदि कोई हो, के लिए समायोजित किया जाएगा, जिसके लिए कर्मचारी-वार विवरण खातों की पुस्तकों में अलग से बनाए रखा गया है। इसके अलावा, 08.08.2008 से प्रभावी कर्मचारियों को देय बकाया राशि की गणना प्रगति पर है। प्रबंधन की राय है कि यदि प्रदान की गई मजदूरी अपर्याप्त है तो अंतर देयता के लिए प्रावधान को अंतिम रूप दिए जाने वाले वर्ष में किया जाएगा।
   (नोट संख्या 12, 19, 20, 30 और 33 देखें)

5. **कंपनी ने अधिनियम के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है। इसके परिणामस्वरूप:**
   क. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) के प्रावधानों के तहत कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है और इसलिए, कोई बैठक नहीं हुई है। स्वतंत्र निदेशकों को लेखापरीक्षा अवधि के

दौरान आयोजित किया जा सकता है।

.चूंकि कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है, इसलिए कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (2) और धारा 178 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है, जिसे कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) नियमों के नियम 6 के साथ पढ़ा गया है। , 2014 लेखापरीक्षा समिति की संरचना और बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति के संबंध में।

. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 4 अगस्त, 2021 की अपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में पिछले लेखापरीक्षकों द्वारा उपरोक्त गैर-अनुपालन की भी रिपोर्ट की गई थी ।

6. **कंपनी के पास आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जिसे निम्नलिखित के लिए मजबूत करने की आवश्यकता है:**
   क. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया को मजबूत करना ताकि सभी क्षेत्रों की पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित की जा सके और कंपनी की सभी इकाइयों पर प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके ।

   ख. यह सुनिश्चित करने के लिए कि खातों की उचित पुस्तकों का रखरखाव किया जाता है, सभी लेनदेनों के समय पर लेखांकन के संबंध में मानक संचालन प्रक्रियाएं निर्धारित करना। (नोट संख्या 47 और 48 देखें)

   ग. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 4 अगस्त, 2021 की अपनी लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में पिछले लेखापरीक्षकों द्वारा भी उपरोक्त गैर-अनुपालन की सूचना दी गई थी।

7. वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों का उचित मूल्य प्रबंधन द्वारा उपलब्ध या प्रदान की गई सर्वोत्तम जानकारी के आधार पर निकाला जाता है। हम अन्य आवश्यक जानकारी के अभाव में उचित मूल्यांकन के लिए प्रबंधन सूचना पर निर्भर रहे हैं।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने निर्धारित किया है कि नीचे वर्णित मामले हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं:

अ. क्र.	प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	हमारे ऑडिटर मुख्य ऑडिट मामले को कैसे संबोधित करते हैं
1	**वर्तमान चिन्ता** कंपनी घाटे में है, निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है, चल रही चिंता की जांच करने की आवश्यकता है।	प्रबंधन के प्रक्षेपण और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन का मानना है कि हालांकि कंपनी घाटे में है लेकिन भारत सरकार का निरंतर समर्थन यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी अपने व्यवसाय को चालू संस्था के रूप में चलाए। इसके अलावा, कंपनी ने एयर इंडिया के साथ मास्टर सर्विस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जो 31.12.2024 तक वैध है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी निकट भविष्य में अपना कारोबार चलाने में सक्षम होगी। (नोट संख्या 52(iii) देखें)। कंपनी कारोबार बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स, वॉक-इन कस्टमर्स, इवेंट बुकिंग, कॉरपोरेट्स पर भी टैप कर रही है। कंपनी वर्तमान संपत्तियों को उन्नत करने के लिए आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने, परिचालन रूप से आवश्यक मामलों के लिए अतिरिक्त कैपेक्स शुरू करने की भी योजना बना रही है। अधिभोग स्तर को बढ़ाने के लिए सेंटूर होटल दिल्ली हवाई अड्डे पर मौजूदा 50 अतिथि कमरों का नवीनीकरण। कंपनी के पास वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं है और किसी भी लेनदार ने कंपनी के खिलाफ दिवालियापन के लिए आवेदन नहीं किया है। उपरोक्त तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर, हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रिया का पालन किया है और तदनुसार राय बनाते हैं।

3	**आकस्मिक देयताएं:** कंपनी के खिलाफ विभिन्न मंचों के समक्ष विभिन्न मुकदमे लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट की जाने वाली राशि का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता है। हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना क्योंकि जिन अनुमानों पर ये राशियाँ आधारित हैं उनमें मामलों की व्याख्या करने में प्रबंधन के निर्णय का एक महत्वपूर्ण अंश शामिल है और यह प्रबंधन पूर्वाग्रह के अधीन हो सकता है। नोट संख्या देखें। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में से 30।	हमने आकस्मिक देनदारियों के अनुमान और प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी के आंतरिक निर्देशों और प्रक्रियाओं को समझ लिया है और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अपनाया है: - लंबित मुकदमेबाजी मामलों के लिए प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रबंधन द्वारा स्थापित नियंत्रणों के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता को समझा और परीक्षण किया; - प्रबंधन के साथ किसी भी भौतिक विकास और कानूनी मामलों की नवीनतम स्थिति पर चर्चा करना - प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत मुकदमेबाजी मामलों से संबंधित विभिन्न पत्राचार और संबंधित दस्तावेजों को पढ़ें और प्रबंधन द्वारा प्राप्त प्रासंगिक बाहरी कानूनी राय और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण का समर्थन करने वाली गणनाओं पर मूल प्रक्रियाओं का प्रदर्शन करें; - प्रबंधन के निर्णयों और आकलनों की जांच करना कि क्या प्रावधानों की आवश्यकता है; - उन मामलों के प्रबंधन आकलन पर विचार करना जिनका खुलासा नहीं किया गया है क्योंकि सामग्री के बहिर्वाह की संभावना को दूरस्थ माना जाता है - प्रकटीकरण की पर्याप्तता और पूर्णता की समीक्षा करना ऊपर की गई प्रक्रियाओं के आधार पर, आकस्मिक देनदारियों का अनुमान और खुलासा पर्याप्त और उचित माना जाता है
5	**अनिश्चित कराधान मामले** कंपनी के पास विवाद के तहत भौतिक अनिश्चित कर मामले हैं जिनमें इन विवादों के संभावित परिणाम को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं।	हमने कर प्रावधान और विवादों के संभावित परिणाम का अनुमान लगाने में प्रबंधन की अंतर्निहित धारणाओं का आकलन किया। हमने इन अनिश्चित कर स्थितियों पर प्रबंधन की स्थिति का मूल्यांकन करने में, कंपनी के अपने मामले सहित, कानूनी पूर्वता और अन्य निर्णयों पर भी विचार किया।

अन्य वस्तू

माल और सेवा कर

- कुछ इकाइयों में, कंपनी ने अपने ग्राहकों से अग्रिम प्राप्त किया है, जिस पर माल और सेवा कर अधिनियम/ नियमों के प्रावधानों के अनुसार जीएसटी जमा नहीं किया गया है, जिसकी राशि अभिलेखों की उपलब्धता के अभाव में सुनिश्चित और मात्रात्मक नहीं है।

- इसके अलावा कंपनी ने लेनदारों/ विक्रेताओं के चालान पर जीएसटी इनपुट (आईटीसी) का लाभ उठाया है, लेकिन जीएसटी के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में इसे वापस नहीं किया गया है। जिसकी राशि नियत अभिलेखों के अभाव में निर्धारित करने योग्य नहीं है ।

- उपरोक्त दोनों मामलों में, जीएसटी देयता प्रदान नहीं की गई है जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के परिणामों पर प्रभाव डालेगी, लेकिन रिकॉर्ड की उपलब्धता के अभाव में उसकी राशि सुनिश्चित/ निर्धारित नहीं की जा सकती है।

  उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य सूचनाओं को पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारा ज्ञान या अन्यथा प्रतीत होता है भौतिक रूप से गलत बताया गया। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर , हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है; हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और निदेशक मंडल की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, कुल व्यापक का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की आय, इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन संशोधित रूप में . इस उत्तरदायित्व में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का रखरखाव और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने, उचित लेखांकन नीतियों के चयन और आवेदन शामिल हैं; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो प्रभावी रूप से संचालन कर रहे थे या लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित कर रहे थे, जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक हैं जो एक सत्य और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और सामग्री से मुक्त हैं गलतबयानी, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण।

स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने का इरादा रखता है या नहीं संचालन बंद कर दें या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक मिथ्या कथन से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो।

उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलत बयानी का पता लगाएगा। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलत बयानी उत्पन्न हो सकती है और इसे महत्वपूर्ण माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है ।

एसएएस के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम भी:

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलतबयानी के जोखिमों की पहचान और आकलन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करना, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाली गलतबयानी की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।

- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143(3) (i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है ।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें ।

- स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी में प्रबंधन और निदेशक मंडल की उपयुक्तता पर लेखांकन के चल रहे चिंता आधार के उपयोग पर निष्कर्ष

और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है चालू संस्था के रूप में जारी रहने की कंपनी की क्षमता पर। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, या यदि इस तरह के प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।

- प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जिससे उचित प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

भौतिकता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में गलत बयानों का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी पहचानी गई गलतबयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों सहित, जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं, शासन से प्रभारित लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम उन लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं जो शासन के प्रभारी हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ संवाद करने के लिए सभी रिश्ते और अन्य मामले जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर विचार कर सकते हैं।

शासन से प्रभारित लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की यथोचित अपेक्षा की जाएगी। ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक महत्वपूर्ण है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत सरकार की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (ऑडिटर की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (ठआदेशठ) की आवश्यकता के अनुसार और ऐसे चेक के आधार पर कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों को हमने उचित माना है और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम "अनुलग्नक-ए" विवरण में आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक देते हैं।

2. हम अधिनियम की धारा 143(5) के संदर्भ में कंपनी की बहियों और अभिलेखों की ऐसी जांचों के आधार पर अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं, जैसा कि हमने उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार , भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/ उप निर्देशों पर ठअनुलग्नक-बीठ

3. (ए) जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकता है, और योग्य राय, जोर मामलों, मुख्य लेखापरीक्षा मामलों और ऊपर बताए गए अन्य मामलों के अनुभागों में वर्णित मामलों के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानूनी रूप से अपेक्षित उचित लेखा-बहियां रखी गई हैं, जहां तक यह उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है और जिन शाखाओं का दौरा नहीं किया गया है, वहां से हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त उचित विवरणियां प्राप्त हुई हैं। हम।

सी) स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ और हानि का स्टैंडअलोन स्टेटमेंट (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलोन स्टेटमेंट और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए कैश फ्लो का स्टैंडअलोन स्टेटमेंट खाते की किताबों के साथ और साथ में हैं शाखाओं से प्राप्त रिटर्न, हमारे द्वारा नहीं देखे गए।

डी) हमारी राय में, उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के अनुसार संशोधित।

ई) एक सरकारी कंपनी होने के नाते अधिसूचना संख्या के अनुसार। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05 जून 2015, अधिनियम की धारा 164 की उप धारा (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

च) योग्यता के मामलों को योग्य राय के तहत ऊपर बताया गया है।

छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक-सी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

(बी) अधिसूचना संख्या के अनुसार। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 05 जून , 2015 को जारी जीएसआर 463(ई) , अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। तदनुसार अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है। कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी ने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर 31 मार्च, 2022 तक लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है -

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की नोट संख्या - 30 देखें।

ii. कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई भौतिक अनुमानित नुकसान था।

iii. कंपनी द्वारा ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।

iv.(I) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, प्रकट किए गए के अलावा, किसी भी फंड को उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या फंड के प्रकार से)) कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (ठमध्यस्थोंठ) सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को, इस समझ के साथ कि चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थः

- कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऋण या निवेश करें (अंतिम लाभार्थी) या
- अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई भी गारंटी, सुरक्षा या पसंद प्रदान करें।

(ii) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है, कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं (ठफंडिंग पार्टियोंठ) सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, चाहे वह समझ में दर्ज हो लेखन या अन्यथा, कि कंपनीः

- सीधे या परोक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी (ठअंतिम लाभार्थीठ) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार या निवेश करें या
- अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनकी ओर से कोई भी गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की अन्य चीजें प्रदान करना।

नियम 11(ई) के उप खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 में किसी भी तरह की गलत जानकारी दी गई है।

v. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 का अनुपालन लागू नहीं है।

जैन जगवत के लिए कामदार एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएनः 122530ें

एसडी /-
सीए एग्नेल रोड्रिग्स
साझेदार
UDIN : 23156128BGUPWM6149

स्थल : मुंबई
तारिख : 16-01-2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध ए

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

('अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैरा 1 में संदर्भित हमारी सम तिथि की रिपोर्ट)

I. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण:

(ए) (ए) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड नहीं बनाए हैं।

(बी) कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है, इसलिए सीएआरओ 2020 के तहत खंड i (ए) (ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है जिसके द्वारा सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण प्रत्येक दो वर्षों में घूर्णी आधार पर सत्यापित किया जाता है। इस कार्यक्रम के अनुसार वित्त वर्ष 2019-2020 में संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया। हमारी राय में, भौतिक सत्यापन की यह आवधिकता कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति को देखते हुए उचित नहीं है। इस तरह के सत्यापन पर बड़ी विसंगतियां देखी गईं जैसे कि स्थान, मात्रा, टैगिंग, खरीद की तारीख आदि के संदर्भ में संपत्ति की पहचान नहीं की जा सकती थी।

(सी) हमें प्रदान की गई जानकारी, स्पष्टीकरण और रिकॉर्ड के अनुसार, सभी अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर हैं। शेर -ए-पंजाब सोसाइटी, अंधेरी (ई), मुंबई में चार (4) आवासीय फ्लैटों के मामले में भूमि और उक्त भवन को सोसाइटी को हस्तांतरित/ हस्तांतरित करने का विलेख अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है। (नोट 2ए देखें)

(डी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम, 1988 के निषेध अधिनियम के तहत कंपनी के खिलाफ कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है । और उसके तहत बने नियम।

II. इन्वेंटरी से सत्यापन

(ए) कच्चे माल, स्टोर और परिचालन आपूर्ति वाली सूची को प्रबंधन द्वारा केवल वर्ष के अंत में भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है। हालांकि, प्रबंधन ने सीएचडीए और सीएफसीडी डिवीजन के लिए भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। हमारी राय में, इस तरह के सत्यापन की आवृत्ति उचित नहीं है, और प्रबंधन द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं और कवरेज उचित नहीं थे।

इसके अलावा, कंपनी के प्रचलित अभ्यास के अनुसार, स्टॉक, स्टोर, क्रॉकरी, कटलरी आदि की खपत को खरीद में प्रारंभिक शेष जोड़कर और भौतिक सत्यापन के आधार पर क्लोजिंग स्टॉक से घटाकर काम किया जा रहा है और इसलिए कमी, दुरुपयोग, चोरी, अपव्यय/ चोरी आदि की पहचान नहीं की जाती है और खपत के रूप में दिखाया जाता है। इन्वेंटरी के क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन भौतिक इन्वेंट्री की लागत के 50% पर किया जाता है।

(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को बैंकों से कुल पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है। वर्तमान संपत्ति की सुरक्षा की। इसलिए, आदेश के पैरा 3(ii)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

III. निवेश, गारंटी, ऋण और अग्रिम

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निवेश नहीं किया है, ऋण की

प्रकृति में ऋण और अग्रिम प्रदान किए हैं, कंपनियों को सुरक्षित या असुरक्षित, सीमित देयता भागीदारी और अन्य पक्ष जिनके संबंध में आवश्यक जानकारी नीचे दी गई है। कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है।

(ए) वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनियों , फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को गारंटी के रूप में ऋण की प्रकृति में ऋण अग्रिम प्रदान नहीं किया है या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(ए) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है

(बी) वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों में ऐसा कोई निवेश नहीं किया है जो कंपनी के हितों के प्रतिकूल हो। कंपनी ने गारंटी प्रदान नहीं की है सुरक्षा प्रदान की है और कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पार्टियों को ऋण और अग्रिम प्रदान किए हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(बी) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता टी कंपनी पर लागू नहीं है

(सी) कंपनी ने कंपनी फर्मों लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स या किसी अन्य पार्टियों को ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(सी) (डी) (ई) और (एफ) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

iv. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185/186 का अनुपालन:

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है, निवेश किया है या गारंटी या प्रतिभूति प्रदान की है और इसलिए आदेश के खंड (iv) के तहत रिपोर्टिंग नहीं है लागू।

v. सार्वजनिक जमा की स्वीकृति:

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है और वर्ष के दौरान बकाया है। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देश और धारा 73 से 76 के प्रावधान या कंपनी अधिनियम, 2013 के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम कंपनी को आकर्षित नहीं करते हैं। तदनुसार, आदेश का खंड 3(v) लागू नहीं होता है।

vi. लागत रिकॉर्ड का रखरखाव:

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्धारित नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(vi) के प्रावधान नहीं हैं। कंपनी पर लागू।

vii. वैधानिक बकाया

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, हमारी राय में माल और सेवा कर ('जीएसटी') सहित निर्विवाद वैधानिक देय राशि के संबंध में खाते की पुस्तकों में कटौती/ अर्जित राशि), भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय 1 , श्रम उपकर , व्यावसायिक कर, संपत्ति कर, उपकर और अन्य वैधानिक बकाया आम तौर पर नियमित रूप से उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा किए जाते हैं। जैसा कि हमें बताया गया है, कंपनी पर वेल्थ टैक्स और कस्टम ड्यूटी का कोई बकाया नहीं था।

(ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, माल और सेवा कर ('जीएसटी'), भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा के संबंध में देय कोई अविवादित राशि नहीं है। , आयकर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य वैधानिक बकाया 31 मार्च 2022 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया थे।

(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कुछ वैधानिक देय राशियां हैं जो विवाद के कारण जमा नहीं की गई हैं और फोरम जहां विवाद लंबित है, इस प्रकार हैं :

विधान की प्रकृति	देय राशि की प्रकृति	विवाद में राशि (लाखों में)	अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोरम जहां विवाद लंबित है
लक्जरी कर	कर	2.18	2000-2001	अपर आयुक्त बिक्री कर (अपील)
	घटाएं: चुकाया	(0.88)		
	कुल	**1.3**		
लक्जरी कर	कर	6.51	2000-2001	अपर आयुक्त बिक्री कर (अपील)
	ब्याज	9.33		
	जुर्माना	0.01		
	कम: अदा	(2.53)		
	कुल	**13.31**		
लक्जरी कर	कर	1.98	2002-2003	बिक्री आयुक्त कर (अपील)
	ब्याज	2.08		
	जुर्माना	0.1		
	कम: अदा	(3.03)		
	कुल	**1.13**		
लक्जरी कर	कर	0.7	2002-2003	बिक्री आयुक्त कर (अपील)
	जुर्माना	0.1		
	कम: भुगतान	(0.63)		
	कुल	**0.08**		
सेवा कर	कर	2.76	जुलाई 2012 से मार्च 2013	केंद्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्त अपीलीय-II
सेवा कर	कर	5.11	2013-2014	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अपीलीय-II
सेवा कर	कर	6.07	2014-2015	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अपीलीय-II
सेवा कर	कर	7.83	2015-2016	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अपीलीय-II
सेवा कर	कर	7.86	2016-2017	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अपीलीय-II
सेवा कर	कर	0.68	2017-2018 (जून 2017 तक)	केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अपीलीय-II
सेवा कर	कर	7.84	2010-2011 से 2013-2014	केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अपीलीय-II
सेवा कर	कर	3.92	2014-2015	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अपीलीय-II
सेवा कर	कर	5.52	2015-2016	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अपीलीय-II
सेवा कर	कर	10.43	2016-2017 और 2017-2018	केंद्रीय आयुक्त आबकारी अपीलीय-II
भविष्य निधि	मांग	22.29	2012-2013 - 2015-2016	भविष्यनिधि न्यायाधिकरण दिल्ली
	ब्याज	5.98		
	कम: भुगतान किया	(5.98)		
	कुल	**22.29**		

viii. लेन-देन बही में दर्ज नहीं:

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी लेन-देन को सरेंडर या खुलासा नहीं किया है, जो पहले आय के तहत कर निर्धारण में खाते की किताबों में आय के रूप में दर्ज नहीं किया गया था। वर्ष के दौरान आय के रूप में कर अधिनियम, 1961। तदनुसार, आदेश के खंड 3(viii) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

ix. बैंकों/वित्तीय संस्थानों से उधार:

हमें दी गई जानकारी के अनुसार और कंपनी की बहियों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई ऋण नहीं लिया है या वित्तीय संस्थानों या बैंकों से या डिबेंचर जारी करके कोई राशि उधार नहीं ली है। तदनुसार, आदेश की धारा 3(ix) (ए) , (बी), (सी), (डी), (ई), और (एफ) लागू नहीं होती हैं।

x. सार्वजनिक प्रस्ताव/ अधिमान आवंटन/ निजी प्लेसमेंट:

(ए) कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे के सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है, तदनुसार, आदेश का खंड 3(x)(ए) लागू नहीं होता है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार , और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और 62 के तहत शेयरों का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार, खंड 3(x)(बी) आदेश कंपनी पर लागू नहीं होता है।

xi. कंपनी द्वारा / कंपनी पर धोखाधड़ी:

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार , और जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है और कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर और भारत में आम तौर पर स्वीकृत ऑडिटिंग प्रथाओं के अनुसार, और भौतिकता के सिद्धांतों पर विचार करते हुए ऑडिटिंग पर मानक वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला या इसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अधिनियम की धारा 143 की उप धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट लेखा परीक्षकों द्वारा फॉर्म एडीटी -4 में दायर नहीं की गई है, जैसा कि कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) के नियम 13 के तहत निर्धारित है।) केंद्र सरकार के साथ नियम, 2014।

(सी) ऑडिटर के रूप में, हमें वर्ष 2021-22 के दौरान कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई। इसलिए, आदेश के खंड 3 (ग) सी के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

xii. निधि कंपनी पर लागू प्रावधान

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार , कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, निधि कंपनी के आदेश के खंड 3(xii)(ए)(बी)(सी) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

xiii. सीओ अधिनियम की धारा 177/188 का अनुपालन

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है और इसलिए उस हद तक कंपनी ने अधिनियम की धारा 177 (2) के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया है, जिसके परिणामस्वरूप धारा का अनुपालन नहीं हुआ है। अधिनियम के 177 (iv)।

कंपनी ने अधिनियम की धारा 188 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है। हालांकि, वित्तीय विवरणों में संबंधित पार्टियों के विवरण का खुलासा किया गया है, जिन्हें प्रबंधन द्वारा आईएनडी एएस 24 ठसंबंधित पार्ली प्रकटीकरणठ के संदर्भ में पहचाना जाता है और हम उन पर भरोसा करते हैं।

xiv. आंतरिक लेखा परीक्षा

(ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।

(बी) लेखापरीक्षा के तहत अवधि के लिए आंतरिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर हमारे द्वारा विचार किया गया था लेकिन प्रबंधन द्वारा टिप्पणियों का समापन/ अनुपालन अभी भी लंबित था। हालाँकि, हमारे द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षकों का रोटेशन नहीं देखा गया था।

xi. निदेशकों के साथ गैर नकद लेनदेन

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

xvi. आरबीआई की धारा 45-1ए की प्रयोज्यता

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार-

(ए) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3 (XVI) (ए) लागू नहीं है।

(बी) कंपनी ने कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं। तदनुसार, आदेश का खंड 3 (XVI) (बी) लागू नहीं होता है।

(सी) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित कंपनी एक कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड (3) (XVI) (सी) लागू नहीं होता है।

(डी) समूह के पास समूह के हिस्से के रूप में कोई सीआईसी नहीं है। तदनुसार, आदेश की धारा 3 (XVI)(डी) लागू नहीं होती है।

xvii. नकद घाटा:

कंपनी को करोड़ों रुपये का नकद घाटा हुआ है । वित्तीय वर्ष 2021-22 में 813.34 करोड़ रुपये का नकद घाटा हुआ था । वित्तीय वर्ष 2020-21 से ठीक पहले में 922.10 मिलियन।

xviii. वैधानिक लेखा परीक्षकों का इस्तीफा:

वर्ष के दौरान कंपनी के लेखापरीक्षकों में परिवर्तन हुआ क्योंकि पिछले लेखापरीक्षकों का कार्यकाल पूरा हो गया था और सीएजी के पत्र संख्या/ सीए.वी/ सीओवाई/ केन्द्र सरकार, होटल सी(एल)/ 468 के अनुसार नई नियुक्ति की गई है। डीटीडी । 19/ 08/ 2021। जैसा कि सूचित किया गया है, उक्त निवर्तमान लेखापरीक्षकों द्वारा कोई मुद्दा, आपत्ति या चिंता व्यक्त नहीं की गई है।

xix. देनदारियों को पूरा करने की क्षमता:

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तारीखों और वित्तीय देनदारियों के भुगतान के आधार पर, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, निदेशक मंडल और प्रबंधन का हमारा ज्ञान योजनाओं और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हम ध्यान आकर्षित करते हैं कि कंपनी को शुद्ध घाटा हुआ है, कंपनी की वर्तमान देनदारियां इसकी कुल संपत्ति से अधिक हैं और इसने नुकसान को संचित किया है जिसके परिणामस्वरूप कंपनी के शुद्ध मूल्य का पूर्ण क्षरण हुआ है । ये कारक भौतिक अनिश्चितता के अस्तित्व का संकेत देते हैं। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा। कंपनी के रूप में और जब वे देय होते हैं।

xx. सीएसआर अनुपालन:

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप धारा (5) स्टैंडअलोन स्तर पर लागू नहीं है, इसलिए खंड 3(xx) (ए) और (बी) के तहत रिपोर्टिंग आदेश लागू नहीं होता है।

xxi. समेकित वित्तीय विवरणों में योग्यताएं या प्रतिकूल टिप्पणियां

क्लॉज (xxi) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में लागू नहीं है। तदनुसार, इस रिपोर्ट के तहत कथित खंड के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

जैन जगवत के लिए कामदार एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 122530ें

एसडी /-
सीए एग्नेल रोड्रिग्स
साझेदार
UDIN : 23156128BGUPWM6149

स्थल : मुंबई
तारिख : 16-01-2023

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए "अनुबंध बी"

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य को सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैरा 2 में संदर्भित।

हमारे द्वारा प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, हम 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के खातों के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करते हैं।

अ. क्र.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश	टिप्पणियाँ
1	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए प्रणाली है ? यदि हां, वित्तीय निहितार्थों, यदि कोई हो, के साथ खातों की सत्यनिष्ठा पर आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ बताए जा सकते हैं।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखा लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम मौजूद है। हालाँकि, कंपनी इन्वेंट्री और इनवॉइस को मैन्युअल रूप से (श्देग्मि-ैमेंत) बनाए रखती है और अपडेट करती है, जिसका अकाउंटिंग सॉफ़्टवेयर के साथ कोई सीधा एकीकरण नहीं है। संचालन से इन्वेंटरी और राजस्व मैन्युअल रूप से ठटैली ईआरपीठ सॉफ्टवेयर में अपडेट किया जाता है। आईटी सिस्टम के बाहर इन लेखा लेनदेन के प्रसंस्करण पर खातों की अखंडता या वित्तीय प्रभाव पर भौतिक प्रभाव पड़ता है।
2	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी नेता द्वारा कंपनी के मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या ऋण/ ऋण/ ब्याज आदि को माफ/ बट्टे खाते में डालने के मामले हैं ? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है ? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, मौजूदा ऋण माफी/ डीबीएल/ ऋण/ ब्याज को बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं था और इसलिए उक्त खंड लागू नहीं है।
3	क्या केंद्रीय/ राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/ प्राप्य निधियों का इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब/ उपयोग किया गया था ? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	कंपनी को लेखापरीक्षा अवधि के दौरान किसी भी केंद्रीय/ राज्य एजेंसियों से धन प्राप्त नहीं हुआ है।

जैन जगवत के लिए कामदार एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 122530ें

एसडी /-
सीए एग्नेल रोड्रिग्स
साझेदार
UDIN : 23156128BGUPWM6149

स्थल : मुंबई
तारिख : 16-01-2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के लिए "अनुबंध-सी"

31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए भारतीय होटल निगम के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत पूर्वोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

(सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैरा 2 (ए) (एफ) में संदर्भित)

राय

हमने 31 मार्च, 2022 तक होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (कंपनी) के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, साथ ही उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ .

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर गाइडेंस नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों के पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। कंपनी अधिनियम, 2013 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत आवश्यक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित गाइडेंस नोट और ऑडिट पर मानकों के अनुसार, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक अपना ऑडिट किया। उन मानकों और गाइडेंस नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और ऑडिट करें कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसा नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होता है।

हमारे ऑडिट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया शामिल है। नीचे राय पैराग्राफ के अस्वीकरण में वर्णित मामले के कारण, हम कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रिया है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो

(1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है , जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्ति के लेन-देन और निपटान को सही और निष्पक्ष रूप से प्रकट करता है;

(2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेन-देन आवश्यक रूप से दर्ज किए जाते हैं, और यह कि कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं। ; और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव डाल सकते हैं ।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएँ

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री का गलत विवरण हो सकता है और पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान जोखिम के अधीन है कि भविष्य की अवधि के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर बिगड़ सकता है।

योग्य राय

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर जारी दिशानिर्देश नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों के आधार पर या उन पर विचार करते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपना आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित नहीं किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा इस कारण से, हम इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में अपनी राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं । वित्तीय रिपोर्टिंग पर और क्या इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

भौतिक कमजोरियाँ

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे ऑडिट के आधार पर, MSMED अधिनियम के गैर-अनुपालन के संबंध में 31 मार्च, 2022 तक निम्नलिखित भौतिक कमजोरियों की पहचान की गई है; पिछले वर्ष के लाइसेंस शुल्क की गैर-मान्यता; एक्सक्लूसिव पेंटिंग्स और उसके लेखांकन का गैर-मूल्यांकन , लेखांकन प्रविष्टियों के लिए कोई मेकर-चेकर प्रथा का पालन नहीं किया गया; निविदा प्रक्रिया ठीक से लागू नहीं की गई और उसका पालन नहीं किया गया; टैली ईआरपी में कोई भूमिका आधारित पहुंच प्रतिबंध नहीं; नामे/ जमा शेषों की गैर-पुष्टि/ मिलान/ निर्धारण; पिछले वित्तीय वर्ष की लेखा पुस्तकें फ्रीज/ लॉक नहीं हैं; असंबद्ध प्राप्तियां, मालसूची और उसके मूल्यांकन के उचित अभिलेखों का अनुरक्षण न करना; सभी इकाइयों में स्वचालित उपस्थिति लागू नहीं की गई; टीडीएस का समाधान न करना; कुछ इकाइयों में पीपीई के उचित रिकॉर्ड का रखरखाव न करना और भौतिक रिपोर्ट और खाते की पुस्तकों के बीच गैर-सामंजस्य ; नियत सचिवीय अभिलेखों का अनुरक्षण न करना; कर्मचारियों की गैर-भर्ती और कर्तव्यों का रोटेशन; आंतरिक लेखा परीक्षकों का कोई रोटेशन नहीं; लेखा सॉफ्टवेयर टैली ईआरपी के साथ इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर (जैसे शैंपेन) और राजस्व बिलिंग (पोर्टल) सॉफ्टवेयर का कोई सीधा एकीकरण नहीं है ।

भौतिक कमजोरी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी या कमियों का एक संयोजन है, जो एक उचित संभावना की पुष्टि करता है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों की एक महत्वपूर्ण गलतबयानी को समय पर आधार पर रोका या पता नहीं लगाया जाएगा।

हमने कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में लागू ऑडिट परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर दी गई योग्यता और भौतिक कमजोरियों पर विचार किया है, और अस्वीकरण सामग्री की कमजोरियां कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

जैन जगवत के लिए कामदार एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 122530ें

एसडी /-
सीए एग्नेल रोड्रिग्स
साझेदार
UDIN : 23156128BGUPWM6149

स्थल : मुंबई
तारिख : 16-01-2023

वित्तिय वर्ष २०२१-२२ के लिए भारतीय होटल निगम लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण पर मसौदा स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट हेतु प्रबंधन का उत्तर

वित्तीय वर्ष २०२१-२२ हेतु मसौदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट	प्रबंधन की टिप्पणी
१. जम्मू एवं कश्मीर सरकार और सेंटूर लेक व्यु होटल (सीएलवीएच) के बीच असहमति जम्मू एवं कश्मीर सरकार के निर्णय के शर्तों के अनुसार संपत्ति की जब्ती के जे. एवं के. सरकार की कार्रवाई के लिए १४.०६.२०२२ से सेटोर लेक व्यू होटल (सीएलवीएच) का संचालन बंद था। सभी रेकार्ड्स एवं दस्तावेज जे.एवं के,सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था जिसके कारण हमने सीएलवीएच के वित्त का लेखा परीक्षा नहीं किया है,वित्तिय विवरण में ३१, मार्च,२०२२को रु. ४०५.२३ लाख की कुल संपत्ति शामिल है और सीएलवीएच के वर्ष के अंत के लिए कुल राजस्व रु. ८२.०५ था। प्रबंधन द्वारा इस इकाई का वित्तिय सूचना प्रस्तुत की गई अतः एकल वित्तीय रिपोर्ट में इसके प्रभाव को सुनिश्चित करने में हम असमर्थ हैं। (एकल वित्तीय विवरण के फुट नं. ३२ को देखें)	कंपनी ने जिलाधिकारी द्वारा अपील और लीज्के निरस्तीकरण को चुनौती देते हुए जे एवं के उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया है। मामला न्यायाधीन है और निर्णय के लिए सुरक्षित है।
२. इंवेंट्रीः इंवेंट्री रेकार्ड और लेखा रेकार्ड को एकीकृत नहीं किया गया है। कंपनी की एक्सेल (एमएस आफिस) में हाथ से इंवेंट्री रेकार्ड रखने और अपडेट करने की परम्परा है। स्टॉक्स,स्टोर्स,क्रोकरी,कटलेरी इत्यादि की खपत खरीदी में आदि शेष को जोड़कर और उसमें से घटाकर अंतिम शेषा निकाला जाता है जैसा कि अतीत से परम्परा चली आ रही है। उचित रेकार्ड के रख-रखाव के अभाव में स्टॉक की गतिविधियों जिसमें स्टोरेज, स्क्रैप, पिल्फरेज, दुरुपयोग या चोरी शामिल है किंतु इतने तक ही सीमित नहीं है। इंवेंट्री के मात्रा पर अपने संतुष्टि के अनुसार कोई अन्य प्रक्रिया अपनाने में हम असमर्थ हैं। आगे इंवेंट्री के अंतिम मुल्यांकन को निकालने के लिए किसी मानक उचित उपाय के बावजोद नियमित प्रयुक्त इंवेट्री का मुल्यांकन वर्ष के अंत में लागत का ५०% है। (एकल वित्तीय विवरण का नोट नं. ६ और फुट नोट नं. ४७ देखें।)	कंपनी ने दिल्ली,मुंबई और श्रीनगर के ३ स्थानों को टैली करने के लिए इंवेंट्री को इकट्ठा करने के लिए कदम उठाया है। हमें आशा है कि यह काम वित्तीय-वर्ष २०२२-२३ के अंत तक पूरा हो जाएगा।
३. एमएसएमईडी कानून का अनुपालन कंपनी ने माइक्रो लघु एवं मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, २००६ के अंतर्गत पंजीकृत एमएसएमई वेंडरों को वर्गीकृत किया है। एमएसएमई इकाइयों के हित में अधिप्राप्ति के अनुपालन में बकाया, यदि कोई है, तो उसकी जांच नहीं किया गया है। अतः ऐसी इकाइयों को भुगतान में बिलंब और व्याज की देयताओं तथा एमएसएमईडी कनून के प्रावधानों की शर्तानुसार ऐसे लंबित भुगतानों को निर्धारित करने में असमर्थ हैं। (एकल वित्तीय विवरण के नोट नं. १८ और फुट नोट नं. ४४ देखें।)	एमएसएमई इकाइयों का पंजीकरण निविदा प्रक्रिया के दौरान पार्टियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार किया जाता है। फंड उपलब्ध होने पर एमेसएमई के बकाया का भुगतान प्रायः निर्धारित समय पर करने का प्रयास किया जाता है। एक बार पुनः सभी इकाइयो को एमएसएमई को निर्धारित समयावधि के अंदर भुगतान सुनिश्चित करने का निदेश जारी किया गया है।

चलते हुए संस्थान के बारे में प्रमुख अनिश्चितता ३ मार्च.२०२२ को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी ने रु.८४२.५१ लाख की हानि हुई है और इसी दिन को कंपनी की कुल देयताएं इसकी कुल निवल संपत्ति से रु. २६५.३९ लाख अधिक हैं तथा इसकी समेकित हानिरु.७५४१.६१ लाख हो गया है जिसके कारण कंपनी के निवल संपत्ति का क्षरण हो गया है। ए कारक कंपनी के अस्तित्व के प्रमुख अनिश्चितता की ओर संकेत करते हैं। तथापि प्रबंधन द्वारा किए गए आंकलन के अनुसार उपरोक्त नोट में उल्लिखित अन्य कारकों के आधार पर यह वित्तीय रिपोर्ट चलते हुए संस्थान के आधार पर तैयार किया गया है और रिपोर्टिंग तारीख को कंपनी के संपत्तियों के चालू मुल्य और देयताओं का कोई समायोजन नहीं किया गया है। (फुट नोट नं. ५२ देखें।)	कंपनी को विश्वास है कि वि.व. २०२२-२३ में निष्पादन में सुधार होगा।
महत्वपूर्ण विषय १. ट्रेड देय, ट्रेड प्राप्य, ऋण, और अग्रिम, जमा इत्यादि के बारे में शेष की पुष्टि प्रार्टियों से नहीं प्राप्त हुआ है अतएंव हम देय/प्राप्य किस सीमा तक शेष हैं।	अगले वर्ष के लिए नोट कर लिया गया है।
२. प्रापर्टी प्लांट उपकरण (अचल संपत्ति) विभिन्न इकाइयों में उचित रूप से नहीं रखा और अपडेट गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कोई प्रत्यक्ष जांच नहीं किया गया है (वि.व.२०१९-२०२० में पिछला निरीक्षण किया गया था।) (एकल वित्तीय विवरण के नोट नं. २ए एवं फुट नोट नं. ४५ देखें)	वि.व.२०२२-२३ में पीपीई का प्रत्यक्ष जांच किया जाएगा।
३. भारतीय विमान प्राधिकरण (एएआई) / दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डीआईएएल) /मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (एमआईएएल) देय लीज भाड़ा, और व्यापार उपकर का प्रावधान कंपनी के लेखा-पुस्तक में किया गया है और वित्तीय विवरण में उचित रूप से दिखाया गया है। आगे एएआई/डीआईएएल/एमआईएएल और कंपनी के बीच विवाद के कारण इस खाते में बकाया देय पर व्याज का प्रावधान नहीं किया गया है किंतु आनुषंगिक देयता शीर्ष में खुलासा किया गया है और जो भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। (एकल वित्तीय विवरण के नोट नं. १५,१७ एवं फुट नोट नं. ३०(९)देखें)	एएआई के साथ व्याज का विवाद उठने को ध्यान में रखते हुए निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार इसका खुलासा आनुषंगिअक देयता में किया गया है।
४. पूर्व का वेतन करार ३१ दिसम्बर,२००६ को समाप्त हो गया है और यूनियन मागों की सूची प्रस्तुत किया है। कंपनी ने प्रबंधन की वेतन बातचीत कमेटी और एचसीआई यूनियन समन्वय कमेटी के बीच बातचीत हुई थी और सिविल एविएशन मंत्रालय से अंति स्वीकृति के बाद १८.०८.२००८ से १० वर्ष के लिए कर्मचारियों के संगठित श्रेणी के लिए वेतन संशोधन लागू करने के लिए कंपनी और यूनियन के बीच ०८.०८.२०१९ को समझौता करार किया गया। मजूरी संशोधन वि.व. २०१९-२० में लागू किया गया। ३१.०२.२०२२ को कंपनी के संगठित कर्मचारियों के लिए मजूरी संसोधन का कुल बकाया रु.१४६.३६ लाख है। प्रबंधन ने अधिकारियों के लिए १ जनवरी,२०१७ से प्रत्येक कर्मचारी के लिए रु.५०००/- प्रति माह अंतरिम राहत की घोषणा की और भुगतान जारी रहा था लाभ और हानि खाते में ३१.०३.२०२२ तक ६६.८१ लाख दिखाया गया। जबभी वेतन संशोधन स्वीकृति किया गया इस राशि को देय बकाया, यदि कोई है, के	तथ्य परक विवरण

विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। जिसके लिए लेखा पुस्तक में अलग से विवरण रखा जाएगा। आगे ०८.०८.२००८ से कर्मचारियों को देय बकाए की गणना प्रगति पर है। प्रबंधन का मत है कि यदि दिया गया वेतन अपर्याप्त होगा तो बाकी देयता का प्रावधान उस वर्ष किया जाएगा जब इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।	
५. कंपनी ने कानून के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है जिसके कारण: i. कंपनी ने कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं योग्यता) नियम २०१४ के नियम ४ के साथ पठित कंपनी कानून २०१३ के अनुच्छेद १४९(४) के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं किया है अतएंव लेखापरीक्षा अवधि के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक नहीं आयोजित की गई। ii. चूंकी कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं किया अतः लेखापरीक्षा कमेटी और बोर्ड के नामांकन और पारिश्रमिक कमेटी के बारे में कंपनी (बोर्ड की बैठक सुर अधिकार) नियम २०१४ के नियम ६ के साथ पठित कंपनी कानून, २०१३ के अनुच्छेद १७७(२) और अनुच्छेद १७८ के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है। iii. उपरोक्त गैर-अनुपालन की रिपोर्ट वित्तीय वर्ष २०२०-२१ के लिए दिनांक ४ अगस्त, २०२१ को अपने रिपोर्ट में पहले के लेखा परीक्षकों ने भी किया था।	स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं किया गया है।
६. कंपनी के पास आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जिसे निम्न के लिए मजबूत करने की आवश्यकता है: I. आंतरिक लेखापरीक्षा पक्रिया को मजबूत करना ताकि सभी क्षेत्रों को पर्याप्त कवर सुनिश्चित किया जा सके और कंपनी के सभी इकाइयों में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। ii. सभी निष्पादनों के समय पर लेखाकरण के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया निश्चित करना ताकि उचित लेखा पुस्तक रखा जा सके। (नोट नं. ४७ एवं ४८ देखें।) iii. उपरोक्त गैर-अनुपालन की रिपोर्ट वित्तीय वर्ष २०२०-२१ के लिए दिनांक ४ अगस्त, २०२१ को अपने रिपोर्ट में पहले के लेखा परीक्षकों ने भी किया था।	नोट कर लिया गया है।
७. वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देयताओं का उचित मुल्य को दी गई सर्वोत्तम सूचना या प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के आधार पर निकाला गया है। अन्य आवश्यक सूचना के अभाव में उचित मुल्यांकन के लिए प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना पर आश्रित है।	तथ्यपरक विवरण है।
अन्य मामले **सामग्री एवं सेवा कर** • कुछ इकाइयों में कंपनी ने अपने ग्राहकों से अग्रिम लिया है जिसपर सामग्री एवं सेवा कर कानून /नियम के प्रावधानों के अनुसार जीएसटी नहीं जमा किया गया है, जिसके लिए रेकार्डों के अभाव में राशि को सुनिश्चित करना और उसकी मात्रा सुनिश्चित नही किया जा सकता। • आगे कंपनी ने देनदारों/वेंडरों के इनवायसों पर जीएसटी इनपुट (आईटीसी)	होटल के बैंक्वेट कार्यक्रम के बारे में लेखापरीक्षकों द्वारा उठाया गया प्वाइंट महत्वपूर्ण नहीं है, जैसा कि बताया गया है, इसे जीएसटी सलाहकारों के साथ चर्चा क्की गई है और वि.व. २०२१-२०२२ के लिए रिटर्न जमा करता समय निपटा लिया जाएगा।

प्राप्त किया है किंतु इसे वापस सरेंडर नहीं किया गया है जिसमें जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित समय के अंदर भुगतान नहीं किया गया है। जिसके लिए उचित रेकार्डों के अभाव में राशि को सुनिश्चित करना और उसकी मात्रा सुनिश्चित नही किया जा सकता। • उपरोक्त दोनो मामले में जीएसटी देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया है जिसका प्रभाव एकल वित्तीय विवरण पर पड़ेगा किंतु जिसके लिए रेकार्डों के अभाव में राशि को सुनिश्चित करना और उसकी मात्रा सुनिश्चित नही किया जा सकता।	

अनुबंध-ए हमें दी गई सूचना एव स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रेकार्डों की हमारे द्वारा परीक्षणों के आधार पर कंपनी ने अपनी संपत्ति,प्लांट,और उपकरणों के प्रत्यक्ष जांच के लिए नियमित कार्यक्रम किए हैं जिसके द्वारा सभी संपत्ति,प्लांट और उपकरणों की जांच प्रति दो वर्षों में रोटेशन के आधार पर किया गया है। कार्यक्र्म के अनुसार वि.व. २०१९-२० मेंप्लांत , उपकरणों की प्रत्यक्ष जांच की गई थी। हमारे राय में कंपनी के आकार और इसकी संपत्तियों की प्रकृति के बारी में आवधि प्रत्यक्ष जांच उचित नहीं है।	वि.व. २०२२-२३ के लिए प्रत्यक्ष जांच निर्धारित है और यह ३१.०३.२०२३ तक पूरा होगा।
ऐसी जांच पर प्रमुख कमियां पाई गई हैं क्योंकि संपत्तियों की लोकेशन, मात्रा, टैगिंग खरीदी की तारीख इत्यादि को नहीं पहचाना जाने योग्य थे।	
हमें दी गई सूचना, स्पष्टीकरण और रेकार्डों के अनुसार अचल संपत्तीयों का टाइटल डीड कंपनी के नाम रखा गया है इसमें शेर-ए-पंजाब सोसाइटी, अंधेरी, मुंबई में चार (४) आवासीय फ्लैट शामिल नहीं है जिसमें कनवेंस डीड लंबित है, इसे सोसायटी द्वारा किया जाना है।(नोट २ए द्खें।)	कंपनी वि.व. २०२२-२३ में फ्लैटों के मुल्यांकन की प्रक्रिया में है।
i. **कंपनी कानून के अनुच्छेद १७७/१७८ का अनुपालन** हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं किया है अतएंव कंपनी ने कानून के अनुच्छेद १७७(२) के प्रावधानों का अनुपलन नहीं किया है जिसके परिणाम स्वरूप कानून के अनुच्छेद १७७(ग्न) का गैर अनुपालन हुआ है।	
कंपनी ने कानून के अनुच्छेद क़्८८ के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है। तथापि वित्तीय विवरण में संबंधित पार्टियों के विवरणों का खुलासा नहीं किया गया है जिसे प्रबंधन द्वारा इंड एएस २४ ‘’संबंधित पार्टी खुलासा’ के रूप में पहचाना गया है और इसी पर हम लोगों द्वारा निर्भर रहा गया है।	
ii. **आंतरिक लेखापरीक्षा** (ए) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास अपने आकार और इसकी व्यापार के प्रकृति के अनुसार आंतरिक लेखा प्रणाली है।	
(बी) लेखापरीक्षा के अंतर्गत अवधि के लिए आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट हम लोगों द्वारा विचार किया गया है किंतु हमारी राय की बंदी/अनुपालन अभी भी लंबित है। तथापि अंतरिक लेखापरीक्षकों का रोटेशन हमने नहीं पाया है।	वि.व. २०२२-२३ मं आंतरिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति क्र लिए निविदा मंगाई गई है।.

अनुबंध-सी कंपनी कानून,२०१३ के अनुच्चीद १४३ के उप-अनुच्छेद ३ के क्लाज (१) के अंतर्गत उपरोक्त एकल वित्तीय विवरण के संदर्भ में आंतरि वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट महत्वपूर्ण कमजोरियां हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर ३१ मार्च,२०२२ को निम्न के बारे में निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमजोरियां पाई गई है- एमएसएमईडी कानून का गैर-अनुपालन, पूर्व वर्ष के लिए लाइसेंस शुल्क की अमान्यता, विशिष्ट पेंटिंग और उसका लेखाकरण, लेखाकरण प्रविष्टियों के लिए कोई मेकर-चेकर का पालन नहीं किया गया, निविदा प्रक्रिया का उचित पालन नहीं किया गया, टैली ईआरपी में प्राप्ति आधारित कोई रोल नहीं है, डेबिट क्रेडिट बैलेंस का गैर-पुष्टिकरण/मेल-मिलान/आंकलन, गत वित्तीय वर्ष के लेखा-पुस्तकों फ्रीज/बंद नहीं किया गया, बेमेल रसीद, इंवेट्री और उसके मुल्यांकन उचित रेकार्ड नहीं रखना, सभी इकाइयों में स्वचालित उपस्थिति लागू नहीं किया गया, टीडीएस का गैर-मेल-मिलान, कुछ इकाइयों में पीपीई का उचित रेकार्ड नही रखना और प्रत्यक्ष रिपोर्ट और लेखा पुस्तक में गैर-मेल-मिलान,साचिविक रेकार्ड नहीं रखना, कर्मचारियों की गैर-नियुक्ति कार्यका रोटेशन,दिल्ली इकाईकेआंतरिक लेखापरीक्षकों की रोटेशन नहीं करना,इंवेंट्री साफ्ट्वेयर का सीधा एकीकरण नहीं करना, (जैसे चैपेगने)और राजस्व बिलिंग (पोर्टल) लेखाकरण सॉफ्ट्वेयर''टैली ईआरपी'' का न लगाना। हमने कंपनी के एकल वित्तीय विवरण के अपने लेखापरीक्षा में प्रकृति, समय,और लेखापरीक्षा के निर्धारण के लिए उपरोक्त घोषणा और महत्वपूर्ण कमजोरियों पर विचार किया है, और घोषणा, महत्वपूर्ण कमजोरियों नें कंपनी के एकल वित्तीय रिपोर्ट पर हमारी राय को प्रभावित नहीं किया है।	आईसीएफआर के लेखापरीक्षा में बताई गई कुछ कमजोरियों पर ध्यान दिया जा रहा है। टैली में मेकर-चेकर की अवधारणा क बारे में लेखा कर्मियों द्वारा तैयार किए जानेवाले सभी बाउचरों में मेकर-चेकर लागू है। तथापि जैसा कि सुझाव दिया गया है, टैली की भूमिका आधारित प्राप्ति की समीक्षा की जा रही है। सेंटोर श्रीनगर और मुंबई इकाइयों में इंवेंट्री सॉफ्टवेयर में टैली का प्रयोग किया जा रहा है। दिल्ली में वि.व. २०२२-२३ में वर्तमान में इसे लागू किया जा रहा है।

31 मार्च 2022 तक का तुलन पत्र

₹ लाखों में

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
संपत्ति			
(1) गैर-वर्तमान संपत्ति			
(अ) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2ए	188.79	196.85
(ब) अमूर्त संपत्ति	2 बी	-	
(क) कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस	2सी	8.80	-
(ड) संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार	3	226.79	293.96
(ई) वित्तीय संपत्ति			
(i) अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियां	4	3.26	7.17
(ई) अन्य गैर वर्तमान संपत्ति	5	17.37	17.74
कुल गैर - मौजूदा संपत्तियां		**445.00**	**515.71**
(2) वर्तमान संपत्ति			
(अ) सूची	6	11.42	11.89
(बी) वित्तीय संपत्ति			
(i) व्यापार प्राप्य	7	79.67	338.16
(ii) नकद और नकद समकक्ष	8	52.47	37.03
(iii) नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेष	9	79.79	80.29
(iv) अन्य मौजूदा वित्तीय संपत्तियां	10	28.39	21.77
(क) वर्तमान कर संपत्ति (शुद्ध)	11	52.40	93.41
(ड) अन्य वर्तमान संपत्ति	12	106.07	94.16
कुल मौजूदा संपत्तियां		**410.22**	**676.71**
कुल संपत्ति		**855.22**	**1,192.42**
इक्विटी और देयता			
हिस्सेदारी			
(अ) इक्विटी शेयर पूंजी	13	1,376.00	1,376.00
(ब) अन्य इक्विटी		(7,514.61)	(6,672.10)
कुल इक्विटी		**(6,138.61)**	**(5,296.10)**
देयताएं			
1. गैर चालू देयताएं			
(अ) वित्तीय देनदारियां			
(i) उधार	14	5,029.59	4,392.89
(ii) दीर्घावधि पट्टा देयता	15	258.34	369.29
(बी) प्रावधान	16	494.08	534.81
अन्य गैर-चालू देयताएं			
कुल गैर चालू देयताएं		**5,783.22**	**5,296.98**
2. वर्तमान देनदारियां			
(अ) वित्तीय देनदारियां			
(i) अल्पावधि पट्टा देयता	17	578.51	646.31
(ii) व्यापार देय	18		
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		10.36	12.24
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		24.29	39.43
(iii) अन्य मौजूदा वित्तीय देनदारियां	19	245.31	248.34
(ब) अन्य मौजूदा देनदारियों	20	154.99	143.79
(स) प्रावधान	21	107.16	101.43
कुल वर्तमान दायित्व		**1,120.61**	**1,191.54**
कुल शेयर और देनदारियां		**855.22**	**1,192.42**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	1		

संलग्न नोट 1 से 54 इस वित्तीय का एक अभिन्न अंग है

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

जैन जगत कामदार एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 122530W

सीए एग्नेल रोड्रिग्स
साझेदार
सदस्यता संख्या: 156128

स्थान : मुंबई
तारीख : 05-12-2022

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
भारतीय होटल निगम लिमिटेड

सहि/-
विक्रम देव दत्त
अध्यक्ष
डीन ; 0205541

सहि/-
रुबीना अली
(नामित निदेशक)
डीन : 0845990

सहि/-
दीपक खुल्लर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सहि/-
थर्टी दलाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
सदस्यता क्र. एफसीए034616

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30-11-2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण

₹ लाखों में

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
सततसंचालन			
आय			
संचालन से राजस्व	22	262.77	225.29
अन्य कमाई	23	89.59	24.32
कुल आय		**352.36**	**249.60**
खर्च			
कच्चे माल की खपत की लागत	24	60.92	43.15
कर्मचारी लाभ	25	447.76	443.06
वित्तीय लागत	26	501.30	381.81
मूल्यह्रास / परिशोधन व्यय	3 और 4	29.17	44.09
अन्य खर्चों	27	161.32	311.22
कुल खर्च		**1,200.47**	**1,223.32**
टैक्स से पहले नुकसान		**(848.12)**	**(973.72)**
कर व्यय			
वर्तमान कर		-	-
आस्थगित कर		-	-
जोड़ें (कम) - पिछले वर्षों का लघु (अतिरिक्त) प्रावधान		-	-
लाभ/(हानि) वर्ष के लिए		**(848.12)**	**(973.72)**
अन्य व्यापक आय			
अ) मदें जिन्हें लाभ और हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
(I) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप	28	5.61	7.53
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		**(842.51)**	**(966.19)**
प्रति इक्विटी शेयर आय			
बुनियादी		**(61.23)**	**(70.22)**
पतला		**(61.23)**	**(70.22)**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	2		

संलग्न नोट 1 से 54 इस वित्तीय का एक अभिन्न अंग है

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

जैन जगत कामदार एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 122530W

सीए एग्नेल रोड्रिग्स
साझेदार
सदस्यता संख्या: 156128

स्थान : मुंबई
तारीख : 05-12-2022

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
भारतीय होटल निगम लिमिटेड

सहि/-
विक्रम देव दत्त
अध्यक्ष
डीन ; 0205541

सहि/-
रुबीना अली
(नामित निदेशक)
डीन : 0845990

सहि/-
दीपक खुल्लर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सहि/-
थर्टी दलाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
सदस्यता क्र. एफसीए034616

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30-11-2022

31 मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

इक्विटी के परिवर्तनों का कथन

(अ) इक्विटी शेयर पूंजी

	शेयरों की संख्या	₹ लाखों में
1 अप्रैल, 2020 तक	1,37,60,000	13,760.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	
31 मार्च, 2021 तक	1,37,60,000	13,760.00
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	
31 मार्च, 2022 तक	1,37,60,000	13,760.00

(ब) अन्य इक्विटी

(₹ लाखों में)

विवरण	सामान्य रिजर्व	सामान्य रिजर्व समामेलन	प्रतिधारित कमाई	कुल
1 अप्रैल 2021 तक शेष	-	-	(6,672.10)	(6,672.10)
वर्ष के लिए घाटा	-	-	(848.12)	(848.12)
अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध)	-	-	5.61	5.61
31 मार्च, 2022 तक शेष	-	-	(7,514.61)	(7,514.61)

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

जैन जगत कामदार एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या **122530W**

सीए एग्नेल रोड्रिग्स
साझेदार
सदस्यता संख्या: 156128

स्थान : मुंबई
तारीख : 05-12-2022

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
भारतीय होटल निगम लिमिटेड

सहि/-
विक्रम देव दत्त
अध्यक्ष
डीन ; 0205541

सहि/-
रुबीना अली
(नामित निदेशक)
डीन : 0845990

सहि/-
दीपक खुल्लर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सहि/-
थर्टी दलाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
सदस्यता क्र. एफसीए034616

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30-11-2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
अ. संचालनीय गतिविधियों से प्राप्त रोकड़		
कर पूर्व शुद्ध लाभ	**(848.12)**	**(973.72)**
समायोजनः		
मूल्यह्रास और परिशोधन	29.17	44.09
अन्य इक्विटी और अन्य व्यापक आय में समायोजन	5.61	7.53
सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज	(12.24)	(9.43)
वित्तीय लागत	501.30	381.81
(लाभ)/संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर हानि	(0.01)	(1.00)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन नकदी प्रवाह	**(324.30)**	**(550.73)**
इन्वेंटरी में कमी / (वृद्धि)।	0.47	2.31
व्यापार प्राप्तियों में कमी / (वृद्धि)।	258.49	113.60
अन्य बैंक शेषों में कमी/(वृद्धि)	0.50	(16.73)
(वृद्धि) अन्य वित्तीय संपत्तियों में	(6.62)	174.98
(वृद्धि)/अन्य मौजूदा संपत्तियों में कमी	(11.91)	(5.85)
(वृद्धि)/अन्य गैर-चालू वित्तीय संपत्तियों में कमी	3.91	(2.38)
(वृद्धि)/अन्य गैर-चालू संपत्तियों में कमी	0.37	(0.06)
(कमी) व्यापार देय में वृद्धि	(17.03)	2.06
अन्य वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/(कमी) (वर्तमान)	(3.03)	10.05
अन्य चालू देयताओं में वृद्धि/(कमी)	11.20	(34.16)
(कमी) अल्पावधि प्रावधानों में वृद्धि	5.73	101.43
(कमी) लंबी अवधि के प्रावधानों में वृद्धि	(40.73)	(125.46)
अन्य वित्तीय देनदारियों में वृद्धि/(कमी) (गैर चालू)		
अन्य गैर-वर्तमान देनदारियों में वृद्धि/(कमी)।		
संचालन से उत्पन्न नकदी	(122.95)	(330.95)
आयकर का भुगतान किया	40.81	44.50
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी प्रवाह डए.	**(82.14)**	**(286.45)**
ब. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में वृद्धि	(7.09)	(7.08)
(वृद्धि)/कमी पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	(8.80)	2.44
(वृद्धि)/किसी संपत्ति के उपयोग के अधिकार में कमी	53.37	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री से आय		1.18
सावधि जमा पर प्राप्त ब्याज	12.24	9.43
निवेश गतिविधियों में शुद्ध नकद (प्रयुक्त) डबी.	**49.72**	**5.97**
क. वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
(कमी)/उधार में वृद्धि	636.70	596.45
ब्याज का भुगतान किया	(501.30)	(381.81)
शॉर्ट टर्म लीज लायबिलिटी में वृद्धि/(कमी)।	67.80	29.22
दीर्घावधि पट्टा देयता में वृद्धि/(कमी)	(19.74)	10.82
वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी प्रवाह डसी.	**47.87**	**254.67**
नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध वृद्धि (एबीसी)	**15.45**	**(25.80)**
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य (नीचे नोट देखें)	37.02	62.82
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य (नीचे नोट देखें)	52.47	37.02

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
उप नोट:		
1 नकद प्रवाह विवरण पर भारतीय लेखा मानक - 7 ('इंड एएस-7') में निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति के तहत नकदी प्रवाह विवरण तैयार किया गया है।		
2 नकदी और बैंक शेष के घटक:		
बैंक के पास बैलेंस		
क) अन्य शेष राशि	31.78	34.08
नकद	0.09	0.02
बैंक गारंटी और अन्य प्रतिबद्धताओं के खिलाफ मार्जिन मनी के रूप में रखी गई बैंक जमा, परिपक्वता 3 महीने से कम		
3 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली बैंक जमा	20.60	2.93
कुल	**52.47**	**37.03**

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

जैन जगत कामदार एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 122530W

सीए एग्नेल रोड्रिग्स
साझेदार
सदस्यता संख्या: 156128

स्थान : मुंबई
तारीख : 05-12-2022

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
भारतीय होटल निगम लिमिटेड

सहि/-
विक्रम देव दत्त
अध्यक्ष
डीन ; 0205541

सहि/-
दीपक खुल्लर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30-11-2022

सहि/-
रुबीना अली
(नामित निदेशक)
डीन : 0845990

सहि/-
थर्टी दलाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
सदस्यता क्र. एफसीए034616

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर नोट्स

(अन्यथा बताए गए को छोड़कर रुपए लाखों में)

नोट 1: कॉर्पोरेट जानकारी

होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, (भारत सरकार की एक कंपनी) भारत में निगमित एक कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत है। कंपनी मुख्य रूप से होटल और फ्लाइट केटरिंग के स्वामित्व, संचालन और प्रबंधन के व्यवसाय में लगी हुई है। यह 11.01.2022 से "एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड" (एआईएएचएल) की सहायक कंपनी है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सेन्टुर हॉटल, आईजीआई एअरपोर्ट, नई दिल्ली 110037 में स्थित है।

नोट 2: तैयारी का आधार, महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान और निर्णय, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और हालिया लेखांकन घोषणाएं

वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं:

I. **आईएनडी एएस के साथ तैयारी और अनुपालन का आधार**

2017 को समाप्त वर्ष सहित सभी अवधि के लिए , कंपनी ने भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी) के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार किए और लेखा मानक (पिछले जीएएपी) का अनुपालन किया, जैसा कि धारा 133 के तहत अधिसूचित किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 को कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ-साथ लागू सीमा तक संशोधित और कंपनी अधिनियम, 2013 की प्रस्तुति आवश्यकताओं के साथ पढ़ा गया।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 16 फरवरी, 2015 की अधिसूचना के अनुसार, कंपनी ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 के नियम 4ए के साथ पठित धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) को अपनाया है। यथासंशोधित, और कंपनी अधिनियम, 2013 (सामूहिक रूप से, इंड एएस) के संबंधित प्रावधान 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी हैं, कंपनी को 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए इंड एएस के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता है। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए ये वित्तीय विवरण (इंड एएस वित्तीय विवरण) कंपनी द्वारा इंड एएस के अनुसार तैयार किए गए पहले वित्तीय विवरण थे और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण भी हैं उसी के आधार पर तैयार किया गया है।

ii. माप का आधार:

ये वित्तीय विवरण निम्न को छोड़कर ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं:

i) कुछ वित्तीय संपत्तियां, देनदारियां और आकस्मिक प्रतिफल जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है;
ii) बिक्री के लिए धारित संपत्ति- बिक्री लागत घटाकर उचित मूल्य पर मापी गई ; और
iii) परिभाषित लाभ योजनाएँ - योजना संपत्ति, उचित मूल्य पर मापी गई।

संपत्ति और देनदारियों को कंपनी के सामान्य परिचालन चक्र के अनुसार वर्तमान या गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है और कंपनी अधिनियम, 2013 और इंड एएस 1- वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति की अनुसूची - III में निर्धारित अन्य मानदंड हैं।

iii. **महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान/निर्णय:**

इंड-एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को अनुमान, निर्णय और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है। ये अनुमान, निर्णय और धारणाएँ लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और संपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा, आकस्मिक संपत्तियों के प्रकटीकरण और देनदारियां और अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि। वास्तविक परिणाम ऐसे अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों और परिवर्तनों की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों के संशोधनों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमानों को संशोधित किया जाता है और भविष्य की किसी भी अवधि में।

वित्तीय विवरणों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं, वे इस प्रकार हैं:

अ) संपत्ति की अनुपस्थिति।
ब) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों का मापन और मूल्यांकन कि लागत के किन घटकों को पूंजीकृत किया जा सकता है।

क) बिक्री के लिए धारित गैर-चालू संपत्तियों के वर्गीकरण का आधार।
ड) आस्थगित कर संपत्तियों की मान्यता।
इ) परिभाषित लाभ दायित्वों की मान्यता और माप।
फ) पट्टे के वर्गीकरण का पता लगाने के लिए आवश्यक निर्णय ।
ग) उचित मूल्य और अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मापन।
ह) यह पता लगाने के लिए निर्णय की आवश्यकता है कि क्या यह संभावित है या नहीं कि कराधान विवादों और कानूनी दावों को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों को शामिल करने वाले संसाधनों का बहिर्प्रवाह आवश्यक होगा।

iv. परिचालन चक्र और वर्तमान और गैर-वर्तमान का वर्गीकरण:

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत प्रदान किए गए वर्तमान / गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर वित्तीय विवरण में संपत्ति और देनदारियों का प्रस्तुतिकरण किया गया है। कंपनी सेवा क्षेत्र में होने के कारण, कोई विशिष्ट परिचालन चक्र नहीं है; हालांकि, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची घ्घ्क के प्रावधानों के संदर्भ में 12 महीने की अवधि को ठऑपरेटिंग साइकिलठ के रूप में अपनाया गया है। तदनुसार, वर्तमान देनदारियों और वर्तमान संपत्तियों में गैर-वर्तमान वित्तीय देनदारियों और संपत्तियों का वर्तमान हिस्सा शामिल है।

v. COVID-19 पर वैश्विक स्वास्थ्य महामारी से संबंधित अनुमान अनिश्चितता:

विश्व स्तर पर और भारत में कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी का प्रकोप आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण गड़बड़ी और मंदी का कारण बन रहा है। वर्ष के दौरान कंपनी का परिचालन और राजस्व भी कोविड-19 के कारण प्रभावित हुआ। कोविड-19 महामारी के कारण विभिन्न गतिविधियों पर लगाए गए लॉकडाउन और प्रतिबंधों ने कंपनी के व्यवसाय के लिए चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली और श्रीनगर में हमारे होटलों और मुंबई और दिल्ली में फ्लाइट किचन में कम ऑक्यूपेंसी है। लॉकडाउन प्रतिबंधों को हटाने के साथ, कंपनी ने पूरी तरह से और अच्छी तरह से पूर्वाभ्यास किए गए सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापित करने के बाद, नॉन-कंटेनमेंट ज़ोन में होटलों को फिर से खोल दिया है ।

कंपनी द्वारा कई कदम उठाए गए हैं जैसे मौजूदा कमरों का नवीनीकरण, कॉर्पोरेट ग्राहकों को टैप करना और अन्य तरीके। इस महामारी के कारण आर्थिक स्थितियों में भविष्य की अनिश्चितताओं से संबंधित धारणाओं और अनुमानों को विकसित करने में, कंपनी ने इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि पर सूचना के आंतरिक और बाहरी स्रोतों का उपयोग किया है और वर्तमान अनुमानों के आधार पर, वसूली की उम्मीद की है। इन संपत्तियों की वहन राशि। वैश्विक स्वास्थ्य महामारी का प्रभाव इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि के अनुमान से भिन्न हो सकता है और कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों में किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

vi. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां:

अ. इन्वेंटरी (IND AS 2)

इन्वेंटरी में मुख्य रूप से सॉफ्ट फर्निशिंग (लिनन), कटलरी / क्रॉकरी और स्टोर और पुर्जे शामिल हैं। इन्वेंट्री की लागत में गैर-वापसी योग्य छूट और छूट को घटाने के बाद खरीद की सभी लागतें शामिल हैं और इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने के लिए किए गए अन्य सभी लागतों को भारित औसत आधार पर निर्धारित किया जाता है।

नियमित रूप से उपभोग की गई इन्वेंट्री की इन्वेंट्री का मूल्यांकन वर्ष के अंत में क्लोजिंग इन्वेंट्री के 50झ्कम लागत के रूप में निकाला जाता है । एक्सपेंडेबल्स और कंज्यूमेबल्स को शुरुआती इश्यू के समय चार्ज किया जाता है, सिवाय मरम्मत योग्य वस्तुओं की मरम्मत के लिए जो मरम्मत कार्य पूरा होने पर वर्क ऑर्डर बंद होने पर समाप्त हो जाते हैं।

सॉफ्ट फर्निशिंग (लिनेन) और स्टोर और आपूर्ति (कटलरी और क्रॉकरी) को कम लागत या एनआरवी पर मूल्यांकित किया जा रहा है और खपत के लिए जारी किए जाने पर लाभ और हानि के विवरण के लिए लिखा गया है।

ब. कैश फ्लो स्टेटमेंट (आईएनडी एएस-7)

इंड एएस-7 कैश फ्लो का विवरण में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके नकदी प्रवाह की सूचना दी जाती है, जिससे कर से पहले लाभ / (हानि) को गैर-नकदी प्रकृति के लेनदेन के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है और अतीत या भविष्य के नकदी के किसी भी आस्थगन या उपार्जन को समायोजित किया जाता है। भुगतान की रसीद। उपलब्ध जानकारी के आधार पर कंपनी के संचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह को अलग किया जाता है।

क. आय कराधान (आईएनडी एएस – 12)

आयकर व्यय में वर्तमान कर व्यय और वर्ष के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति या देयता में शुद्ध परिवर्तन शामिल है। लाभ और हानि के विवरण में वर्तमान और आस्थगित कर को मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित हों, उस स्थिति में, वर्तमान और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय या सीधे में भी मान्यता प्राप्त है। इक्विटी में, क्रमशः।

वर्तमान कर

वर्तमान कर व्यय का हिसाब उसी अवधि में किया जाता है जिससे राजस्व और व्यय संबंधित होते हैं। लागू कर दरों और प्रचलित कर कानूनों के अनुसार निर्धारित कर भत्ते, कटौती और छूट पर विचार करने के बाद कर योग्य आय पर देय कर देयता के लिए वर्तमान आयकर का प्रावधान किया गया है। वर्तमान कर संपत्ति और वर्तमान कर देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है जब मान्यता प्राप्त राशियों को सेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार होता है और संपत्ति और देयता को शुद्ध आधार पर निपटाने का इरादा होता है।

आस्थगित कर

अस्थायी के लिए प्रदान करते हुए, बैलेंस शीट पद्धति का उपयोग करके आस्थगित कर को मान्यता दी जाती है
वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि और कराधान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली संबंधित राशियों के बीच अंतर ।

आस्थगित कर देनदारियों को सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए पहचाना जाता है। आस्थगित कर संपत्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों, अप्रयुक्त कर क्रेडिटों और कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए उस सीमा तक मान्यता दी जाती है जो संभावित है कि भविष्य के कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे जिसके विरुद्ध उनका उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर संपत्तियों की अग्रणीत राशि की समीक्षा की जाती है और इस हद तक घटाया जाता है कि अब यह संभव नहीं है कि संपत्ति के सभी या हिस्से को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि के लिए लागू होने की उम्मीद होती है जब संपत्ति की वसूली या देयता का निपटान किया जाता है, जो कि रिपोर्टिंग तिथि द्वारा अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किए गए कानूनों के आधार पर होता है।

आस्थगित कर का माप उन कर परिणामों को दर्शाता है जो उस तरीके से अनुसरण करेंगे जिसमें कंपनी रिपोर्टिंग तिथि पर अपनी संपत्ति और देनदारियों की वहन राशि को पुनर्प्राप्त करने या व्यवस्थित करने की अपेक्षा करती है।

आस्थगित कर संपत्ति और देनदारियां ऑफसेट हैं यदि वर्तमान कर देनदारियों और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आय करों से संबंधित हैं, लेकिन वे वर्तमान कर देनदारियों और परिसंपत्तियों को शुद्ध आधार पर निपटाने का इरादा रखते हैं या उनकी कर संपत्ति और देनदारियों को एक साथ वसूल किया जाएगा।

ड. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण: (पीपीई) (इंड एएस – 16)

i. **<u>सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण</u>**

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण ट्रांजिशन की तारीख से मान्य लागत पर चल रहे हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की प्रारंभिक लागत में इसकी खरीद मूल्य शामिल है, जिसमें गैर-वापसी योग्य शुल्क और कर शामिल हैं, उधार लेने की लागत और संपत्ति को काम करने की स्थिति और इसके इच्छित उपयोग के लिए स्थान पर लाने के लिए कोई अन्य सीधे आरोपणीय लागत । यदि किसी प्रावधान के लिए मान्यता मानदंड पूरे होते हैं, तो इसमें संपत्ति को बंद करने और हटाने और इसके उपयोग के बाद साइट को पुनर्स्थापित करने के लिए अपेक्षित लागत का वर्तमान मूल्य भी शामिल है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के संचालन के बाद किए गए व्यय, जैसे कि मरम्मत और रखरखाव, आमतौर पर उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण के लिए शुल्क होते हैं, जिसमें लागतें खर्च की जाती हैं। प्रमुख ओवरहाल व्यय को पूंजीकृत किया जाता है यदि मान्यता मानदंड पूरे होते हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद के निपटान पर लाभ और हानि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अग्रणीत राशि से निपटान की प्राप्तियों को घटाकर निर्धारित की जाती है और लाभ और हानि के विवरण में अन्य आय/ अन्य व्यय के भीतर निवल मान्यता प्राप्त होती है।

अवशिष्ट मूल्य, उपयोगी जीवन और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मूल्यह्रास की विधि की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और यदि उपयुक्त हो तो भावी प्रभाव से समायोजित की जाती है।

संपत्तियों का आगे भौतिक सत्यापन बारी-बारी से किया जाता है ताकि प्रत्येक संपत्ति का प्रत्येक दो वर्षों में सत्यापन किया जा सके और सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियों को उस वर्ष में समायोजित किया जा सके जिसमें रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और अंतिम रूप दिया गया।

ii. **कैपिटल कार्य – प्रगति पर**

निर्माण के दौरान परिसंपत्तियों को प्रगति खाते में पूंजीगत कार्य में पूंजीकृत किया जाता है। उस बिंदु पर जब संपत्ति प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालित करने में सक्षम होती है, तो निर्माण की लागत को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयुक्त श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

iii. अवमूल्यन और परिशोधन:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण लागत से कम संचित मूल्यह्रास और हानि के लिए किसी भी प्रावधान पर बताए गए हैं। मूल्यह्रास तब शुरू होता है जब संपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती है।

मूल लागत के 5इ के अवशिष्ट मूल्य को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची घ्घ (अन्यथा बताए गए को छोड़कर) में निर्धारित संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। मूल्यह्रास पद्धति, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रबंधन द्वारा की जाती है।

बड़े नवीकरण/ नवीनीकरण, आधुनिकीकरण/ रूपांतरण पर खर्च की गई लागत को उपयोगी जीवन और/ या पट्टे की अवधि, जैसा भी मामला हो, पर मूल्यह्रासित किया जाता है।

नई इकाई के लिए पहली बार खरीदे गए रसोई के बर्तन चार साल में बराबर बट्टे खाते में डाले जाते हैं। बाद के वर्षों में कोई भी जोड़ खरीद के वर्ष में लिखा जाता है।

एक नई इकाई/ प्रमुख नवीनीकरण के लिए शुरू में खरीदे गए कालीनों को खरीद के वर्ष में अचल संपत्तियों के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और उपरोक्त पैरा डी में निर्दिष्ट सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास किया जाता है। बाद के वर्षों में खरीदे गए कालीनों को खरीद के वर्ष में सॉफ्ट फर्निशिंग के रूप में लिखा जा रहा है।

मुद्दे के वर्ष में भारी पर्दे लिखे गए हैं।

ई. कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ (आईएनडी एएस – 19)

कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ में ठपरिभाषित अंशदान योजनाठ और ठपरिभाषित लाभ योजनाठ शामिल हैं।

अ) परिभाषित योगदान योजनाओं में कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा योजना में योगदान शामिल है। पीएफ और ईएसआई बकाया नियमित रूप से सरकारी अधिकारियों के पास जमा किए जाते हैं।

ब) परिभाषित लाभ योजनाएँ जो वित्त पोषित नहीं हैं, ग्रेच्युटी और सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ और अन्य लाभों से युक्त हैं। इन लाभों के लिए देयता भारतीय कानूनों के अनुसार वर्ष के अंत में प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट पद्धति के तहत वास्तविक रूप से निर्धारित की जाती है।

दायित्व अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत दायित्व के वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दरें, तुलन पत्र की तारीख में सरकारी प्रतिभूतियों पर बाजार की पैदावार पर आधारित होती हैं, जिसमें परिपक्वता अवधि संबंधित दायित्वों की शर्तों के अनुसार होती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले पुनः मापन लाभ और हानियों को उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें वे सीधे अन्य व्यापक आय में होते हैं। वे ठइक्विटी में परिवर्तन के विवरणठ और बैलेंस शीट में ठअन्य इक्विटीठ में शामिल हैं।

निपटान या कटौती के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन लाभ और हानि के विवरण में पिछली सेवा लागत के रूप में तुरंत पहचाने जाते हैं।

क) लीव एनकैशमेंट के रूप में अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ को अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में गिना जाता है । लीव एनकैशमेंट के संबंध में कंपनी का शुद्ध दायित्व भविष्य में तय किए जाने वाले लाभ की राशि है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पिछले वर्षों में अपनी सेवा के बदले में अर्जित की है। इसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए लाभ को छूट दी गई है। दायित्व अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर मापा जाता है। पुनः मापन लाभ और हानि के विवरण में उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

ड) अल्पावधि लाभ : गैर-मौद्रिक लाभ सहित मजदूरी और वेतन के लिए देयताएं, जिस अवधि के अंत में कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं, के अंत के बाद 12 महीनों के भीतर पूरी तरह से निपटाए जाने की उम्मीद है, कर्मचारियों की सेवाओं के संबंध में अंत तक मान्यता प्राप्त है। रिपोर्टिंग अवधि और देनदारियों के निपटान के दौरान होने वाली अपेक्षित राशियों पर मापा जाता है। देनदारियों को बैलेंस शीट में अल्पावधि कर्मचारी लाभ दायित्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

फ. विदेशी मुद्रा लेनदेन (आईएनडी एएस – 21)

प्रबंधन ने प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा का निर्धारण किया है जिसमें कंपनी संचालित होती है यानी कार्यात्मक मुद्रा, भारतीय रुपये (रुपये) है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कंपनी की कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें :

i) विदेशी स्टेशनों से संबंधित विदेशी मुद्रा राजस्व और व्यय लेनदेन स्थापित मासिक दरों (प्रकाशित आईएटीए दरों के आधार पर) पर दर्ज किए जाते हैं। ‍ध्र्फ्ऱ्ै द्वारा संबंधित महीने के लिए प्रकाशित विनिमय दर पर परिवहन के लिए एयरलाइंस के साथ इंटरलाइन समझौता किया जाता है ।

ii) विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों का अनुवाद फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FEDAI) द्वारा परिचालित विनिमय दर का उपयोग करके किया जाता है। लाभ/(हानि) विदेशी मुद्रा लेनदेन की वसूली/निपटान के कारण और मौद्रिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों और देनदारियों के अनुवाद पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

iii) 1 अप्रैल, 2016 से पहले उत्पन्न होने वाली दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के संबंध में, दीर्घावधि मौद्रिक मदों के निपटान या रिपोर्टिंग पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों का प्रभाव उन दरों से भिन्न दरों पर होता है, जिस पर वे प्रारंभिक रूप से अवधि के दौरान दर्ज किए गए थे, या रिपोर्ट किए गए थे। पिछले वित्तीय विवरणों में, संपत्ति की लागत में वृद्धि या कटौती के रूप में हिसाब लगाया जाता है, जहां तक यह मूल्यह्रास योग्य पूंजीगत संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है और संबंधित संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास किया जाता है और अन्य मामलों में इस तरह के अंतर को हस्तांतरण द्वारा संचित किया जाता है। ऐसी लंबी अवधि की संपत्ति या देयता की शेष अवधि में परिशोधित करने के लिए ठविदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के अनुवाद अंतर खातेठ के लिए।

ऋण और ऋण और अग्रिमों के संबंध में वर्ष के अंत में विनिमय भिन्नता पर विचार नहीं किया जाता है, जिसके लिए संदिग्ध प्रावधान मौजूद हैं क्योंकि उन्हें प्राप्त होने की उम्मीद नहीं है।

ग. उधार लागतः (आईएनडी एएस – 23)

उधार लागत जो प्रत्यक्ष रूप से अर्हकारी संपत्तियों के निर्माण, पूंजीगत कार्य-प्रगति सहित निर्माण के लिए जिम्मेदार हैं, संपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में संपत्ति के वाणिज्यिक उपयोग के प्रारंभ होने की तिथि तक पूंजीकृत हैं।
अन्य उधार लागतों का व्यय उस वर्ष में किया जाता है जिसमें वे खर्च किए गए हैं

ह. प्रति शेयर आय (आईएनडी एएस – 33)

प्रति शेयर मूल आयः प्रति शेयर मूल आय की गणना कर के बाद के वर्ष के शुद्ध लाभ या हानि को इक्विटी शेयरधारकों की अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।
प्रति शेयर मिश्रित आयः प्रति शेयर मिश्रित आय की गणना कर के बाद के वर्ष के शुद्ध लाभ या हानि को इक्विटी शेयरधारकों के भारित औसत इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है, जिसमें इक्विटी शेयर शामिल होते हैं जो सभी मिश्रित के रूपांतरण पर जारी किए जाते। संभावित इक्विटी शेयर जब तक कि उन्हें प्रकृति में एंटी-डायल्यूटिव नहीं माना जाता है।

आई.संपत्ति की हानि (इंड एएस – 36)

परिशोधन के अधीन आस्तियों की समय-समय पर हानि के लिए समीक्षा की जाती है, जिसमें घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है। हानि हानि की पहचान उस राशि के लिए की जाती है जिसके द्वारा परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है।

वसूली योग्य राशि निपटान की लागत और उपयोग में मूल्य घटाकर उचित मूल्य से अधिक है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है जिसके लिए भविष्य के नकदी प्रवाह का अनुमान है। समायोजित नहीं किया गया है।

यदि किसी आस्ति (या नकद-सृजन इकाई) की वसूली योग्य राशि इसकी अग्रणीत राशि से कम होने का अनुमान है, तो आस्ति (या नकदी-सृजन इकाई) की अग्रणीत राशि इसकी वसूली योग्य राशि तक कम हो जाती है। हानि हानि को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

जब एक क्षतिग्रस्तता हानि बाद में उलट जाती है, तो परिसंपत्ति (या नकद-उत्पादक इकाई) की अग्रणीत राशि इसकी वसूली योग्य राशि के संशोधित अनुमान तक बढ़ा दी जाती है, लेकिन ताकि बढ़ी हुई वहन राशि निर्धारित की गई अग्रणीत राशि से अधिक न हो पिछले वर्षों में आस्ति (या नकदी पैदा करने वाली इकाई) के लिए कोई क्षतिग्रस्तता हानि की पहचान नहीं की गई थी। हानि हानि के उत्क्रमण को लाभ और हानि के विवरण में तुरंत मान्यता दी जाती है।

कंपनी प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख पर यह आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि इसकी गैर-वित्तीय संपत्ति की अग्रणी राशि खराब हो गई है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो आईएनडी एएस-36 के अनुसार हानि के लिए प्रावधान किया गया है।

ज. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं / पूंजीगत प्रतिबद्धताएं और आकस्मिक संपत्तियां (आईएनडी एएस – 37)

माप में पर्याप्त मात्रा में अनुमान शामिल करने वाले प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है और यह संभव है कि संसाधनों का बहिर्वाह होगा।
यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव महत्वपूर्ण है, प्रावधानों को वर्तमान पूर्व-कर दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर, देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है। इन अनुमानों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है। एक प्रावधान से संबंधित व्यय लाभ और हानि के विवरण में प्रस्तुत किया गया है।

संभावित दायित्वों के संबंध में एक नोट के माध्यम से आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया जाता है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न हो सकते हैं लेकिन उनके अस्तित्व की पुष्टि एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है।

आकस्मिक संपत्तियां संभावित संपत्तियां हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से की जाएगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है। एक आकस्मिक संपत्ति का खुलासा तब किया जाता है, जब आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है।

क. बिक्री और बंद संचालन के लिए गैर–वर्तमान संपत्तियां (आईएनडी एएस – 105)

संपत्तियों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अत्यधिक संभावना है कि उन्हें मुख्य रूप से बिक्री के माध्यम से इसकी वर्तमान स्थिति में जारी उपयोग के माध्यम से पुनर्प्राप्त किया जाएगा। ऐसी संपत्तियों का शुद्ध बही मूल्य, अचल संपत्तियों के ब्लॉक से ठबिक्री के लिए रखी गई संपत्तिठ में ले जाने के मूल्य या उचित मूल्य से कम बिक्री लागत पर स्थानांतरित किया जाता है। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत आस्तियों को तुलन पत्र में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। एक बार संपत्ति को बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति में स्थानांतरित करने के बाद, कोई मूल्यह्रास प्रदान नहीं किया जाता है।

ल. अमूर्त संपत्ति (आईएनडी एएस – 38)

अधिग्रहीत अमूर्त संपत्ति को लागत पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है; प्रारंभिक मान्यता के बाद अमूर्त संपत्ति को किसी भी संचित परिशोधन और संचित हानि हानि (यदि कोई हो) से कम लागत पर ले जाया जाता है। अमूर्त संपत्ति के उपयोगी जीवन का मूल्यांकन तीन वर्षों के लिए किया जाता है।

के वार्षिक लाइसेंस शुल्क, विकास, अद्यतन , कार्यान्वयन और रखरखाव से संबंधित लागत को राजस्व खाते में डाला जाता है।

सेवानिवृत्ति या निपटान आय से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि और संपत्ति की वहन राशि को लाभ और हानि के विवरण में आय या व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब संपत्ति की पहचान नहीं की जाती है।

म. वित्तीय साधन (आईएनडी एएस – 109)

एक वित्तीय साधन कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और किसी अन्य इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी उपकरण को जन्म देता है।

अ. वित्तीय पूंजी

(I) वर्गीकरण

कंपनी वित्तीय संपत्तियों को बाद में परिशोधित लागत, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य या वित्तीय संपत्तियों के प्रबंधन के लिए अपने व्यापार मॉडल के आधार पर लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य और वित्तीय संपत्ति की संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत करती है।

(ii) प्रारंभिक मान्यता और माप

लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की गई वित्तीय संपत्तियों के मामले में सभी वित्तीय संपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, लेनदेन की लागत जो वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण के कारण होती है।

(iii) बाद का माप

बाद के माप के प्रयोजनों के लिए वित्तीय संपत्तियों को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

(अ) **परिशोधित लागत पर की गई वित्तीय संपत्ति:** डेरिवेटिव और विशिष्ट निवेशों के अलावा एक वित्तीय संपत्ति को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि यह एक व्यवसाय मॉडल के भीतर आयोजित किया जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह और अनुबंध की शर्तों को इकट्ठा करने के लिए संपत्ति को पकड़ना है। वित्तीय संपत्ति निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती है जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान है।

(ब) **अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति:** एक विशिष्ट निवेश वाली वित्तीय संपत्ति को बाद में अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि यह एक व्यवसाय मॉडल के भीतर आयोजित किया जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय संपत्ति बेचने और दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान है। कंपनी ने अपने व्यापार मॉडल के आधार पर अन्य व्यापक आय में उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को प्रस्तुत करने के लिए इक्विटी उपकरणों के रूप में वर्गीकृत अपने निवेशों के लिए एक अपरिवर्तनीय चुनाव किया है।

(क) **लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति:** एक वित्तीय संपत्ति जिसमें डेरिवेटिव शामिल है, जो उपरोक्त श्रेणियों में से किसी में वर्गीकृत नहीं है, बाद में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्यांकन किया जाता है।

(iv) मान्यता समाप्त

किसी वित्तीय परिसंपत्ति की प्राथमिक रूप से मान्यता रद्द कर दी जाती है जब संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो जाते हैं या कंपनी ने संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है

(v) अन्य वित्तीय संपत्तियों की हानि

कंपनी व्यापार प्राप्य या अनुबंध राजस्व प्राप्य और सभी पट्टा प्राप्य आदि वित्तीय संपत्तियों पर हानि हानि की पहचान और माप के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानियों (ईसीएल) मॉडल के आधार पर हानि का आकलन करती है।

(vi) बट्टे खाते डालना

एक वित्तीय परिसंपत्ति की सकल अग्रणीत राशि को इस हद तक बट्टे खाते में डाला जाता है (या तो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से) कि वसूली की कोई वास्तविक संभावना नहीं है। यह आम तौर पर ऐसा मामला होता है जब कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रतिपक्ष के पास संपत्ति या आय के स्रोत नहीं हैं जो राइट-ऑफ के अधीन राशियों को चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी प्रवाह उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि, बकाया राशि की वसूली के लिए कंपनी की प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए बट्टे खाते में डाली गई वित्तीय संपत्ति अभी भी प्रवर्तन गतिविधियों के अधीन हो सकती है।

ब. **वित्तीय देनदारियों**

(i) प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और, ऋण और उधार और देय राशि के मामले में, प्रत्यक्ष रूप से आरोपित लेनदेन लागतों को घटाकर। कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देय, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऋण और उधार, और व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं।

(ii) वर्गीकरण

कंपनी लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों को छोड़कर, बाद में परिशोधित लागत पर मापी गई सभी वित्तीय देनदारियों को वर्गीकृत करती है। डेरिवेटिव सहित ऐसी देनदारियों को बाद में उचित मूल्य पर मापा जाएगा।

(iii) बाद का माप

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है।

अ) परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियां:

प्रारंभिक मान्यता के बाद, ब्याज वाले ऋण और उधार को बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानियों को लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है जब देनदारियों को ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के साथ-साथ अमान्य कर दिया जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और फीस या लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है।ैंपरिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है।

ब) लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियां:

लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में व्यापार के लिए रखी गई वित्तीय देनदारियां और लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को व्यापार के लिए आयोजित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च किए जाते हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए डेरिवेटिव वित्तीय साधन शामिल हैं जिन्हें आईएनडी एएस 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं किया गया है। पृथक एम्बेडेड डेरिवेटिव को भी व्यापार के लिए आयोजित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं किया जाता है। लाभ और हानि के विवरण में व्यापार के लिए रखी गई देनदारियों पर लाभ या हानि को मान्यता दी गई है।

iv) मान्यता समाप्त

एक वित्तीय दायित्व को तब मान्यता दी जाती है जब दायित्व के तहत दायित्व समाप्त हो जाता है या रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है।

v) वित्तीय साधनों की ऑफसेटिंग

वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है और बैलेंस शीट में शुद्ध राशि की सूचना दी जाती है यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और संपत्ति का एहसास करने और देनदारियों को बेचने के लिए शुद्ध आधार पर बेचने का इरादा है इसके साथ ही

न. **उचित मूल्य मापन (IND AS - 113)**

कंपनी वित्तीय साधनों और विशिष्ट निवेशों (सहायक, संयुक्त उद्यम और सहयोगियों के अलावा) को प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर उचित मूल्य पर मापती है।

सभी परिसंपत्तियां और देनदारियां जिनके लिए उचित मूल्य मापा जाता है या वित्तीय विवरणों में प्रकट किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है, जिसे नीचे वर्णित किया गया है, जो निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है:

स्तर 1: समान संपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य ।

स्तर 2: मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए पुट में निम्नतम स्तर जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य

है।

स्तर 3: मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए निम्नतम स्तर का इनपुट जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, अप्राप्य है।

आवर्ती आधार पर बैलेंस शीट में पहचानी जाने वाली संपत्तियों और देनदारियों के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि वर्गीकरण के पुनर्मूल्यांकन द्वारा पदानुक्रम में स्तरों के बीच स्थानांतरण हुआ है या नहीं (निम्नतम स्तर के इनपुट के आधार पर जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है) संपूर्ण) प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में।

उचित मूल्य के प्रकटीकरण के उद्देश्य से, कंपनी ने संपत्ति या देनदारियों की प्रकृति, विशेषताओं और जोखिमों के आधार पर संपत्ति और देनदारियों की श्रेणियां निर्धारित की हैं और जैसा कि ऊपर बताया गया है, उचित मूल्य पदानुक्रम का स्तर।

ओ. राजस्व मान्यता (आईएनडी एएस –115)

राजस्व को उस राशि पर मान्यता दी जाती है जो उस प्रतिफल को दर्शाती है जिसके लिए कंपनी ग्राहक को माल या सेवाओं के हस्तांतरण के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है यानी ग्राहक को माल या सेवा के नियंत्रण के हस्तांतरण पर। सेवाओं के प्रतिपादन के सामान की बिक्री से राजस्व अप्रत्यक्ष कर, रिटर्न और छूट का शुद्ध है।

परिचालनों से आय

अ. <u>कमरे, भोजन और पेय और बैंक्वेट:</u> राजस्व को लेनदेन मूल्य पर मान्यता दी जाती है जो कि प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित किया जाता है। रेवेन्यू में रूम रेवेन्यू , फूड और बेवरेज सेल और बैंक्वेट सर्विस शामिल हैं, जिसे ग्राहक के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मान्यता दी जाती है, जब रूम पर कब्जा कर लिया जाता है, फूड और बेवरेज बेचे जाते हैं और बैंक्वेट सर्विस दी जाती है। विक्रेताओं से प्राप्त क्रेडिट नोटों को क्रेडिट नोट के दावे/ प्राप्ति की स्वीकृति पर मान्यता दी जाती है।

ब) <u>जगह और दुकान का किराया :</u> किराये में मूल रूप से संपत्तियों पर खुदरा और कार्यालय के लिए जगह देने से अर्जित किराये का राजस्व शामिल होता है। किराए के लिए थीसिस संपर्क आम तौर पर प्रकृति में छोटी अवधि के होते हैं। राजस्व उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें सेवाएं प्रदान की जा रही हैं ।

क) <u>अन्य संबद्ध सेवाएं :</u> लॉन्ड्री आय, संचार आय, स्वास्थ्य, क्लब आय और अन्य संबद्ध सेवाओं के संबंध में, सेवा प्रदान करने के समय के संदर्भ में राजस्व को मान्यता दी गई है। शुद्ध मूल्यह्रास मूल्य पर पीपीई की बिक्री/ स्क्रैप से उत्पन्न लाभ या हानि को गैर-परिचालन राजस्व या व्यय के रूप में लाभ और हानि के विवरण में लिया जाता है।

घ) <u>अन्य मदें :</u>

i) कबाड़ की बिक्री, चिकित्सा के लिए कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति, अवकाश वेतन, आपूर्तिकर्ताओं से ब्याज के दावे, अन्य कर्मचारियों के दावे आदि को नकद आधार पर मान्यता दी जाती है।

ii) बकाया राशि के लिए देय राशियों के लिए देयता / दावों को प्राप्त दावों / चालानों की सीमा तक पहचाना जाता है

अनुबंध शेष (1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी)

अ) अनुबंध संपत्ति

एक अनुबंध संपत्ति ग्राहक को हस्तांतरित माल या सेवा के बदले में विचार करने का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक द्वारा प्रतिफल का भुगतान करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी ग्राहक को माल या सेवाओं को स्थानांतरित करके प्रदर्शन करती है, तो एक अनुबंध संपत्ति को अर्जित प्रतिफल के लिए मान्यता दी जाती है जो कि सशर्त है।

ब) अनुबंध देनदारियां

एक अनुबंध दायित्व एक ग्राहक को सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए कंपनी ने ग्राहक से विचार प्राप्त किया है। यदि कोई ग्राहक कंपनी द्वारा ग्राहकों को सामान या सेवाएं हस्तांतरित करने से पहले विचार करता है, तो भुगतान किए जाने पर एक अनुबंध देयता को मान्यता दी जाती है। जब कंपनी अनुबंध के तहत प्रदर्शन करती है तो अनुबंध देनदारियों को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है

i) <u>रुचि</u>

प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके समय अनुपात के आधार पर ब्याज आय अर्जित की जाती है।

ii. <u>लाभांश</u>

लाभांश आय को मान्यता तब दी जाती है जब राशि प्राप्त करने का कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है।

प. पट्टों (आईएनडी एएस – 116)

एक अनुबंध तब होता है, या इसमें एक पट्टा होता है, जब यह प्रतिफल के बदले एक निश्चित अवधि के लिए किसी पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

एक पट्टेदार के रूप में कंपनी

यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार बताता है, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या:

(i) अनुबंध में एक पहचानी गई संपत्ति का उपयोग शामिल है

(ii) कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान संपत्ति के उपयोग से काफी हद तक सभी आर्थिक लाभ हैं और

(iii) को संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

पट्टे के प्रारंभ होने की तिथि पर, कंपनी एक उपयोग के अधिकार (ठआरओयूठ) और सभी पट्टे व्यवस्थाओं के लिए एक संबंधित पट्टा देयता को पहचानती है जिसमें यह एक पट्टेदार है, बारह महीने की अवधि के पट्टों को छोड़कर या कम (अल्पकालिक पट्टे) और कम मूल्य के पट्टे। इन अल्पकालिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए, कंपनी पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर परिचालन व्यय के रूप में पट्टे के भुगतान को मान्यता देती है। लीज अनुबंध में पट्टा और गैर-पट्टा दोनों घटक शामिल हो सकते हैं। कंपनी लीज़ और गैर-लीज़ घटकों को उनके सापेक्ष मूल्यों के आधार पर अनुबंध में भुगतान आवंटित करती है और लीज़ अकाउंटिंग मॉडल को केवल लीज़ घटकों पर लागू करती है।

उपयोग के अधिकार की संपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें शुरुआती प्रत्यक्ष लागतों के लिए समायोजित लीज़ देयता की प्रारंभिक राशि, प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए लीज़ भुगतान और प्राप्त किसी भी लीज़ प्रोत्साहन को शामिल किया जाता है। उन्हें बाद में संचित मूल्यह्रास और हानि हानियों को घटाकर लागत पर मापा जाता है। लीज देनदारियों के किसी भी पुनर्माप के लिए राइट-ऑफ-यूज एसेट्स को भी समायोजित किया जाता है। जब तक कंपनी पट्टे पर दी गई संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करने या पट्टे की अवधि के अंत में पट्टों के नवीकरण के लिए यथोचित रूप से निश्चित नहीं है, तब तक मान्यता प्राप्त अधिकार-उपयोग की संपत्ति को उनके अनुमानित उपयोगी जीवन या पट्टे की अवधि के कम से कम अवशिष्ट मूल्य पर मूल्यह्रास किया जाता है। .

लीज देनदारी को शुरू में लीज अवधि के दौरान किए जाने वाले लीज भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य की गणना करने में, कंपनी पट्टे की शुरुआत की तारीख में अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है यदि पट्टे में निहित ब्याज दर आसानी से निर्धारित नहीं होती है।

पट्टे की अवधि में विस्तार विकल्पों के अधीन अवधि शामिल है, जिसका उपयोग करने के लिए कंपनी यथोचित रूप से निश्चित है और प्रारंभिक समाप्ति विकल्पों के प्रभाव को बाहर करती है जहां कंपनी यथोचित रूप से निश्चित नहीं है कि वह विकल्प का प्रयोग करेगी।

अगर कंपनी अपने आकलन में बदलाव करती है कि क्या वह एक्सटेंशन या टर्मिनेशन विकल्प और किसी लीज संशोधन का प्रयोग करेगी, तो लीज देनदारियों को संबंधित राइट-ऑफ-यूज एसेट के अनुरूप समायोजन के साथ फिर से मापा जाता है। भुगतान जो 'तत्व में निश्चित' हैं, पट्टा देयता के विरुद्ध प्रभारित किए जाते हैं।

लीज देनदारी और राइट ऑफ यूज एसेट्स को बैलेंस शीट में अलग से प्रस्तुत किया गया है और कंपनी के कैश फ्लो के स्टेटमेंट में लीज भुगतान निम्नानुसार प्रस्तुत किए गए हैं:

- अल्पकालिक पट्टा भुगतान, कम मूल्य की संपत्ति के पट्टे के लिए भुगतान और परिवर्ती पट्टा भुगतान जो पट्टे की देनदारियों के माप में शामिल नहीं हैं, परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह के भीतर प्रस्तुत किए जाते हैं;
- मान्य लीज देनदारियों के ब्याज तत्व के लिए भुगतान परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह के भीतर 'भुगतान किए गए ब्याज' में शामिल हैं ; और
- मान्यता प्राप्त लीज देनदारियों के प्रमुख तत्व के लिए भुगतान वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह के भीतर प्रस्तुत किए जाते हैं

INDAs 116 में संक्रमण

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (ठर्ण्ठ) ने कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2019 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) द्वितीय

संशोधन नियम के माध्यम से, ध्र्ईए 116 पट्टों को अधिसूचित किया है जो मौजूदा पट्टा मानक, ध्र्ईए 17 पट्टों और अन्य को प्रतिस्थापित करता है। व्याख्या। इंडस्ट्रीज़ एएस 116 पट्टेदारों और पट्टेदारों दोनों के लिए पट्टों की मान्यता, माप, प्रस्तुति और प्रकटीकरण के सिद्धांतों को निर्धारित करता है। यह पट्टेदारों के लिए एकल, ऑन-बैलेंस शीट लीज अकाउंटिंग मॉडल पेश करता है। कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि, इंड एएस 116 को अपनाया है और प्रारंभिक आवेदन की तिथि (1 अप्रैल, 2019) को मान्यता प्राप्त मानक को लागू करने के प्रभाव से संभावित रूप से अपने पट्टों के लिए मानक लागू किया है। तदनुसार, कंपनी ने तुलनात्मक जानकारी नहीं दी है, इसके बजाय, 1 अप्रैल, 2019 को प्रारंभिक रूप से इस मानक को लागू करने के संभावित प्रभाव को मान्यता दी गई है।

संक्रमण के लिए, कंपनी ने उन पट्टों के लिए इंड एएस 116 की आवश्यकताओं को लागू नहीं करने का फैसला किया है, जो संपत्ति की श्रेणी और पट्टों के संक्रमण की तारीख से 12 महीने के भीतर समाप्त हो रहे हैं, जिसके लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति एक पट्टे पर कम मूल्य की है- पट्टे के आधार।

क्यू. निर्माता का ऋण (नकद और गैर नकद प्रोत्साहन)

निर्माता की क्रेडिट पात्रताओं को प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया जाता है और 'अग्रिम' के प्रति डेबिट द्वारा 'आकस्मिक राजस्व' में जमा किया जाता है; जब क्रेडिट पात्रता का उपयोग किया जाता है, तो 'अग्रिम' को किसी परिसंपत्ति को प्राप्त करने या व्यय करने के लिए बनाई गई देयता के विरुद्ध समायोजित किया जाता है।

आर. नकद और नकदी के समतुल्य

नकद और नकद समकक्षों में बैंक में नकद और हाथ में और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली अल्पकालिक जमा राशि शामिल होती है, जो मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

एस. खंड रिपोर्टिंग

ऑपरेटिंग सेगमेंट को मुख्य ऑपरेटिंग निर्णय निर्माता को प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप तरीके से रिपोर्ट किया जाता है।

निदेशक मंडल समूह के वित्तीय प्रदर्शन और स्थिति का आकलन करता है और रणनीतिक निर्णय लेता है और व्यवसाय खंड को इसके प्राथमिक खंड के रूप में पहचानता है।

टी. नकदी प्रवाह विवरण

इंड एएस 7 के अनुसार कैश फ्लो स्टेटमेंट, अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके तैयार किया जाता है, जिससे अवधि के लिए लाभ/ हानि को गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है, किसी भी आस्थगित या पूर्व या भविष्य की परिचालन नकद प्राप्तियों या भुगतानों के संचय और नकदी प्रवाह के निवेश या वित्तपोषण से जुड़ी आय या व्यय की वस्तुएं। कंपनी के संचालन, निवेश और वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह अलग-अलग होते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची घ्घ्में संशोधन के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना

अ) कंपनी स्पष्ट शीर्षक विलेख के साथ अचल संपत्ति रखती है। तदनुसार, अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेखों से संबंधित प्रकटीकरण जो तुलन पत्र की तिथि के अनुसार कंपनी के नाम पर नहीं हैं, लागू नहीं है।

ब) कंपनी के पास कोई निवेश संपत्ति नहीं है। तदनुसार, निवेश संपत्ति के उचित मूल्यांकन पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

क) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपने किसी भी संपत्ति संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ड) कंपनी के पास कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है। तदनुसार, अमूर्त संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है

ई) कंपनी ने प्रवर्तकों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों को ऋण के रूप में अग्रिम ऋण या अग्रिम नहीं दिया है।

फ) कंपनी के पास 31 मार्च तक कैपिटल-वर्क-इन-प्रोग्रेस है । तदनुसार, पूंजीगत कार्य-प्रगति की उम्र बढ़ने और पूरा होने की समय-सारणी पर रिपोर्टिंग नीचे दी गई है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजीगत कार्य प्रगति पर है (जैसा कि प्रबंधन द्वारा मैन्युअल रूप से बिलवार और पार्टीवार प्राप्त किया गया है)

31 मार्च, 2022 तक पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	की अवधि के लिए CWIP में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 साल	2–3 साल	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	8.80				8.80
परियोजनाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया					-
संपूर्ण	8.80	-	-	-	8.80

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजीगत कार्य प्रगति पर है (प्रबंधन द्वारा मैन्युअल रूप से बिल–वार और पार्टी–वार प्राप्त किए गए अनुसार)

31 मार्च, 2021 तक पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	की अवधि के लिए CWIP में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 साल	2–3 साल	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं					
परियोजनाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया					-
संपूर्ण	0	0	0	0	0

ग) कंपनी के पास विकास के तहत कोई अमूर्त संपत्ति नहीं है। तदनुसार, विकास की उम्र बढ़ने और समापन अनुसूची के तहत अमूर्त संपत्ति पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है

ह) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की गई है या लंबित है।

आई)कंपनी के पास मौजूदा संपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं है

ज) वर्ष के दौरान और बैंक या वित्तीय संस्थान या ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।

क) कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं किया है।

ल) कंपनी के पास कोई शुल्क या संतुष्टि नहीं है जो अभी तक वैधानिक अवधि से परे आरओसी के साथ पंजीकृत होना बाकी है।

म) सहायक कंपनियों में कंपनी का कोई निवेश नहीं है। तदनुसार, कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन लागू नहीं है।

न) व्यवस्थाओं की अनुमोदित योजना (योजनाओं) के अनुपालन के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

ओ) मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या कंपनी (यों) को अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया है , इस समझ के साथ कि मध्यस्थः (ए) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या अन्य व्यक्तियों में निवेश करेगा या कंपनी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचान की गई संस्थाएं या (बी) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या पसंद प्रदान करती हैं।

प) कंपनी (यों) से इस समझ के साथ कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) कि कंपनीः

(ए) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगी या फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में निवेश करें या (बी) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या पसंद प्रदान करें।

क्यू) कंपनी के पास ऐसा कोई लेन-देन नहीं है जो खातों की किताबों में दर्ज नहीं है जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में आत्मसमर्पण या प्रकट किया गया है (जैसे, खोज या सर्वेक्षण या कोई अन्य प्रासंगिक) आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान।

र) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

स) कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में कारोबार या निवेश नहीं किया है।

****

नोट 2ए और 2बी : संपत्ति संयंत्र और उपकरण

अ. क्र.	विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				नेट ब्लॉक	
		01, अप्रैल 2021 तक	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	31 मार्च, 2022 तक	01, अप्रैल 2021 तक	के लिए वर्ष	कटौती / समायोजन	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2022 तक
	मूर्त संपत्ति : (नोट 2ए)										
1	भूमि (लीजहोल्ड)	1.68	-	-	1.68	0.14	0.03	-	0.17	1.51	1.54
2	भवन और स्वामित्व फ्लैट	326.17	0.35	-	326.52	172.99	8.84	-	181.83	144.69	153.18
3	पौधे व यंत्र	57.39	1.65	-	59.04	34.84	3.20	-	38.05	20.99	22.54
4	सामान तथा जोड़ा गया उपकरण	3.91	0.15	-	4.06	2.89	0.15	-	3.04	1.02	1.02
5	कार्यालय उपकरण, विद्युत प्रतिष्ठान आदि.	33.70	0.26	-	33.96	25.37	1.09	-	26.46	7.49	8.32
6	वाहनों	12.77	4.65	(0.07)	17.34	2.85	1.99	(0.29)	4.54	12.80	9.92
7	ऑब्जेक्ट डी'आर्ट।	0.00	-	-	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00
8	कंप्यूटर	0.95	0.02	-	0.97	0.62	0.07	-	0.70	0.28	0.33
मूर्त संपत्ति के लिए कुल		**436.56**	**7.09**	**(0.07)**	**443.57**	**239.70**	**15.37**	**(0.29)**	**254.78**	**188.79**	**196.85**
अमूर्त संपत्ति : (नोट 2बी)		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
अमूर्त संपत्ति के लिए कुल		–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल संपत्ति		**436.56**	**7.09**	**(0.07)**	**443.57**	**239.70**	**15.37**	**(0.29)**	**254.78**	**188.79**	**196.85**
पिछले वर्ष		**433.99**	**7.08**	**(4.52)**	**436.56**	**227.58**	**16.46**	**(4.33)**	**239.70**	**196.85**	**206.41**
नोट 2सी: पूंजीगत कार्य प्रगति पर है											
कैपिटल कार्य - प्रगति पर			8.80		8.80					8.80	-

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजीगत कार्य प्रगति पर है (जैसा कि प्रबंधन द्वारा मैन्युअल रूप से बिलवार और पार्टीवार प्राप्त किया गया है)

31 मार्च, 2022 तक पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	की अवधि के लिए CWIP में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 साल	2–3 साल	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं	8.80				8.80
परियोजनाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया					-
संपूर्ण	8.80	-	-	-	8.80

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजीगत कार्य प्रगति पर है (प्रबंधन द्वारा मैन्युअल रूप से बिल-वार और पार्टी-वार प्राप्त किए गए अनुसार)

31 मार्च, 2021 तक पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	की अवधि के लिए CWIP में राशि				कुल
	एक वर्ष से कम	1–2 साल	2–3 साल	3 वर्ष से अधिक	
परियोजनाएं प्रगति पर हैं					
परियोजनाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया					-
संपूर्ण	0	0	0	0	0

नोट 3 – संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार

₹ लाखों में

विवरण	लीजहोल्ड भूमि	कुल
लागत		
01 अप्रैल, 2020 तक शेष	**333.05**	**333.05**
- अन्य अधिग्रहण	16.23	16.23
आईएनडी 116 का संक्रमण प्रभाव	**0.00**	**0.00**
31 मार्च, 2021 तक शेष	349.28	349.28
- अन्य अधिग्रहण	-53.37	-53.37
आईएनडी 116 का संक्रमण प्रभाव	0.00	0.00
31 मार्च, 2022 तक शेष	**295.92**	**295.92**
परिशोधन और हानि		
01 अप्रैल, 2020 तक शेष	**27.69**	**27.69**
- वर्ष के लिए परिशोधन शुल्क	27.63	27.63
आईएनडी 116 का संक्रमण प्रभाव		
31 मार्च, 2021 तक शेष	**55.33**	**55.33**
- वर्ष के लिए परिशोधन शुल्क	13.80	13.80
आईएनडी 116 का संक्रमण प्रभाव		
31 मार्च, 2022 तक शेष	**69.13**	**69.13**
ले जाने के मूल्य		
31 मार्च, 2021 को	**293.96**	**293.96**
31 मार्च, 2022 को	**226.79**	**226.79**

नोट 4 – गैर चालू संपत्ति – वित्तीय संपत्ति – अन्य वित्तीय संपत्ति

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाली बैंक जमाराशि	3.26	7.17
कुल	**3.26**	**7.17**

नोट 5 – अन्य गैर चालू संपत्तियां

₹ in Millions

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
असुरक्षित अच्छा माना जाता है		
सरकार के साथ संतुलन. प्राधिकारी	7.74	7.74
प्रीपेड खर्चे		
कर्मचारियों को अग्रिम		
उप-योग (ए)	**7.74**	**7.74**
अन्य ऋण और जमा		
सार्वजनिक निकायों और विविध दलों के पास जमा	8.24	7.08
सुरक्षा जमा राशि	1.39	2.91
असुरक्षित (संदिग्ध माना गया)		
सुरक्षा जमा राशि	9.63	9.99
कमः- खराब और संदिग्ध संपत्ति के लिए भत्ता		
उप-योग (बी)	**9.63**	**9.99**
कुल (ए+बी)	**17.37**	**17.74**

खराब और संदिग्ध संपत्तियों के भत्ते में उतार-चढ़ाव इस प्रकार है:
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि
वर्ष के दौरान खराब और संदिग्ध संपत्ति के लिए भत्ता
वर्ष के दौरान अपलेखित
वर्ष के अंत में शेष राशि

नोट 6 – इन्वेंटरी

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
कच्चे माल/खाद्य और पेय पदार्थों का स्टॉक	1.69	2.70
स्टोर इन्वेंटरी का स्टॉक	6.35	6.73
ऑपरेटिंग आपूर्ति का स्टॉक	3.38	2.46
कुल	**11.42**	**11.89**

नोट 7 – व्यापार प्राप्य

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	7.68	258.74
असुरक्षित, संदिग्ध माना जाता है	79.99	88.24
	87.67	**346.98**
कम: अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता	8.00	8.82
कुल	**79.67**	**338.16**
अपेक्षित क्रेडिट हानि के भत्ते में उतार-चढ़ाव इस प्रकार है:		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	88.24	88.24
जोड़ें: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान		
कम: एकत्र की गई राशि/प्रावधान का उलटा	8.25	
वर्ष के अंत में शेष राशि	**79.99**	**88.24**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स एजिंग शेड्यूल (जैसा कि प्रबंधन द्वारा मैन्युअल रूप से बिलवार और पार्टीवार प्राप्त किया गया है)

₹ लाखों में

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया						कुल
	देय नहीं	6 महीने से कम	6 महीने से 1 साल तक	1-2 साल	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	
निर्विवाद व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है		10.43	17.45	13.58	46.21	-	87.67
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- जिनका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है							
निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट बिगड़ा हुआ							
विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है							
विवादित व्यापार प्राप्तियां- जिनका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है							
विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट बिगड़ा हुआ							
कुल	**–**	**10.43**	**17.45**	**13.58**	**46.21**	**–**	**87.67**
कम: अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता							
कुल व्यापार प्राप्य	**–**	**10.43**	**17.45**	**13.58**	**46.21**	**–**	**87.67**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ट्रेड रिसीवेबल्स एजिंग शेड्यूल.

(जैसा कि प्रबंधन द्वारा मैन्युअल रूप से बिलवार और पार्टीवार प्राप्त किया गया है)

₹ लाखों में

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया						कुल
	देय नहीं	6 महीने से कम	6 महीने से 1 साल तक	1-2 साल	2-3 साल	3 वर्ष से अधिक	
निर्विवाद व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है		67.27	66.36	190.56		22.80	346.98
अविवादित व्यापार प्राप्तियां- जिनका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है							
निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट बिगड़ा हुआ							
विवादित व्यापार प्राप्य- अच्छा माना जाता है							
विवादित व्यापार प्राप्तियां- जिनका ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है							
विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट बिगड़ा हुआ							
कुल		**67.27**	**66.36**	**190.56**		**22.80**	**346.98**
कम: अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता							
कुल व्यापार प्राप्य		**67.27**	**66.36**	**190.56**		**22.80**	**346.98**

नोट 8 – नकद और नकद समतुल्य

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
बैंकों के पास शेष		
चालू खातों में	31.78	34.08
मेरे पास नकदी है	0.09	0.02
3 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली बैंक जमा	20.60	2.93
कुल	**52.47**	**37.03**

नोट 9 – नकद और नकद समतुल्य के अलावा बैंक शेष

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
मार्जिन मनी डिपॉजिट	0.44	0.44
3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली बैंक जमा	79.35	79.85
कुल	**79.79**	**80.29**

नोट 10 – अन्य चालू वित्तीय संपत्तियां

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
पार्टियों से वसूली योग्य अग्रिम		
असुरक्षित अच्छा माना जाता है	13.41	13.41
असुरक्षित को संदिग्ध माना जाता है	177.24	173.62
ब्याज उपार्जित लेकिन देय नहीं	0.78	0.80
दुसरे प्राप्य	7.04	3.15
कर्मचारियों से वसूली योग्य अग्रिम	3.53	4.42
	202.01	**195.39**
घटाएं: संदिग्ध अग्रिमों/प्राप्तियों के लिए भत्ता	173.62	173.62
कुल	**28.39**	**21.77**

नोट 11 – वर्तमान कर संपत्तियां (निवल)

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
सरकारी अधिकारियों के साथ संतुलन आयकर और टीडीएस का अग्रिम भुगतान	52.40	93.41
कुल	**52.40**	**93.41**

नोट 12 – अन्य वर्तमान संपत्तियां

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
अंतरिम राहत के विरुद्ध अग्रिम	65.64	58.85
वेतन संशोधन के विरुद्ध अग्रिम (संघ)	34.48	32.05
प्रीपेड खर्चे	3.65	2.96
आपूर्तिकर्ताओं में अग्रणी	1.20	0.20
अन्य अग्रिम	1.10	0.11
कुल	**106.07**	**94.16**

नोट 13 – इक्विटी शेयर कैपिटल

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
अधिकृत शेयर पूंजी 150,00,000 (पीवाई - 150,00,000) रु. 100/- प्रत्येक के इक्विटी शेयर	1,500	1,500
	1,500.00	**1,500.00**
जारी किए गए, सब्सक्राइब किए गए और पूरी तरह से पेड-अप शेयर 1,37,60,000 (पीवाई - 137,60,000) प्रत्येक 100/- रुपये के इक्विटी शेयर	1,376	1,376
	1,376.00	**1,376.00**

अ. वर्ष के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या का मिलान

₹ लाखों में

विवरण	31-मार्च-22		31-मार्च-21	
	शेयरो की संख्या	₹ लाखों में	शेयरो की संख्या	₹ लाखों में
वर्ष की शुरुआत में बकाया शेयरों की संख्या	13760000	1,376	13760000	1,376
जोड़ें: वर्ष के दौरान पूरी तरह से पेड-अप-बोनस शेयरों के रूप में आवंटित शेयरों की संख्या	-	-		
जोड़ें: वर्ष के दौरान आबंटित शेयरों की संख्या अनुबंध के अनुसार नकद में भुगतान प्राप्त किए बिना पूरी तरह से भुगतान किया गया	11060000	1,106	-	-
जोड़ें: ESOPs/ESPs के अनुसार कर्मचारियों को आवंटित शेयरों की संख्या	-	-	-	-
जोड़ें: सार्वजनिक निर्गम के अनुसार नकदी के लिए आवंटित शेयरों की संख्या	-	-	-	-
कुल	**24820000**	**2482**	**13760000**	**1376**
घटाएं: विनिवेश के कारण वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयरों की संख्या	**-11060000**	**-1106**	**-**	**-**
वर्ष के अंत में बकाया शेयरों की संख्या	**13760000**	**1376**	**13760000**	**1376**

ब. इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें और अधिकार:

कंपनी के पास 100 रुपये प्रति शेयर के बराबर मूल्य वाले इक्विटी शेयरों का केवल एक वर्ग है। इक्विटी शेयरों का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयर धारक अपने द्वारा धारित शेयरों की संख्या के अनुपात में, सभी अधिमान्य राशि के वितरण के बाद बची हुई कंपनी की संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे।

13. बी. होल्डिंग कंपनी और भारत के राष्ट्रपति के पास शेयर

कंपनी द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों में से, इसकी होल्डिंग कंपनी और भारत के राष्ट्रपति द्वारा धारित शेयर नीचे दिए गए हैं:

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
भारत के राष्ट्रपति	27,00,000.00	27,00,000.00
एयर इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) और उसके नामिती (11-01-2022 तक)*	-	1,10,60,000.00
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) और इसके नामांकित व्यक्ति (11-01-2022 से प्रभावी)*	1,10,60,000.00	-
* नोट 1 देखें		

13.ग. कंपनी में 5इ से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2022		31 मार्च 2021	
	नग	%	नग	%
भारत के राष्ट्रपति	27,00,000	19.62%	27,00,000	19.62%
एयर इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) और इसके नामिती	-	0.00%	1,10,60,000	80.38%
एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) और इसके नामिती	1,10,60,000	80.38%	-	0.00%
कुल	**1,37,60,000**	**100.00%**	**1,37,60,000**	**100.00%**

नोट 14 – उधार

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
एयर इंडिया लिमिटेड को देय राशि		4,392.89
एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) को देय राशि	5,029.59	
कुल	**5,029.59**	**4,392.89**

नोट 15 – दीर्घावधि पट्टा देयताएं

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
दीर्घकालिक लीज देयता	258.34	369.29
कुल	**258.34**	**369.29**

नोट 16 – दीर्घकालिक प्रावधान

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	92.28	96.52
ग्रेच्युटी का प्रावधान	202.44	224.20
पीआरएमएस के लिए प्रावधान	186.64	202.49
सेवानिवृत्ति के बाद लाभ योजना अंशदान	12.72	11.59
कुल	**494.08**	**534.81**

नोट 17 – शॉर्ट टर्म लीज लायबिलिटी

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
शॉर्ट टर्म लीज लायबिलिटी	105.92	30.50
लीज रेंट देय	563.80	615.81
कुल	**669.72**	**646.31**

नोट 18 – व्यापार देय

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
सूक्ष्म और लघु उद्यमों का बकाया	10.36	12.24
अन्य व्यापार देय	24.29	39.43
कुल	**34.64**	**51.67**

टिप्पणी:

(I) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006ठ में परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि प्रबंधन द्वारा एकत्र की गई जानकारी के आधार पर ऐसी पार्टियों की पहचान की सीमा तक निर्धारित की गई है।

(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों से संबंधित खुलासे निम्नानुसार हैं:

Particulars	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
(ए) लेखा वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई मूल राशि	10.36	12.24
(बी) लेखा वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्ता को देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया	-	-
(सी) वर्ष के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ धारा 16 के संदर्भ में भुगतान की गई ब्याज की राशि	-	-
(डी) वर्ष के लिए देय और देय ब्याज की राशि	-	-
(ई) लेखा वर्ष के अंत में उपार्जित और बकाया ब्याज की राशि	-	-
(च) उत्तरवर्ती वर्ष में भी देय और देय ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब तक कि ऊपर के रूप में देय ब्याज वास्तव में भुगतान नहीं किया जाता है	-	-

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ट्रेड देय आयु अनुसूची (जैसा कि प्रबंधन द्वारा मैन्युअल रूप से बिलवार और पार्टीवार प्राप्त किया गया है)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	देय नहीं	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
(i) एमएसएमई		10.36			
(ii) अन्य		21.66	2.03	0.08	0.66
(iii) विवादित बकाया- एमएसएमई					
(iv) विवादित बकाया- अन्य					
कुल व्यापार देय	–	**32.01**	**2.03**	**0.08**	**0.66**

31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए व्यापार देय आयु अनुसूची (जैसा कि प्रबंधन द्वारा मैन्युअल रूप से बिलवार और पार्टीवार प्राप्त किया गया है)

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
	देय नहीं	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
(i) एमएसएमई		12.24			
(ii) अन्य		27.09	3.28	5.55	3.50
(iii) विवादित बकाया- एमएसएमई					
(iv) विवादित बकाया- अन्य					
कुल व्यापार देय	–	**39.32**	**3.28**	**5.55**	**3.50**

नोट 19 – अन्य वर्तमान वित्तीय देनदारियां

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
कर्मचारियों को देय	34.92	43.89
अन्य देय	34.52	17.84
बयाना राशि	4.03	6.32
विक्रेताओं से सुरक्षा जमा	1.74	2.09
प्रतिधारण धन	-	0.20
वेतन संशोधन बकाया के लिए प्रावधान	146.36	146.36
दुकान और अन्य जमा	23.73	31.65
कुल	**245.31**	**248.34**

नोट 20 – वर्तमान – अन्य वर्तमान देनदारियाँ

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
पूंजी लेनदार	-	-
वैधानिक देनदारियां	35.71	39.54
बकाया देनदारियां	3.73	0.01
अंतरिम राहत के लिए प्रावधान	66.81	57.58
अन्य अग्रिम	2.33	1.93
अन्य	46.41	44.73
कुल	**154.99**	**143.79**

नोट 21 – अल्पावधि प्रावधान

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
छुट्टी - अल्पावधि	24.29	23.83
ग्रेच्युटी - शॉर्ट टर्म	75.13	70.37
पीआरएमएस के लिए प्रावधान	7.75	7.23
अनुग्रह राशि देय		
कुल	**107.16**	**101.43**

नोट 22. संचालन से राजस्व

₹ लाखों में

विवरण	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए
होटल और फ्लाइट किचन से होने वाली कमाई		
कमरे - अतिथि आवास	120.58	97.19
भोजन, सिगार और सिगरेट	93.11	88.12
अन्य सेवाएं	45.02	35.31
दुकानों और कार्यालयों के लिए लाइसेंस शुल्क	4.05	4.66
कुल	**262.77**	**225.29**

नोट 23 :. अन्य कमाई

₹ लाखों में

विवरण	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय	12.24	9.43
संपत्ति की बिक्री पर लाभ	0.01	1.00
अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखा गया	74.73	0.07
विविध शेष राशि वापस लिखी गई (नेट)	0.70	0.18
अन्य	1.91	13.63
कुल	**89.59**	**24.32**

नोट 24 :. खपत कच्चे माल की लागत

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
खाया हुआ भोजन (सिगार और सिगरेट सहित)		
आरंभिक स्टॉक	2.70	2.53
जोड़ें: खरीद	56.56	40.34
कमः अंतिम स्टॉक	(1.69)	(2.70)
	57.57	**40.18**
पेय पदार्थों का सेवन किया		
आरंभिक स्टॉक	-	-
जोड़ें: खरीद	-	0.06
कमः अंतिम स्टॉक	-	-
	–	**0.06**
स्टोर और आपूर्ति की खपत		
आरंभिक स्टॉक	6.73	7.62
जोड़ें: खरीद	2.98	2.02
कमः अंतिम स्टॉक	(6.35)	(6.73)
	3.35	2.91
कच्चे माल की खपत की लागत	**60.92**	**43.15**

नोट 25 :. कर्मचारी लाभ

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
वेतन, मजदूरी, बोनस	341.68	340.72
उपहार	26.19	30.24
नकदीकरण छोड़े	17.25	12.74
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	16.19	15.40
भविष्य निधि और अन्य निधि में अंशदान	36.01	36.35
कर्मचारी कल्याण व्यय	10.45	7.60
कुल	**447.76**	**443.06**

नोट 26 :. वित्तीय लागत

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
होल्डिंग कंपनी से उधार पर ब्याज	482.75	351.90
वैधानिक देय राशि पर ब्याज	0.06	0.27
लीज लायबिलिटी पर ब्याज	17.84	29.46
रुचि - अन्य	0.65	0.18
कुल	**501.30**	**381.81**

नोट 27 :. अन्य खर्चों

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
बिजली और ईंधन	83.59	66.89
लीज रेंट	15.30	15.32
सुरक्षा शुल्क	13.58	13.68
मरम्मत और रख रखाव:		
इमारत	3.64	2.78
संयंत्र और मशीनरी	4.94	1.97
अन्य	7.26	7.07
विविध व्यय	4.68	4.78
यात्रा और परिवहन:		
यात्रा का	0.36	0.31
वाहन	0.31	0.21
किराया प्रभार	-	0.09
वाहन व्यय	1.95	0.88
सॉफ्ट फर्निशिंग	1.71	2.38
दरें और कर	8.24	9.53
प्रिंटिंग व स्टेशनरी	1.33	0.79
कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	9.42	5.56
संचार लागत	0.93	0.83
बीमा	2.91	3.72
विज्ञापन और प्रचार	0.56	0.26
आयोग	0.08	0.02
लेखा परीक्षक को भुगतान (नीचे नोट देखें)	0.31	0.23
अतिथि परिवहन	0.23	0.29
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	173.62
कुल	**161.32**	**311.22**

₹ लाखों में

नोट: लेखापरीक्षक को भुगतान	**31 मार्च 2022 तक**	**31 मार्च 2021 तक**
लेखापरीक्षा शुल्क के लिए	0.27	0.23
व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए	0.05	0.00
	0.31	**0.23**

नोट 28 :. अन्य व्यापक आय

₹ लाखों में

विवरण	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
उपहार	(16.65)	2.53
पीआरएमएस	22.26	5.00
	5.61	**7.53**

(अन्यथा बताए गए को छोड़कर रुपए लाखों में)

29 कर्मचारी लाभ

ए. परिभाषित योगदान योजना :

भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा की परिभाषित अंशदान योजना में योगदान लाभ और हानि के विवरण के लिए लिया जाता है, 36.01 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 36.35 मिलियन रुपये)

बी. परिभाषित लाभ योजना:

उपहार: ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के सभी पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर ग्रेच्युटी देय है।

सी. विशेषाधिकार अवकाश नकदीकरण : विशेषाधिकार अवकाश नकदीकरण सभी पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति/समाप्ति के समय अधिकतम 300 दिनों तक देय है।

डी. बीमार छुट्टी नकदीकरण के लिए विशेषाधिकार : बीमार छुट्टी नकदीकरण का लाभ सभी पात्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति के समय अधिकतम 120 दिनों तक देय है। जिसका प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि वास्तविक भुगतान की गणना/निर्धारित होने पर कंपनी अंतिम निपटान के अभ्यास में है

इ. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना: पीअधिकांश सेवानिवृत्ति चिकित्सा योजना उन सभी स्थायी कर्मचारियों को देय है जो सेवानिवृत्ति के समय इस योजना का विकल्प चुनते हैं। स्वयं और पति या पत्नी के लिए उनके पूरे जीवनकाल के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकतम 10 लाख रुपये तक है।

एफ. इंडस्ट्रीज़ एएस – 19 के अनुसार प्रकटीकरण

अ. क्र.	विवरण	उपहार	
		31.03.22 तक	31.03.21 तक
ए)	**लाभ का प्रकार**	**उपहार**	**उपहार**
	देश	भारत	भारत
	रिपोर्टिंग मुद्रा	आईएनआर	आईएनआर
	रिपोर्टिंग मानक	भारतीय लेखा मानक 19 (19 के रूप में इंडस्ट्रीज़)	भारतीय लेखा मानक 19 (19 के रूप में इंडस्ट्रीज़)
	धन की स्थिति	उड़ाऊ	उड़ाऊ
	प्रारंभिक अवधि	01-04-22	01-04-21
	रिपोर्टिंग की तिथि	31-03-22	31-03-21
	रिपोर्टिंग की अवधि	12 महीने	12 महीने
	रेफरी आईडी	641332	504314
बी)	**अनुमान (पिछली अवधि)**		
	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	ना	ना
	छूट की दर	6.06%	6.43%
	वेतन वृद्धि की दर	5.00%	5.00%
	कर्मचारी टर्नओवर की दर	4.00%	2.00%
	रोजगार के दौरान मृत्यु दर	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मॉर्टेलिटी (2006-08) अल्टीमेट	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मॉर्टेलिटी (2006-08) अल्टीमेट

सी)	**अनुमान (वर्तमान अवधि)**		
	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	ना	ना
	छूट की दर	6.41%	6.06%
	वेतन वृद्धि की दर	5.00%	5.00%
	कर्मचारी टर्नओवर की दर	4.00%	4.00%
	रोजगार के दौरान मृत्यु दर	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मॉर्टेलिटी 2012-14 (शहरी)	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मॉर्टेलिटी (2006-08) अल्टीमेट
डी)	**अनुमानित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका**		
	अवधि की शुरुआत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	294.57	322.30
	ब्याज लागत	17.85	20.72
	वर्तमान सेवा लागत	8.34	9.51
	विगत सेवा लागत	-	-
	दायित्व हस्तांतरित / अधिग्रहण	-	-
	(देयता हस्तांतरित / विनिवेश)	-	-
	(लाभ)/ कटौती पर हानि	-	-
	(देयताएं निपटान पर समाप्त)	-	-
	(लाभ का भुगतान सीधे नियोक्ता द्वारा किया जाता है)	(59.85)	(55.44)
	(निधि से भुगतान किया गया लाभ)	-	-
	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
	बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि - जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण	(0.03)	1.17
	बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि - वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण	(29.10)	3.45
	बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि - अनुभव के कारण	19.68	(7.15)
	अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	277.56	294.57
इ)	**तालिका संपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन दिखा रहा है**		
	अवधि की शुरुआत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य	-	-
	ब्याज आय	-	-
	नियोक्ता द्वारा योगदान	-	-
	कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित योगदान	-	-
	संपत्ति / अधिग्रहण में स्थानांतरित	-	-
	(आस्तियों का तबादला/विनिवेश)	-	-
	(निधि से भुगतान किया गया लाभ)	-	-
	(बस्तियों पर वितरित संपत्ति)	-	-
	(लाभ दायित्वों के प्रबंधन के लिए व्यय और कर- निधि से भुगतान)	-	-
	एसेट सीलिंग के प्रभाव	-	-
	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
	ब्याज आय को छोड़कर, योजनागत संपत्तियों पर प्रतिफल	-	-
	अवधि के अंत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य	-	-
एफ)	**बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि**		
	(अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य)	(277.56)	(294.57)
	अवधि के अंत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य	-	-

	वित्तपोषित स्थिति (अधिशेष/(घाटा))	(277.56)	(294.57)
	नेट (देयता) / बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त संपत्ति	(277.56)	(294.57)
जी)	**वर्तमान अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत**		
	अवधि की शुरुआत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	294.57	322.30
	(अवधि की शुरुआत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य)	-	-
	शुद्ध देयता/(संपत्ति) शुरुआत में	294.57	322.30
	ब्याज लागत	17.85	20.72
	(ब्याज आय)		
	वर्तमान अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत	17.85	20.72
एच)	**वर्तमान अवधि के लिए लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय**		
	वर्तमान सेवा लागत	8.34	9.51
	शुद्ध ब्याज लागत	17.85	20.72
	विगत सेवा लागत	-	-
	(कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान)	-	-
	(लाभ)/कर्टैलमेंट और सेटलमेंट्स पर नुकसान	-	-
	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव	-	-
	व्यय मान्यता प्राप्त	26.19	30.24
आई)	**वर्तमान अवधि के लिए अन्य व्यापक आय** (OCI) **में मान्यता प्राप्त व्यय**		
	अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ)/दायित्व पर हानि	16.65	(2.53)
	ब्याज आय को छोड़कर, योजनागत संपत्तियों पर प्रतिफल	-	-
	एसेट सीलिंग में बदलाव	-	-
	ओसीआई में मान्यता प्राप्त अवधि के लिए शुद्ध (आय)/व्यय	16.65	(2.53)
जे)	**बैलेंस शीट सुलह**		
	ओपनिंग नेट लायबिलिटी	294.57	322.30
	लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	26.19	30.24
	ओसीआई में मान्यता प्राप्त व्यय	16.65	(2.53)
	नेट लायबिलिटी/(एसेट) ट्रांसफर इन	-	-
	नेट (देयता) / एसेट ट्रांसफर आउट	-	-
	(लाभ का भुगतान सीधे नियोक्ता द्वारा किया जाता है)	(59.85)	(55.44)
	(नियोक्ता का अंशदान)	-	-
	शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त	277.56	294.57
क)	**संपत्ति की श्रेणी**		
	भारत सरकार की संपत्ति	-	-
	राज्य सरकार प्रतिभूतियां	-	-
	विशेष जमा योजना	-	-
	ऋण उपकरणों	-	-
	कॉरपोरेट बॉन्ड	-	-
	नकद और नकदी के समतुल्य	-	-
	बीमा निधि	-	-
	संपत्ति समर्थित प्रतिभूतियां	-	-

	संरचित ऋण	-	-
	अन्य	-	-
	संपूर्ण	-	-
एल)	**अन्य जानकारी**		
	सक्रिय सदस्यों की संख्या	460	533
	सक्रिय सदस्यों के लिए प्रति माह वेतन	17.97	18.91
	अनुमानित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	4.00	4.00
	औसत अपेक्षित भविष्य सेवा	5.00	5.00
	अनुमानित लाभ दायित्व	277.56	294.57
	अगले वर्ष में अपेक्षित योगदान	-	-
एम)	**अगले वर्ष के लिए शुद्ध ब्याज लागत**		
	अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	277.56	294.57
	(अवधि के अंत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य)	-	-
	अवधि के अंत में शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति)।	277.56	294.57
	ब्याज लागत	17.79	17.85
	(ब्याज आय)	-	-
	अगले वर्ष के लिए शुद्ध ब्याज लागत	17.79	17.85
एन)	**अगले वर्ष के लिए लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय**		
	वर्तमान सेवा लागत	7.57	8.34
	शुद्ध ब्याज लागत	17.79	17.85
	(कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान)	-	-
	व्यय मान्यता प्राप्त	25.36	26.19
ओ)	**लाभ भुगतान का परिपक्वता विश्लेषण:**		
	रिपोर्टिंग की तारीख से भविष्य के वर्षों में देय अनुमानित लाभ		
	पहला अनुवर्ती वर्ष	75.13	70.37
	दूसरा अनुवर्ती वर्ष	28.83	35.97
	तीसरा अनुवर्ती वर्ष	49.10	45.71
	चौथा अनुवर्ती वर्ष	37.75	44.54
	5वां अनुवर्ती वर्ष	22.72	35.45
	वर्ष 6 से 10 का योग	100.82	90.67
	वर्ष 11 और ऊपर का योग	32.67	44.87
पी)	**संवेदनशीलता विश्लेषण**		
	वर्तमान अनुमानों पर अनुमानित लाभ बाध्यता	277.56	294.57
	डिस्काउंटिंग की दर में +1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(8.16)	(9.13)
	डिस्काउंटिंग की दर में -1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	8.76	9.82
	वेतन वृद्धि की दर में ₹1इ परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	8.80	9.82
	वेतन वृद्धि की दर में -1इ परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(8.35)	(9.30)
	कर्मचारी टर्नओवर की दर में ₹1इ परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	0.48	0.41
	कर्मचारी टर्नओवर की दर में -1इ परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(0.50)	(0.43)

संवेदनशीलता विश्लेषण का निर्धारण अन्य सभी धारणाओं को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली संबंधित धारणाओं में यथोचित संभावित परिवर्तनों के आधार पर किया गया है।

ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण अनुमानित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि धारणाओं में परिवर्तन एक दूसरे के अलगाव में होगा क्योंकि कुछ धारणाएँ सहसंबद्ध हो सकती हैं।

इसके अलावा, उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण प्रस्तुत करने में, अनुमानित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की गई है, जो कि अनुमानित लाभ दायित्व की गणना में लागू की गई विधि के समान है, जैसा कि मान्यता प्राप्त है। बैलेंस शीट।

पिछले वर्षों से संवेदनशीलता विश्लेषण तैयार करने में उपयोग की जाने वाली विधियों और धारणाओं में कोई बदलाव नहीं आया।

ii) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ

अ. क्र	विवरण	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	
		31.03.22 तक	31.03.21 तक
ए)	**लाभ का प्रकार**	**चिकित्सा**	**चिकित्सा**
	देश	भारत	भारत
	रिपोर्टिंग मुद्रा	आईएनआर	आईएनआर
	रिपोर्टिंग मानक	भारतीय लेखा मानक 19 (19 के रूप में इंडस्ट्रीज़)	भारतीय लेखा मानक 19 (19 के रूप में इंडस्ट्रीज़)
	धन की स्थिति	उड़ाऊ	उड़ाऊ
	प्रारंभिक अवधि	01-04-21	01-04-2020
	रिपोर्टिंग की तिथि	31-03-22	31-03-21
	रिपोर्टिंग की अवधि	12 महीने	12 महीने
	संदर्भ पहचान पत्र	0	546747
बी)	**अनुमान (पिछली अवधि)**		
	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	ना	ना
	छूट की दर	6.83%	6.81%
	चिकित्सा लागत मुद्रास्फीति	4.00%	4.00%
	कर्मचारी टर्नओवर की दर	2.00%	4.00%
	रोजगार के दौरान मृत्यु दर	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मॉर्टेलिटी (2006-08) अल्टीमेट	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मॉर्टेलिटी (2006-08) अल्टीमेट
	रोजगार के बाद मृत्यु दर	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मॉर्टेलिटी (2006-08) अल्टीमेट	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मॉर्टेलिटी (2006-08) अल्टीमेट
सी)	**अनुमान (वर्तमान अवधि)**		
	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	ना	ना
	छूट की दर	7.40%	6.91%
	चिकित्सा लागत मुद्रास्फीति	4.00%	4.00%
	कर्मचारी टर्नओवर की दर	2.00%	2.00%

	रोजगार के दौरान मृत्यु दर	भारतीय सुनिश्चित जीवन मृत्यु दर (2012-14) शहरी	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मॉर्टेलिटी (2006-08) अल्टीमेट
	रोजगार के बाद मृत्यु दर	इंडियन एश्योर्ड लाइव्स मॉर्टेलिटी (2006-08) अल्टीमेट	भारतीय व्यक्ति एएमटी (2012-2015)
डी)	**अनुमानित लाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन दर्शाने वाली तालिका**		
	अवधि की शुरुआत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	221.31	212.79
	ब्याज लागत	15.29	14.49
	वर्तमान सेवा लागत	2.02	2.00
	विगत सेवा लागत	-	-
	दायित्व हस्तांतरित / अधिग्रहण	-	-
	(देयता हस्तांतरित / विनिवेश)	-	-
	(लाभ)/ कटौती पर हानि	-	-
	(देयताएं निपटान पर समाप्त)	-	-
	(लाभ का भुगतान सीधे नियोक्ता द्वारा किया जाता है)	(9.26)	(3.03)
	(निधि से भुगतान किया गया लाभ)	-	-
	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
	बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि - जनसांख्यिकीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण	-	21.61
	बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि - वित्तीय अनुमानों में परिवर्तन के कारण	(20.13)	(2.14)
	बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि - अनुभव के कारण	(2.13)	(24.42)
	अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	207.11	221.31
इ)	**तालिका संपत्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन दिखा रहा है**		
	अवधि की शुरुआत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य	-	-
	ब्याज आय	-	-
	नियोक्ता द्वारा योगदान	-	-
	कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित योगदान	-	-
	संपत्ति / अधिग्रहण में स्थानांतरित	-	-
	(आस्तियों का तबादला/विनिवेश)	-	-
	(निधि से भुगतान किया गया लाभ)	-	-
	(बस्तियों पर वितरित संपत्ति)	-	-
	एसेट सीलिंग के प्रभाव	-	-
	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
	ब्याज आय को छोड़कर, योजनागत संपत्तियों पर प्रतिफल	-	-
	अवधि के अंत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य	-	-
एफ)	**बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि**		
	(अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य)	207.11	221.31
	अवधि के अंत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य	-	-
	वित्तपोषित स्थिति (अधिशेष/(घाटा))	207.11	221.31

	नेट (देयता) / बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त संपत्ति	207.11	221.31
जी)	**वर्तमान अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत**		
	अवधि की शुरुआत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	221.31	212.79
	(अवधि की शुरुआत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य)	-	-
	शुद्ध देयता/(संपत्ति) शुरुआत में	221.31	212.79
	ब्याज लागत	15.29	14.49
	(ब्याज आय)	-	-
	वर्तमान अवधि के लिए शुद्ध ब्याज लागत	15.29	14.49
एच)	**वर्तमान अवधि के लिए लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय**		
	वर्तमान सेवा लागत	2.02	2.00
	शुद्ध ब्याज लागत	15.29	14.49
	विगत सेवा लागत	-	-
	(कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान)	-	-
	(लाभ)/कर्टैलमेंट और सेटलमेंट्स पर नुकसान	-	-
	विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव	-	-
	व्यय मान्यता प्राप्त	17.32	16.49
मैं)	**वर्तमान अवधि के लिए अन्य व्यापक आय (OCI) में मान्यता प्राप्त व्यय**		
	अवधि के लिए बीमांकिक (लाभ)/दायित्व पर हानि	(22.26)	(4.95)
	ब्याज आय को छोड़कर, योजनागत संपत्तियों पर प्रतिफल	-	-
	एसेट सीलिंग में बदलाव	-	-
	ओसीआई में मान्यता प्राप्त अवधि के लिए शुद्ध (आय)/व्यय	(22.26)	(4.95)
जे)	**बैलेंस शीट सुलह**		
	ओपनिंग नेट लायबिलिटी	221.31	212.79
	लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय	17.32	16.49
	ओसीआई में मान्यता प्राप्त व्यय	(22.26)	(4.95)
	नेट लायबिलिटी/(एसेट) ट्रांसफर इन	-	-
	नेट (देयता) / एसेट ट्रांसफर आउट	-	-
	(लाभ का भुगतान सीधे नियोक्ता द्वारा किया जाता है)	(9.26)	(3.03)
	(नियोक्ता का अंशदान)	-	-
	शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति) तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त	207.11	221.31
क)	**संपत्ति की श्रेणी**		
	भारत सरकार की संपत्ति	-	-
	राज्य सरकार प्रतिभूतियां	-	-
	विशेष जमा योजना	-	-
	ऋण उपकरणों	-	-
	कॉरपोरेट बॉन्ड	-	-
	नकद और नकदी के समतुल्य	-	-
	बीमा निधि	-	-
	संपत्ति समर्थित प्रतिभूतियां	-	-

	संरचित ऋण	-	-
	अन्य	-	-
	संपूर्ण	-	-
एल)	**अन्य जानकारी**		
	सक्रिय सदस्यों की संख्या	460	533
	औसत भविष्य अवधि	17.97	18.91
	अनुमानित लाभ दायित्व (पीबीओ) कुल	30	30
	अनुमानित लाभ दायित्व (पीबीओ) देय लेकिन भुगतान नहीं किया गया	30	30
	अगले वर्ष में अपेक्षित योगदान	207.11	221.31
एम)	**अगले वर्ष के लिए शुद्ध ब्याज लागत**		
	अवधि के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	207.11	221.31
	(अवधि के अंत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य)	-	-
	अवधि के अंत में शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति)।	207.11	221.31
	ब्याज लागत	15.33	15.29
	(ब्याज आय)		
	अगले वर्ष के लिए शुद्ध ब्याज लागत	15.33	15.29
एन)	**अगले वर्ष के लिए लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय**		
	वर्तमान सेवा लागत	15.46	20.25
	शुद्ध ब्याज लागत	15.33	15.29
	(कर्मचारियों द्वारा अपेक्षित अंशदान)	-	-
	व्यय मान्यता प्राप्त	30.79	35.54
ओ)	**लाभ भुगतान का परिपक्वता विश्लेषण:**		
	रिपोर्टिंग की तारीख से भविष्य के वर्षों में देय अनुमानित लाभ		
	पहला अनुवर्ती वर्ष	7.75	6.18
	दूसरा अनुवर्ती वर्ष	8.88	7.59
	तीसरा अनुवर्ती वर्ष	10.15	8.85
	चौथा अनुवर्ती वर्ष	11.31	10.22
	5वां अनुवर्ती वर्ष	12.30	11.47
	वर्ष 6 से 10 का योग	78.94	57.27
	वर्ष 11 और ऊपर का योग	-	-
क्यू)	**संवेदनशीलता विश्लेषण**		
	वर्तमान मान्यताओं पर परिभाषित लाभ दायित्व	207.11	221.31
	डिस्काउंटिंग की दर में +1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	(20.54)	(23.98)
	डिस्काउंटिंग की दर में -1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	25.60	29.46
	वेतन वृद्धि की दर में +1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	-	-
	वेतन वृद्धि की दर में -1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	-	-
	कर्मचारी टर्नओवर की दर में +1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	-	-
	कर्मचारी टर्नओवर की दर में -1% परिवर्तन का डेल्टा प्रभाव	-	-

संवेदनशीलता विश्लेषण का निर्धारण अन्य सभी धारणाओं को स्थिर रखते हुए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली संबंधित धारणाओं में यथोचित संभावित परिवर्तनों के आधार पर किया गया है।

ऊपर प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण अनुमानित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि धारणाओं में परिवर्तन एक दूसरे के अलगाव में होगा क्योंकि कुछ धारणाएँ सहसंबद्ध हो सकती हैं।

इसके अलावा, उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण प्रस्तुत करने में, अनुमानित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य की गणना रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की गई है, जो कि अनुमानित लाभ दायित्व की गणना में लागू की गई विधि के समान है, जैसा कि मान्यता प्राप्त है। बैलेंस शीट

पिछले वर्षों से संवेदनशीलता विश्लेषण तैयार करने में उपयोग की जाने वाली विधियों और धारणाओं में कोई बदलाव नहीं आया।

30. आस्थगित कर परिसंपत्ति

कंपनी ने भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय की उपलब्धता के बाद से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर देनदारी की सीमा तक कर हानियों और अनवशोषित मूल्यह्रास के कारण उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर संपत्तियों को मान्यता नहीं दी है, जिसके विरुद्ध उक्त लाभों को सेट करना संभव नहीं है। आभासी निश्चितता के साथ पता लगाया।

31. आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां:

आकस्मिक देयताएं

प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तिठ पर इंडस्ट्रीज़ एएस 37 के अनुपालन में आवश्यक जानकारी निम्नानुसार है:

अ. क्र.	विवरण	1 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक शेष	वर्ष 2021-22 के दौरान परिवर्धन	वर्ष 2021-22 के दौरान उपयोगिता	वर्ष 2021-22 के दौरान उलटफेर	31 मार्च 2022 को अंतिम शेष
1	लक्जरी टैक्स	22.89	-	-		22.89
2	सेवा कर	58.00	-	-		58.00
3	सहारा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड का प्रतिवाद	23.57	-	-	-	23.57
4	बीडी एंड पी होटलों के लिए मध्यस्थता पुरस्कार को न्यायालय में चुनौती दी गई	5.40	-	-	-	5.40
5	एनएस एसोसिएट्स के खिलाफ मध्यस्थता की कार्यवाही	6.96	-	-	-	6.96
6	तत्कालीन सेंटूर होटल जुहू बीच की तटवर्ती भूमि पर महाराष्ट्र सरकार को देय प्रीमियम	44.80	-	-	-	44.80
7	शेरे कश्मीर कन्वेंशन सेंटर, जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा दावा किया गया सेंटौर होटल श्रीनगर का भूनिर्माण। एचसीआई द्वारा विवादित	50.62				50.62
8	पुरस्कार जो कंपनी के खिलाफ गए हैं और एक अपील को प्राथमिकता दी है	1.06	-	-	-	1.06
9	एएआई/ डायल/ एमआईएएल को देय बकायों पर ब्याज	770.82	35.74	-	(112.91)	693.65
10	कर्मचारियों के दावे	-				-
	कुल	**984.12**	**35.74**	**-**	**(112.91)**	**906.95**

कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया

i) वित्तीय वर्ष 2000-01 और 2002-03 के लिए विलासिता कर अधिकारियों के दावे, जिसके लिए कंपनी ने बिक्री कर के अतिरिक्त आयुक्त के पास अपील की है, जिसके खिलाफ कंपनी ने 7.07 मिलियन रुपये (पिछले वर्ष 7.07 मिलियन रुपये) का भुगतान किया है। विरोध।

ii) रुपये की राशि के सेवा कर के दावे। 58 मिलियन जिसके लिए कंपनी ने अपील को प्राथमिकता दी है

iii) रुपये का काउंटर क्लेम। मैसर्स सहारा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड (पूर्व में मैसर्स बत्रा हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) द्वारा 23.57 मिलियन, सेंटूर होटल मुंबई एयरपोर्ट के खरीदार, नेट करंट एसेट्स के लिए, जो कंपनी द्वारा नेट करंट एसेट्स के रूप में विवादित था और खरीदार के अन्य दायित्वों को 18.4.2002 को बेचने के समझौते के संदर्भ में तय किया जाना था। पूर्व के वर्षों में, माननीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने अपना पुरस्कार प्रकाशित किया जिसके तहत खरीदार को 0.40 मिलियन रुपये की कानूनी लागत के साथ 18.8 मिलियन रुपये और उस पर ब्याज का भुगतान करना पड़ा। खरीदारों ने फैसले के खिलाफ बॉम्बे के माननीय उच्च न्यायालय में अपील की। माननीय उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द कर दिया है। इसे कंपनी द्वारा बॉम्बे के माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजनल बेंच के समक्ष चुनौती दी गई है जिसे स्वीकार कर लिया गया है और सुनवाई के लिए लंबित है।

iv) प्रबंधन अनुबंध के तहत सेंटौर होटल लेक व्यू, श्रीनगर (सीएलवीएच) को चलाने के लिए मैसर्स बीडी एंड पी होटल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के साथ 15 सितंबर 2010 को प्रबंधन अनुबंध समझौता निष्पादित किया गया। हालांकि, यूनिट को सौंपने से पहले, भारत सरकार के सचिवों की समिति की बैठक में लिए गए निर्णय को अग्रेषित करते हुए मंत्रालय से एक संचार प्राप्त हुआ था जिसमें कहा गया था कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने संकेत दिया था किचूंकि भूमि जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा कंपनी को पट्टे पर दी गई थी, प्रबंधन अनुबंध संभव नहीं था और प्रबंधन अनुबंध के तहत इकाई की पेशकश के निर्णय की समीक्षा की जा सकती है। तदनुसार, बोर्ड के अनुमोदन के साथ उक्त प्रबंधन अनुबंध 26 सितंबर 2011 को समाप्त कर दिया गया था और 100 मिलियन रुपये की ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा राशि और पार्टी द्वारा जमा की गई 10.8 मिलियन रुपये की न्यूनतम गारंटीकृत राशि बोलीदाता, एम/ को वापस कर दी गई थी। एस बीडी एंड पी होटल (इंडिया) प्रा. लिमिटेड
मैसर्स बीडी एंड पी होटल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने मध्यस्थता लागू करने के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक रिट दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय ने पक्षकार की अपील स्वीकार कर ली और एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया। पार्टी ने समझौते की समाप्ति को चुनौती दी और कंपनी से 3410 मिलियन रुपये और 18इ ब्याज का दावा किया, मध्यस्थता पुरस्कार 14 अगस्त 2015 को प्राप्त हुआ जिसमें एचसीआई को 5.4 मिलियन रुपये की कानूनी लागत के साथ संपत्ति को पार्टी को सौंपने का निर्देश दिया गया, जो कंपनी द्वारा बॉम्बे के माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांक 8 जनवरी 2019 द्वारा मध्यस्थता याचिका को खारिज कर दिया गया है।
इसके बाद, कंपनी ने मार्च 2019 में बॉम्बे के माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष उक्त आदेश को चुनौती दी और अभी भी सुनवाई के लिए लंबित है। मामले में वरिष्ठ वकील के मार्गदर्शन में कंपनी के पास उपलब्ध विकल्पों का पता लगाया जा रहा है।

v) कंपनी ने मैसर्स के साथ एक समझौता किया था। सेंटॉर होटल दिल्ली एयरपोर्ट (सीएचडीए) में जुड़े शाफ्ट और कॉरिडोर के साथ अतिथि कमरों के नवीनीकरण के लिए एनएस एसोसिएट्स। उक्त पार्टी के साथ कुछ विवाद और मतभेद उत्पन्न हुए और अंतिम बिल का निपटारा नहीं किया गया। तदनुसार, पार्टी ने 78.78 मिलियन रुपये की राशि और उस पर 15इ की दर से ब्याज का दावा करते हुए मध्यस्थता खंड का आह्वान किया। आर्बिट्रेशन अवार्ड को लर्न्ड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा 19.10.2019 को यह कहते हुए प्रकाशित किया गया था कि कंपनी को केवल रुपये का भुगतान करना है। पार्टी को 0.5 मिलियन रुपये की मुकदमेबाजी लागत के साथ 8.84 मिलियन। कंपनी ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत विवादित निर्णय को आंशिक रूप से रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। मामले में सुनवाई बाकी है। पुरस्कार के अनुसार कुल 9.343 मिलियन रुपये की देय राशि के विरुद्ध, 2.388 मिलियन रुपये की राशि (बयाना राशि जमा के रूप में 0.03 मिलियन रुपये सहित) खातों की पुस्तकों में देय के रूप में परिलक्षित होती है। इसलिए 6.96 मिलियन रुपये की शेष राशि आकस्मिक देयता के तहत परिलक्षित होती है।

vi) 2002 में सेंटौर होटल जुहू बीच की बिक्री के बाद, सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने मैसर्स वी. होटल्स लिमिटेड से 44.8 मिलियन रुपये की राशि का दावा किया और होटल की संपत्ति से जुड़ी 1810 वर्ग मीटर भूमि के हस्तांतरण पर देय प्रीमियम के लिए कंपनी से जो राज्य सरकार से पट्टे पर थी। और आकाश के लिए खुला रखा जाना है - केवल बगीचे के रूप में उपयोग करने के लिए। कंपनी द्वारा राजस्व मंत्री, महाराष्ट्र सरकार के समक्ष बेचने के समझौते का हवाला देते हुए उसी पर विवाद किया गया था। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 1.6.2014 ने मेसर्स वी. होटल्स को उक्त प्रीमियम का भुगतान करने का निर्देश दिया है। मैसर्स वी. होटल्स लिमिटेड ने बॉम्बे हाई कोर्ट में उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कंपनी को पक्षकार बनाया गया है।

vii) शेरे कश्मीर कन्वेंशन सेंटर/ जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा दावा किए गए सेंटूर होटल श्रीनगर के लैंडस्केपिंग की लागत में कंपनी के हिस्से से संबंधित, कंपनी द्वारा विवादित।

viii) ऐसे पुरस्कार जो कंपनी के खिलाफ गए हैं जिसके लिए अपील को प्राथमिकता दी गई है

ix) लीज रेंटल और टर्नओवर लेवी की राशि 563.80 मिलियन रुपये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)/ डायल/ एमआईएएल को देय है और इसे कंपनी के कामकाज के अनुसार, पुष्टि के अधीन खातों की पुस्तकों में प्रदान किया जाता है। एएआई/ डायल/ एमआईएएल के साथ विवादों को देखते हुए, एएआई/ डायल/ एमआईएएल को रु. 693.65 मिलियन (पिछले वर्ष 770.82 मिलियन) की बकाया राशि के कारण देय

ब्याज को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया गया है। वर्ष के दौरान कंपनी ने एआई/ डायल/ एमआईएएल को देय बकाया राशि के लिए ब्याज के रूप में रु.35.74 मिलियन की वृद्धि की है और रु. 112.91 मिलियन, पिछले वर्षों के दौरान वास्तविक देयता प्राप्त करते समय शामिल वैधानिक भागों (अप्रत्यक्ष कर) पर ब्याज की गलत गणना के कारण।

x) कर्मचारियों द्वारा किए गए दावे - कंपनी के मौजूदा और सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा बहाली, पदोन्नति, स्थायीता, वेतन संशोधन आदि के विभिन्न दावों पर मुकदमा चल रहा है और दावे मामलों के परिणाम पर निर्भर होंगे। अतः राशि अनिश्चित है

ब. आकस्मिक संपत्ति

माननीय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अपना निर्णय प्रकाशित किया जिसके तहत मैसर्स सहारा हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स बत्रा हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था), तत्कालीन सेंटॉर होटल मुंबई एयरपोर्ट के खरीदार को 18.8 मिलियन रुपये की राशि का भुगतान करना पड़ा। और कंपनी को 0.40 मिलियन रुपये की कानूनी लागत के साथ उस पर ब्याज। हालांकि, खरीदारों ने फैसले के खिलाफ बॉम्बे के माननीय उच्च न्यायालय में अपील की। माननीय उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द कर दिया, जिसे कंपनी ने माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी थी। बंबई का , जिसे स्वीकार कर लिया गया है और सुनवाई के लिए लंबित है । (ऊपर 30 ए ग्ग देखें)

32 सेंटूर लेक व्यू होटल श्रीनगर के निर्माण की लागत से संबंधित मामले और होटल और शेर ए कश्मीर कन्वेंशन सेंटर (एख्ण्ण) के बीच कंपनी और जम्मू और कश्मीर सरकार (र्ं ख) के बीच लागत साझा करने की व्यवस्था में दोनों पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। 15 अक्टूबर 2004 को एक संयुक्त बैठक हुई और विभिन्न विचारों के सभी मामलों का निपटारा किया गया। समझौते के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित राशियाँ प्राप्य/ देय थीं:

ए) एसकेआईसीसी के साथ लागत साझा करने की व्यवस्था के संबंध में जम्मू और कश्मीर सरकार से प्राप्त होने वाली राशि 135.42 मिलियन रुपये है - (पिछले वर्ष 127.04 मिलियन रुपये) - (नोट 10)

बी) 1982 में होटल और एसकेआईसीसी के संयुक्त निर्माण के कारण जम्मू-कश्मीर सरकार से प्राप्त होने वाली राशि- 29.78 मिलियन रुपये और ब्याज सब्सिडी 12.00 मिलियन रुपये, कुल मिलाकर 41.78 मिलियन रुपये (नोट 10)

सी) 1982 में होटल और एसकेआईसीसी के संयुक्त निर्माण के कारण जम्मू-कश्मीर सरकार को देय राशि रुपये है। 39.68 मिलियन (नोट संख्या 20)

ये शेष राशि समाधान और पुष्टि के अधीन हैं। समायोजन, यदि कोई हो, को उस वर्ष में लेखाबद्ध किया जाएगा जिसमें अंतिम रूप दिया गया है।

हालांकि, अत्यधिक सावधानी के मामले में, कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान उपरोक्त मामले पर संदिग्ध अग्रिमों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।

33 बैलेंस शीट के बाद की घटनाएँ:

जम्मू और कश्मीर सरकार। अपने आदेश दिनांक 03.05.2021 द्वारा होटल के निपटान से संबंधित सभी मामलों को अंतिम रूप देने के लिए ण्ध के साथ बातचीत करने के लिए एक समिति का गठन किया। एचसीआई प्रबंधन, जम्मू-कश्मीर सरकार के साथ चर्चा शुरू करने के लिए तत्कालीन सचिव, एमओसीए द्वारा 6 सितंबर, 2021 को एक रिमाइंडर भेजे जाने के बावजूद। इसके बजाय दिनांक 27.12.2021 को टर्मिनेशन नोटिस भेजा गया जिसमें आरोप लगाया गया कि ण्ध ने परिसर को सबलेट पर दे दिया था और इस उल्लंघन को देखते हुए, पट्टा निर्धारित किया गया और होटल को जम्मू-कश्मीर सरकार को सौंपने के लिए कहा। 15 दिनों के भीतर। एचसीआई ने 24.01.2022 को एक विस्तृत प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया और इसे हल करने के लिए एक बैठक के लिए अनुरोध किया। जम्मू और कश्मीर सरकार। एक संपदा अधिकारी नियुक्त किया जिसने जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत दिनांक 05.04.2022 को एक नोटिस जारी किया जिसमें एचसीआई से कारण बताओ कि एचसीआई को बेदखल क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इसका जवाब समय सीमा के भीतर दिया गया था। उनके द्वारा दिनांक 09.04.2022 को कैविएट भी दाखिल किया गया था। इसके बाद एस्टेट ऑफिसर ने 25.04.2022 को एचसीआई को खाली करने के लिए 45 दिन का समय देते हुए बेदखली का नोटिस भेजा। HCI ने 04.05.2022 को ज्श के पास अपील दायर की। 06.05.2022 को एमओसीए से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, एचसीआई ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में टर्मिनेशन नोटिस के खिलाफ एक रिट दायर की जिसे दिनांक 12.06.2019 को खारिज कर दिया गया था। 02.06.2022। HCI ने SC में SLP दायर की और 08.06.2022 को SC के आदेशों के बावजूद, J & K सरकार ने संपत्ति को सील करने के लिए 14.06.2022 को बल भेजा और जबरदस्ती होटल पर कब्जा कर लिया। इस मामले को फिर से जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। HCI, J&K सरकार, वर्कर्स यूनियन और BD&P होटलों ने दलीलें पूरी कर ली हैं और फैसला सुरक्षित रखा गया है।

34 वेतन संशोधन:

क) कामगारों के साथ पहले के वेतन समझौते 31.12.2006 को समाप्त हो गए थे। यूनियनों ने अपनी मांगों के चार्टर प्रस्तुत किए

प्रबंधन की वेतन वार्ता समिति और एचसीआई यूनियनों की समन्वय समिति के बीच लंबी बातचीत के बाद और नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अंतिम अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, दिनांक 08.08.2019 को समझौता ज्ञापन कार्यान्वयन के लिए यूनियनों और कंपनी के बीच दर्ज किया गया था। 18.08.2008 से प्रभावी 10 वर्षों की अवधि के लिए कर्मचारियों की संघीय श्रेणी के लिए वेतन संशोधन। वेतन पुनरीक्षण वित्तीय वर्ष

2019-20 में लागू किया गया था।

उपरोक्त के मद्देनजर, 31.3.2022 तक कर्मचारियों की संघबद्ध श्रेणी के लिए वेतन संशोधन के बकाया के लिए कुल अनुमानित प्रावधान 146.36 मिलियन रुपये (नोट संख्या 19 देखें) है, जिसके खिलाफ 34.48 मिलियन रुपये का अग्रिम खातों में दिखाया गया है। खाते (नोट संख्या 12 देखें)। 08.08.2008 से प्रभावी कर्मचारियों को देय बकाया राशि की गणना प्रगति पर है। इसलिए इसे अंतिम रूप दिए जाने वाले वर्ष में कोई भी अंतर प्रावधान किया जाएगा।

बी) अधिकारी संवर्ग से संबंधित वेतन पुनरीक्षण जो 01.01.2007 को 10 वर्षों की अवधि के लिए देय था, लंबित है। कंपनी की वित्तीय स्थिति को देखते हुए अधिकारियों के वेतन पुनरीक्षण को टाल दिया गया है।

प्रबंधन ने 1.1.2017 से प्रभावी अधिकारियों के लिए प्रति कर्मचारी 5,000/- रुपये प्रति माह की अंतरिम राहत की घोषणा की थी जिसका भुगतान किया जाना जारी है और लाभ और हानि खाते के विवरण में व्यय किया गया है। जब भी वेतन संशोधन को मंजूरी दी जाती है, इस राशि को देय बकाया, यदि कोई हो, के खिलाफ समायोजित किया जाएगा, जिसके लिए कर्मचारीवार विवरण खातों की पुस्तकों में अलग से रखा गया है, जो कि अंतरिम राहत के लिए अग्रिम के रूप में 65.64 मिलियन रुपये और अंतरिम राहत के लिए प्रावधान रुपये की राशि है। 66.81 मिलियन (नोट संख्या 12 और 20 देखें)।

35 होटलों का नवीनीकरण :

कंपनी को होटलों के नवीनीकरण के लिए भारत सरकार से इक्विटी शेयर जारी करने के एवज में 2015-16 के दौरान 50 मिलियन रुपये की राशि प्राप्त हुई। अप्रैल 2017 में, कंपनी ने सेंटौर श्रीनगर के लिए 75 अतिथि कमरों और अन्य संबद्ध कार्यों के उन्नयन और नवीनीकरण के लिए एक सलाहकार नियुक्त किया। घाटी में स्थिति और जम्मू-कश्मीर सरकार को श्रीनगर होटल की संपत्ति सौंपने के संबंध में अनिश्चितता को देखते हुए इसे सक्रिय रूप से आगे नहीं बढ़ाया गया है। हालांकि, सेंटॉर श्रीनगर के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक कुछ आवश्यक पूंजीगत व्यय अगले वित्तीय वर्ष में किया जाएगा।

36 प्रतिबद्धताएं:

पूंजी प्रतिबद्धताएं:

पूंजी खाते पर निष्पादित की जाने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि नीचे दी गई है:

विवरण	31-03-2022 तक	31-03-2021 तक
हिलिफ्ट	-	-
संपूर्ण	-	-

37 शेष राशि की पुष्टि

i) कंपनी ने 31 मार्च 2022 तक होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के संबंध में व्यापार प्राप्तियों, व्यापार देय के संबंध में शेष राशि का मिलान किया है।

ii) कंपनी 31 मार्च, 2022 तक व्यापार देय, अन्य व्यापार प्राप्तियों, ऋण और अग्रिम, जमा और अन्य देनदारियों के संबंध में शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। तदनुसार, ऐसे खाते उनके संबंधित खाता बही के अनुसार शेष राशि को दर्शाते हैं। और समायोजनों के अधीन हैं, यदि खातों के समाधान पर कोई हो। अंतर, यदि कोई हो, को मिलान पूरा होने पर खातों में समायोजित किया जाएगा।

38 पट्टों- इंडस्ट्रीज़ के रूप में 116

कंपनी ने पट्टे पर भूमि ली है जो आम तौर पर अलग-अलग शर्तों, वृद्धि खंड और नवीकरण अधिकारों के साथ तीस से निन्यानवे वर्षों तक समाप्त होने वाली लंबी अवधि की प्रकृति की होती है। नवीनीकरण पर, पट्टों की शर्तों पर फिर से बातचीत की जा सकती है।

क) कुल पट्टा देयताओं का विश्लेषण निम्नानुसार किया गया है:

विवरण	31-03-2022	31-03-2021
मौजूदा	14.71	30.50
गैर वर्तमान	349.55	369.29
कुल	**364.26**	**399.79**

बी) फ्यूचर कैश फ्लो के लिए एक्सपोजर:

कंपनी ने एएआई/ डायल/ एमआईएएल को लीज भुगतान और टर्नओवर लेवी नहीं किया है (नोट नंबर 17 देखें) यहां तक कि मूल राशि पर अर्जित ब्याज को भी आकस्मिक माना गया है (नोट नंबर 30 एआईएक्स देखें), इसलिए बिना किसी छूट के नकदी प्रवाह लीज देनदारियों और टर्नओवर लेवी का पता नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा कोई भुगतान प्रोफ़ाइल नहीं है और इसलिए परिपक्वता विश्लेषण तैयार नहीं किया जा सकता है।

39 प्रति शेयर आय:

विवरण	31-03-2022 तक	31-03-2021 तक
लाभ / (हानि) कर और असाधारण मदों के बाद	(842.51)	(966.19)
कम: असाधारण सामग्री	-	-
लाभ/(हानि) कर के बाद और असाधारण वस्तुओं से पहले	(842.51)	(966.19)
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	13.76	13.76
ईपीएस		
बुनियादी	(61.23)	(70.22)
बी) पतला	(61.23)	(70.22)

40 लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक:

लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा शुल्क एवं व्यय का विवरण:-

विवरण	2021-2022	2020-2021
ऑडिट फीस- वर्ष के लिए	0.27	0.23
पिछले लेखा परीक्षकों के जेब खर्च से बाहर	0.05	0.00
कुल	**0.31**	**0.23**

41 खंड में जानकारी दी गई है **अनुलग्नक "I"** कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के तहत इंडस्ट्रीज़ एएस 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट के अनुसार।

42 संबंधित पार्टी लेनदेन:

वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भारतीय लेखा मानक (आईएनडी एएस-24) द्वारा अपेक्षित संबंधित पक्षों के नामों और पदनामों का प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:

संबंधित पार्टी संबंध

i) अधिकार वाली कंपनी
एयर इंडिया लिमिटेड 11.01.2022 तक
एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड 11.01.2022 से प्रभावी

ii) समूह/एसोसिएट्स कंपनियां

अ) एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल) (पूर्व में एआईएटीएसएल)
एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल)
क) एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) (पूर्व में एयरलाइंस एलाइड सर्विसेज लिमिटेड (एएएसएल) के रूप में जाना जाता था)

ii) **महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाला व्यक्ति**
भारत के राष्ट्रपति (अपने प्रतिनिधि के माध्यम से)

उ) **प्रमुख प्रबंधन कार्मिक और रिश्तेदार :**
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और रिश्तेदार
दीपक खुल्लर - मुख्य कार्यकारी अधिकारी
टी सी दलाल - मुख्य वित्तीय अधिकारी
श्यामला पी. कुंदर - कंपनी सचिव (01.04.2021 से 30.09.2021)
ईशा जैन - कंपनी सचिव (01.10.2021 से 31.03.2022)

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ लेनदेन:
i) प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या उनके रिश्तेदारों के साथ कोई व्यावसायिक लेन-देन नहीं है

ii) प्रमुख प्रबंधकीय पारिश्रमिक

अ.क्र.	विवरण	31.3.2022 तक	31.3.2021 तक
1	पंकज कुमार- मुख्य कार्यकारी अधिकारी (01.04.2020 से 16.07.2020)	-	0.27
2	दीपवढ खुल्लर - मुख्का वढार्कावढारी अधिवढारी	2.40	0.97
3	ऊर्ण्Ãत्त - मुख्य वित्तीय अधिकारी	0.90	0.90
4	श्यामला कुंदर- कंपनी सचिव (01.04.2021 से 30.09.2021)	0.37	-
5	ईशा जैन- कंपनी सचिव (01.10.2021 से प्रभावी)	0.75	-

ब) इंड एएस 24 के संदर्भ में, कुछ सरकारी संबंधित संस्थाओं यानी भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रित और प्रभावित संस्थाओं (उपर्युक्त सूची में शामिल नहीं) के साथ लेन-देन से संबंधित प्रकटीकरण आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं:

अ.क्र.	संस्थाओं का नाम और लेनदेन की प्रकृति	2021-2022	2020-2021
1	**एअर इंडिया लिमिटेड (11.01.2022 तक)**		
	वर्ष के दौरान बिक्री	113.66	147.23
	वर्ष के लिए वित्त लागत	(385.45)	(351.90)
	एसओडी टिकट	(0.01)	(0.01)
	विविध व्यय (सुरक्षा प्रशिक्षण)	-	(0.10)
	विविध व्यय (चिकित्सा)	-	(0.61)
	एसएपी रखरखाव खर्च	-	(0.34)
	वर्ष के दौरान प्राप्त ऋण	-	259.30
	बंद बेलेन्स 31-03-2022		
	एयर इंडिया से प्राप्य व्यापार	50.70	296.19
	एयर इंडिया को देय ऋण	-	(4,392.89)
	अन्य प्राप्य	-	4.10
	अन्य देनदारियां	-	(0.30)
	एआई एसेट होल्डिंग लिमिटेड (11.01.2022 से प्रभावी - 31.03.2022 तक)		
	ऋण देय	(5,029.59)	-
	वर्ष वेढ लिए विबा लागत	(97.30)	-
2	AIAHL **सहायक कंपनियों**		

i)	**वर्ष के दौरान बिक्री**		
	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल) (पूर्व में एआईएटीएसएल)	2.19	0.09
	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल)	13.45	8.82
	एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एएएएल)		
	(पूर्व में एयरलाइंस एलाइड सर्विसेज लिमिटेड (एएएसएल) के रूप में जाना जाता था)	0.43	1.08
	एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड (AIXL) (11.01.2022 तक)	-	0.16
ii)	**31.3.2022 को व्यापार प्राप्य**		
	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल) (पूर्व में एआईएटीएसएल)	2.61	1.13
	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (एआईईएसएल)	7.20	7.39
	एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड (एएएएल) (पूर्व में एयरलाइंस एलाइड सर्विसेज लिमिटेड (एएएसएल) के रूप में जाना जाता था)	0.52	0.30
	एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड (AIXL) (11.01.2022 तक)	-	0.12

नोटः संबंधित पार्टियों की कंपनी द्वारा पहचान की गई है और लेखापरीक्षकों द्वारा उन पर भरोसा किया गया है

43 31 मार्च 2022 को सेंटौर दिल्ली की विलासिता कर देयता शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है। कंपनी 2012-13 में लक्ज़री टैक्स अधिकारियों द्वारा ज़ब्त किए गए बैंक खातों को डीीज़ करने की प्रक्रिया में है, इसलिए बैंक खातों की 0.61 मिलियन रुपये की पुष्टि ीज़िंग की तारीख पर है।

44 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और कंपनी के बीच समझौते के अनुसार जिस भूमि पर सेंटौर होटल दिल्ली और शैफेयर दिल्ली स्थित है, उसकी लीज अवधि 31.3.2032 तक वैध है। हालांकि एएआई ने भूमि के पट्टे को जल्दी समाप्त करने के लिए दिनांक 8 नवंबर 2016 को नोटिस दिया था क्योंकि हवाईअड्डे के विस्तार के लिए भूमि की आवश्यकता है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के हस्तक्षेप से उक्त लीजहोल्ड भूमि को खाली करने के लिए 31 दिसंबर 2019 तक की मोहलत दी गई है। इस प्रकार कंपनी को 30.11.2019 तक भूमि का खाली कब्जा देना और 31 दिसंबर 2019 तक एएआई को उक्त लीजहोल्ड भूमि का समर्पण करना आवश्यक था। इस संबंध में, एएआई से दावा किए जाने वाले मुआवजे के लिए बातचीत मंत्रालय के परामर्श से की गई थी।

तदनुसार, एचसीआई को लीज समझौते की समाप्ति पर मुआवजे के मामले पर चर्चा करने के लिए सचिव नागरिक उड्डयन द्वारा 4.011.2019 को एक बैठक बुलाई गई थी। उक्त बैठक में एएआई ने स्पष्ट किया कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, दिल्ली के लिए प्रस्तावित मास्टर प्लान 2016 के अनुसार एचसीआई होटल स्थल पर परियोजना को 2026 से शुरू होने वाले मास्टर प्लान चरण के तहत विकसित किया जाना है और यह भी पुष्टि की गई कि एचसीआई संपत्ति प्रस्तावित रनवे का उल्लंघन नहीं कर रहा है, लेकिन विमान की पार्किंग के लिए भूमि की आवश्यकता होगी।

सचिव, नागरिक उड्डयन ने कहा कि एएआई को एचसीआई को शेष लीज अवधि के लिए संचालन जारी रखने की अनुमति देने के अर्थशास्त्र को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर एक आर्थिक निर्णय लेने की आवश्यकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यदि एएआई निर्णय लेता है कि वैमानिक उद्देश्य के लिए एएआई द्वारा भूमि की आवश्यकता नहीं है तो पट्टे की शेष अवधि के लिए ओ एंड एम अनुबंध सहित व्यावसायिक उपयोग के लिए एचसीआई को पूर्ण अनुमति दी जा सकती है। मंत्रालय के 20.12.2019 के पत्र के माध्यम से एचसीआई को उक्त निर्णय के बारे में सूचित किया गया था, जिसमें एचसीआई को मौजूदा पट्टे की अवधि की समाप्ति तक यानी 31.03.2032 तक भूमि/ संरचना का उपयोग करने और पट्टे की अवधि समाप्त होने पर सकारात्मक रूप से भूमि खाली करने की अनुमति दी गई थी। यह भी सूचित किया गया कि चूंकि समझौते की शर्तों के अनुसार एचसीआई ने 2002 से एएआई बकाया के भुगतान में चूक की है, विवाद को सुलझाने के लिए मौजूदा समझौते के प्रावधानों के अनुसार एक मध्यस्थ नियुक्त किया जा सकता है, जो लंबित है। इस बीच, र्ईंध्ने मंत्रालय के दिनांक 20.12.2019 के पत्र को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट दायर की। मामला अभी भी माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है

45 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम

ठसूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006ठ के तहत परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आपूर्तिकर्ताओं की पहचान की गई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अंतर्गत आने वाले ऐसे उपक्रमों को भुगतान आमतौर पर आपूर्तिकर्ता के साथ सहमत निर्धारित क्रेडिट अवधि के भीतर किया जाता है और इसलिए विलंबित भुगतानों पर कोई ब्याज नहीं लगाया जाता है।

46 कंपनी ने 2019-20 में अचल संपत्तियों के प्रत्येक समूह का भौतिक सत्यापन किया था। वर्ष 2021-22 के दौरान सत्यापित सभी संपत्तियों को अचल संपत्ति रजिस्टर के साथ मैप किया गया है। कोई बड़ी विसंगति नहीं देखी गई है।

47 भारतीय लेखा मानक (36 के रूप में इंडस्ट्रीज़) 'संपत्ति की हानि' के तहत परिकल्पित संपत्ति की कोई हानि नहीं है।

48 कंपनी की प्रक्रिया में है:

ए) वर्ष के दौरान आइटम-वार स्टोर रिकॉर्ड की आवाजाही और स्टोर लेजर को कॉन्फ़िगर करने की दिशा में रिपोर्ट तैयार करने के संदर्भ में इन्वेंट्री रिपोर्टिंग सिस्टम को सुव्यवस्थित करना। वर्ष के अंत में, स्टोर रिकॉर्ड के अनुसार खपत का मिलान वित्तीय रिकॉर्ड के साथ किया जाता है और समायोजन का विधिवत हिसाब लगाया जाता है।

बी) खरीद और दुरुपयोग के माध्यम से राजस्व रिसाव को रोकने और खरीद और खपत चक्रों पर उचित नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए चेक और बैलेंस की एक प्रणाली के लिए एक मेकर चेकर प्रक्रिया की स्थापना करना।

49 कंपनी की प्रक्रिया में है:

ए) आंतरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया को मजबूत करना ताकि सभी क्षेत्रों की पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित की जा सके और कंपनी की सभी इकाइयों में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके

बी) कैशियर के अलावा आंतरिक लेखापरीक्षा/ अधिकारियों के माध्यम से नकद, चेक, ड्राफ्ट आदि के सत्यापन की आवृत्ति की समीक्षा करना।

सी) सभी लेन-देन के समय पर लेखांकन के संबंध में मानक संचालन प्रक्रियाएं निर्धारित करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खातों की उचित पुस्तकों का रखरखाव किया जा रहा है।

50 कंपनी की राय में, वर्तमान संपत्तियां और ऋण और अग्रिम व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में वसूल किए जाने पर बताए गए मूल्य के लगभग हैं। सभी ज्ञात देनदारियों के लिए प्रावधान पर्याप्त है और उचित रूप से आवश्यक राशि से अधिक नहीं है।

51 कोविड 19 का प्रभाव

विश्व स्तर पर और भारत में कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी का प्रकोप आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण गड़बड़ी और मंदी का कारण बन रहा है। वर्ष के दौरान कंपनी का परिचालन और राजस्व भी कोविड-19 के कारण प्रभावित हुआ। कंपनी ने लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों की तैयारी में COVID-19 के संभावित प्रभाव को ध्यान में रखा है, जिसमें इन लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और भविष्य के वर्तमान संकेतकों के अनुमोदन की तारीख तक आंतरिक और बाहरी जानकारी के आधार पर अपनी संपत्ति के वसूली योग्य मूल्य का आकलन शामिल है। आर्थिक स्थितियां।

नोट 2 भी देखें (v) COVID-19 के कारण अनुमान अनिश्चितता - पूर्वोक्त मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि रूढ़िवादी रूप से किए गए अनुमानों के अनुसार, समूह एक चलती चिंता के रूप में जारी रहेगा और अपनी देनदारियों का निर्वहन करने और अग्रणी राशि का एहसास करने में सक्षम होगा 31 मार्च, 2022 तक इसकी संपत्ति का।

52 वर्तमान चिन्ता:

कंपनी को COVID-19 महामारी के कारण महत्वपूर्ण अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसने मार्च 2020 के महीने से शुरू होने वाले कंपनी के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। 31 मार्च, 2022 को अपनी देनदारियों का निर्वहन करने और अपनी संपत्ति की अग्रणीत राशि का एहसास करने के लिए।

बैलेंस शीट तिथि के अनुसार कंपनी के नकारात्मक नेट वर्थ के बावजूद, भारत सरकार के निरंतर समर्थन पर विचार करते हुए यह सुनिश्चित करेगा कि कंपनी अपने व्यवसाय को चालू चिंता के रूप में चलाए। इसके अलावा, कंपनी ने एयर इंडिया के साथ मास्टर सर्विस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जो 31.12.2024 तक वैध है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी निकट भविष्य में अपना कारोबार चलाने में सक्षम होगी। तदनुसार कंपनी ने गोइंग कंसर्न के आधार पर अपने खाते तैयार किए हैं। प्रबंधन द्वारा कंपनी के परिचालन प्रदर्शन में सुधार लाने और राजस्व बढ़ाने के लिए निम्नलिखित के मद्देनजर कई पहल की गई हैं:

कंपनी कारोबार बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स, वॉक-इन कस्टमर्स, इवेंट बुकिंग, कॉरपोरेट्स पर भी टैप कर रही है। कंपनी वर्तमान

संपत्तियों को उन्नत करने के लिए आईएसओ प्रमाणन प्राप्त करने, परिचालन रूप से आवश्यक मामलों के लिए अतिरिक्त कैपेक्स शुरू करने की भी योजना बना रही है।

अधिभोग स्तर को बढ़ाने के लिए सेंटूर होटल दिल्ली हवाई अड्डे पर मौजूदा 50 अतिथि कमरों का नवीनीकरण।

53 पिछले वर्ष के आंकड़ों को अधिनियम की अनुसूची घ्घ्घ द्वारा आवश्यक इंड एएस के अनुसार प्रस्तुतीकरण की पुष्टि करने के लिए पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

54 वित्तीय विवरण 24.11.2022 को निदेशक मंडल द्वारा जारी करने के लिए अधिकृत किए गए थे ।

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

जैन जगत कामदार एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 122530W

सीए एग्नेल रोड्रिग्स
साझेदार
सदस्यता संख्या: 156128

स्थान : मुंबई
तारीख : 05-12-2022

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
भारतीय होटल निगम लिमिटेड

सहि/-
विक्रम देव दत्त
अध्यक्ष
डीन ; 0205541

सहि/-
रुबीना अली
(नामित निदेशक)
डीन : 0845990

सहि/-
दीपक खुल्लर
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सहि/-
थर्टी दलाल
मुख्य वित्तीय अधिकारी
सदस्यता क्र. एफसीए034616

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30-11-2022

वर्ष 2021–22 के लिए खंडवार रिपोर्टिंग

अ. प्राथमिक व्यवसाय खंड

विवरण	होटल	उड़ान रसोई	अन्य	कुल
1. **खंड राजस्व**	**185.39** (140.24)	**155.45** (101.94)	**11.52** (7.42)	**352.36** (249.60)
2. **खंड परिणाम (हानि)** ब्याज, असाधारण और असाधारण मदों के बाद हानि (-)	**–228.78** (663.87)	**–119.12** (309.69)	**–494.61** (7.37)	**–842.51** (980.94)
3. **सेगमेंट एसेट्स**	**469.49** (590.58)	**221.75** (415.52)	**163.99** (186.32)	**855.22** (1,192.42)
4. **सेगमेंट देनदारियां**	**1,154.91** (1,173.17)	**804.14** (915.48)	**5,034.77** (4,223.57)	**6,993.83** (6,312.22)
5. **नियोजित पूंजी** (-)	**–685.42** (582.59)	**–582.40** (499.96)	**–4870.79** (4,037.24)	**–6138.61** (5,119.80)
6. **कुल पूंजीगत व्यय**	**2.32** (3.52)	**13.57** (3.54)	**–** (0.02)	**15.89** (7.08)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।

ब. **भौगोलिक खंड :**

कंपनी भारत के भीतर सेवाएं प्रदान करती है और इसलिए, विभिन्न जोखिमों और प्रतिफलों के साथ आर्थिक वातावरण में कोई संचालन नहीं करती है। इसलिए, यह माना जाता है कि कंपनी एक ही भौगोलिक खंड में काम कर रही है।

CENTAUR